ALIMCO

ISO 9001 : 2008

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का 'मिनीरत्न-।।' उपक्रम
जी.टी. रोड, कानपुर-२०९२१७
आई.एस.ओ. ९००१:२००८

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA

A Govt. of India, "Miniratna-II" CPSU under Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) Ministry of Social Justice & Empowerment

G.T. Road, Kanpur-209217
An ISO 9001:2008 Company

44th Annual Report 2016-17

४४वीं वार्षिक रिपोर्ट २०१६-१७

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA

ISO 9001 : 2008

Board of Directors

(As on 31.03.2017)

Shri D.R. Sarin
Chairman & Managing Director

Shri Awanish Kumar Awasthi
Joint Secretary (DEPwD)
Ministry of Social Justice and Empowerment

Ms.T.C.A.Kalyani
Joint Secretary & Financial Adviser (DEPwD)
Ministry of Social Justice and Empowerment

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA

ISO 9001 : 2008

४४वाँ वार्षिक प्रतिवेदन २०१६-१७

44th Annual Report 2016-17

विषय सूची	CONTENTS	पृष्ठ संख्या PAGE No. से–तक FROM-To
वरिष्ठ अधिकारीगण	SENIOR EXECUTIVES	2
बैंकर्स	BANKERS	3
लेखा अंकेक्षक	AUDITORS	3
एलिम्को के कार्यालय	OFFICES OF ALIMCO	3-5
सूचना	NOTICE	6-7
अध्यक्ष का भाषण	CHAIRMAN SPEECH	8-9
निदेशकों का प्रतिवेदन	DIRECTORS' REPORT	10-58
भारत के नियंत्रक व महालेखाकार की टिप्पणी	COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA	59-61
सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट	SECRETARIAL AUDIT REPORT	62-65
प्रबन्धन विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट	MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT	66-68
कारपोरेट गर्वनेन्स पर रिपोर्ट	REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE	69-74
10 वर्ष एक दृष्टि में	10 YEARS AT A GLANCE	75-76
लेखा समपरीक्षक का प्रतिवेदन	AUDITOR'S REPORT	77-88
तुलन पत्र	BALANCE SHEET	89-90
आय एवं व्यय खाता	INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT	91-92
नगदी प्रवाह विवरण	CASH FLOW STATEMENT	93-96
लेखों पर टिप्पणी	NOTES ON ACCOUNTS	97-150

वरिष्ठ अधिकारीगण

ले. कर्नल (आ.प्रा.) पी.के. दुबे
महा प्रबन्धक (विपणन)

श्री मधुसूदन रे
महा प्रबन्धक (वित्त एवं प्रशासन)

श्री अशोका एस. एन.
महा प्रबन्धक (उत्पादन)

श्री प्रवीन कुमार
महा प्रबन्धक (परियोजना एवं वाणिज्यिक)

श्री ए. के. श्रीवास्तव
उप महाप्रबन्धक (उत्पादन)

श्री अतुल रूस्तगी
उप महाप्रबन्धक (वित्त)

श्री पी. के. श्रीवास्तव
उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्धन)

श्री आर. के. माथुर
उप महाप्रबन्धक (एएपीसी भुवनेश्वर)

श्री अजय चौधरी
उप महाप्रबन्धक (सी. एस. आर.)

श्री विवेक द्विवेदी
उप महाप्रबन्धक (गुणवत्ता नियंत्रक)

श्री संजय सिंह
उप महाप्रबन्धक (विपणन)

श्री ए.के. सिंह
वरिष्ठ प्रबन्धक (उत्पादन)

सुश्री नीलू द्विवेदी
वरिष्ठ प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन)

श्री बी. के. गुप्ता
वरिष्ठ प्रबन्धक, एएपीसी जबलपुर

श्री रितेश श्रीवास्तव
वरिष्ठ प्रबन्धक (एसपी एण्ड सी)

SENIOR EXECUTIVES

Lt. Col. (Retd.) P.K. Dube
General Manager (Marketing)

Shri Madhusudan Ray
General Manager (Finance & Administration)

Shri Ashoka S.N
General Manager (Production)

Shri Praveen Kumar
General Manager (Project & Commercial)

Shri A.K. Srivastava
Deputy General Manager (Production)

Shri Atul Rustagi
Deputy General Manager (Finance)

Shri P.K. Srivastava
Deputy General Manager (Material Management)

Shri R. K. Mathur
Deputy General Manager (AAPC Bhubaneswar)

Shri Ajay Chaudhari
Deputy General Manager (CSR)

Shri Vivek Dwivedi
Deputy General Manager (Quality Control)

Shri Sanjay Singh
Deputy General Manager (Marketing)

Shri A.K. Singh
Senior Manager (Production)

Ms. Neelu Dwivedi
Senior Manager (Personnel & Administration)

Shri B.K.Gupta
Senior Manager, AAPC, Jabalpur

Shri Ritesh Srivastava
Senior Manager (SP&C)

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

लेखा सम्परीक्षक
मे. प्रकाश एण्ड संतोष
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
रालैंड परिसर, फ्लैट नं. 8,
ऊपरी तल, वैस्टकॉट भवन,
37/17, दि मॉल, कानपुर

BANKERS :
State Bank of India
Union Bank of India

AUDITORS :
M/S. PRAKASH & SANTOSH
CHARTERED ACCOUNTANTS,
Rolland Complex Flat No. 8
Upper Floor Westcott Building
37/17 The Mall, Kanpur

एलिम्को के कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय एवं फैक्ट्री
जी. टी. रोड,
कानपुर – 209217
(उत्तर प्रदेश)
दूरभाष: 91–512–2770614, 2770687, 2770818
फैक्स: 91–512–2770617, 2770670, 2770137
ई–मेल: alimco@alimco.in
वेबसाइट: www.alimco.in

OFFICES OF ALIMCO

REGISTERED OFFICE & FACTORY:
G.T. ROAD,
KANPUR-209217
(UTTAR PRADESH)
Phones: 91-512-2770614, 2770687, 2770818
FAX: 91-512-2770617, 2770670, 2770137
E-Mail : alimco@alimco.in
Website : www.alimco.in

एलिम्को के सहायक उत्पादन केन्द्र

1. **बेंगलूरू**
   सर्वे सं. एम.वाई.एस. 357
   प्लॉट सं. 8, पीन्या प्लान्ट स्टेशन,
   नियर जलासौधा, जालाहल्ली, पो ऑ.
   बेंगलूरू – 560013
   दूरभाष – 91–80–23377482, 23377533
   फैक्स: 91–080–23577070
   ई–मेल: aapc_bangalore@alimco.in

2. **भुवनेश्वर**
   प्लॉट सं. एस–3/66,
   मानचेश्वर इण्डस्ट्रियल एरिया,
   भुवनेश्वर – 751010
   दूरभाष :– 0674–2586881/2587670
   फैक्स: 0674–2587018
   ई–मेल: aapc_bhubaneshwar@alimco.in

ALIMCO AUXILIARY PRODUCTION CENTRES

1. **BENGALURU**
   Survey No. MYS 357,
   Plot No.8, Peenya Plant Station,
   Near Jalasaudha, Jalahalli P.O.,
   BENGALURU-560013
   Phone No. : 91-80-23377482, 23377533
   Fax : 91-080-23577070
   e-mail : aapc_bangalore@alimco.in

2. **BHUBANESWAR**
   Plot No. S-3/66,
   Mancheshwar Industrial Area,
   BHUBANESHWAR-751010
   Phone No. : 0674-2586881/2587670
   Fax : 0674-2587018
   e-mail : aapc_bhubaneshwar@ alimco.in

3. **जबलपुर**
प्लॉट सं. 40, 106 एवं 107
रिच्छाई इण्डस्ट्रियल एरिया,
जबलपुर– 482010
दूरभाष :– 91–761–2334717
फैक्सः 91–761–2334724
ई–मेल : aapc_jabalpur@alimco.in

4. **पंजाब–चनालोन**
प्लॉट सं. ए–1, ए–2, ए–3,
फोकल प्वाइंट, इण्डस्ट्रियल एरिया,
चनालोन जनपदः मोहाली – 140103 (पंजाब)
दूरभाष :– 0160–2642220
ई–मेल : aapc_chanalon@alimco.in

एलिम्को आउटरीच सेन्टर

1. **गुवाहाटी**
मकान संख्या–2, ओसिस इमारत
सर्वोदय पथ, राजीव भवन के पीछे
ए बी सी, भंगाग गुवाहाटी – 781005
दूरभाष :– 0361–2348789
फैक्सः 0361–2456063
ई–मेल : aoc_guwahati@alimco.in

क्षेत्रीय विपणन केन्द्र एवं विकलांगता पुनर्वास केन्द्र

1. **नई दिल्ली**
एलिम्को क्षेत्रीय मार्केटिंग सेन्टर एवं
विकलांगता पुनर्वास केन्द्र
मार्फत सोशल जस्टिस सर्विस सेन्टर
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने
महिला इमदाद कमेटी, पहाड़गंज
नई दिल्ली – 110055
दूरभाष :– : 91–11–23580877,
फैक्स : 91–11–23580877
ई–मेल : rmc_newdelhi@alimco.in

3. **JABALPUR**
Plot No. 40, 106 & 107,
Richhai Industrial Area,Maharajpur
JABALPUR-482 010
Phone : 91-761-2334717,
Fax : 91-761-2334724
e-mail : aapc_jabalpur@ alimco.in

4. **PUNJAB-CHANALON**
Plot No. A-1, A-2, A-3, Focal Point
Industrial Area, Chanalon
Distt. Mohali-140103 (Punjab)
Phone : 0160-2642220
e-mail : aapc_chanalon@ alimco.in

ALIMCO OUTREACH CENTRE

1. **GUWAHATI**
House No.2, Oasis Building
Sardoday Path,Opposite Rajiv Bhawan'
ABC, Bhangagarh Guwahati-781005
Phone : 0361-2348789
Fax : 0361-2456063
e-mail : aoc_guwahati@ alimco.in

REGIONAL MARKETING CENTRES & DISABILITY REHABILITATION CENTRES

1. **NEW DELHI**
Regional Marketing & Disability
Rehabilitation Centre ALIMCO
C/o Social Justice Service Centre,
Mahila Imdad Committee, Paharganj
Opposite New Delhi Rly. Station,
NEW DELHI-110 055
Phone : 91-11-23580877,
Fax : 91-11-23580877
e-mail : rmc_newdelhi@ alimco.in

2. मुम्बई
एलिम्को क्षेत्रीय मार्केटिंग सेन्टर
मार्फत अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान
श्रवण बाधित।
रूम नं. बी–103, बी–विंग, फर्स्ट फ्लोर
के० सी० मार्ग, बांद्रा रिक्लेमेशन, बांद्रा (वेस्ट)
मुम्बई – 400 050
दूरभाष :– : 91–022–27570615
फैक्स : 91–022–27571278
ई–मेल : rmc_mumbai@alimco.in

3. कोलकाता
एलिम्को क्षेत्रीय मार्केटिंग सेन्टर
मार्फत नेशनल इंस्टीट्यूट फार द
ऑर्थोपेडिकली हैण्डीकैप्ड,
बी. टी. रोड, बॉन – हुगली,
कोलकाता– 700090
दूरभाष : 91-33-25316356
फैक्स : 91–33–25317838
ई–मेल : rmc_kolkata@alimco.in

4. हैदराबाद
एलिम्को क्षेत्रीय मार्केटिंग सेन्टर
21–120 ए, उत्तम नगर, सफिलगुड़ा
मलकाजगिरि पोस्ट, हैदराबाद
तेलंगाना–500047
दूरभाष : 91–40–27061463
ई–मेल : alimcohyderabad@gmail.com

2. MUMBAI
Regional Marketing Center ALIMCO
C/o Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped
Room No. - B-103, B-wing, 1st Floor,
K.C. Marg, Bandra Reclamation, Bandra (W)
MUMBAI - 400 050
Phone : 91-022-26510292
Fax : 91-022-27571278
e-mail : rmc_mumbai@alimco.in

3. KOLKATA
Regional Marketing Centre, ALIMCO
C/o National Institute for the
Orthopaedically Handicapped,
B.T. Road, Bon-Hoogly,
KOLKATA-700090
Phone : 91-33-25316356
Fax : 91-33-25317838
e-mail : rmc_kolkata@ alimco.in

4. HYDERABAD
ALIMCO Regional Marketing Center
21-120A, Uttam Nagar, Sufilguda
Malkajgiri Post, Hyderabad
TELANGANA-500047
Phone : 91-40-27061463
e-mail : alimcohyderabad@gmail.com

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की 44वाँ वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 26.09.2017 को 2:30 बजे विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग के संयुक्त सचिव के ऑफिस में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, पंडित दीनदयाल अन्तयोदता भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली में निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करने के लिए होगी।

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र एवं 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा, वित्तीय प्रवाह विवरण, निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करना, और अपनाना और निम्नलिखित संकल्पों को संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के सामान्य रूप से पास करना :

"संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च 2017 का लेखा परीक्षित तुलन–पत्र, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा, वित्तीय प्रवाह विवरण सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ एवं उस निदेशक मण्डल की रिपोर्ट पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त किया, विचार किया और अपनाया"

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए नियुक्त निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक (मैसर्स प्रकाश एवं संतोष, चार्टर्ड एकाउन्टेट्स) के पारिश्रमिक को नियत करने पर विचार करना तथा इसके बाद निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तथा निम्नलिखित संकल्प को, संषोधन के साथ अथवा संषोधन के बिना, सामान्य संकल्प के तौर पर पारित करना।

संकल्प किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को फीस 1,56,000 रूपये प्रतिवर्ष तथा इसके बाद समय–समय पर लागू करो तथा शुल्कों को जोड़ते हुए तथा यात्रा व्यय आवास / रहना / खाना आदि वास्तविक आधार पर मैसर्स प्रकाश एवं संतोष चार्टर्ड एकाउन्टेट्स की भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक द्वारा नियुक्ति को एततद्वारा अनुमोदित किया जाता है।

कृते निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

ह0 / –
अमिताभ दुबे
कनिष्ठ प्रबन्धक
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्याः ए–24619

स्थान : कानपुर

दिनांक : 22.09.2017

नोट : बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी परोक्षी नियुक्त करने एवं मत देने हेतु का अधिकार है। परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

NOTICE

Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India will be held on 26.09.2017 at 2:30 P.M in office of Joint Secretary Department of Empowerment of Persons with Disabilities Divyangjan, Ministry of Social Justice and Empowerment, Pandit Deen Dayal Antoyadta Bhawan, Lodi Road, New Delhi to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt the Audited Balance Sheet as on 31st March 2017, Income and Expenditure Account for the year ended 31st March, 2017, Cash Flow Statement, Directors Report, alongwith Statutory Auditors' Report and Comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon and pass the following Resolution as an ordinary Resolution, with or without modification (s):

RESOLVED THAT audited Balance Sheet as on 31st March 2017, Income and Expenditure Account for the year ended 31st March, 2017, Cash Flow Statement, Directors Report alongwith Statutory Auditors' Report thereon and Comments of the Comptroller and Auditor General of India on the same be and are hereby received, considered and adopted.

2. To consider fixation of remuneration of Statutory Auditor of the Corporation (M/s Prakash & Santosh Chartered Accountants) appointed by Comptroller & Auditor General of India for the financial year 2016-17 and afterwards approved by the Board of Directors and to pass the following Resolution as an Ordinary Resolution, with or without modification(s).

RESOLVED THAT the Statutory Auditor's fee at Rs. Rs.1,56,000/- per annum for the Financial year 2016-17 and afterwards plus taxes and duties as applicable from time to time and reimbursement of Travelling Expenses, Boarding/Lodging/Fooding etc. on actual basis to M/s Prakash & Santosh Chartered Accountants as appointed by Comptroller & Auditor General of India be and is hereby approved.

By Order of the Board of Directors
For Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India

Sd/-
Amitabh Dubey
Junior Manager
Company Secretary
Membership No.: A24619

Date : 22.09.2017
Place : Kanpur

Note: A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy and vote instead of himself / herself and the proxy need not be a member of the Company.

अध्यक्ष का भाषण

प्रिय शेयर धारको,

एलिम्को के निदेशक मंडल की ओर से तथा अपनी तरफ से, मुझे आपके निगम की 44 वीं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने मे प्रसन्नता हो रही है।

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल की तीसरी वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में मुझे वास्तव में बड़ा हर्ष हो रहा है। यह निगम के समग्र विकास तथा उन्नयन के रूप में सन्तोषजनक वर्ष रहा है।

मैं आपकी कंपनी के एक अन्य सफलतापूर्वक वर्ष हेतु सभी हितधारको को शुभकामनाऐं देता हूँ तथा मैं आपके साथ कुछ मील के पत्थरा में साझा होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आपकी कंपनी क्रमशः 240.67 करोड़ रूपये तथा 55.74 करोड़ रूपये **"अत्याधिक टर्नऑवर तथा अधिशेष"** के रूप में प्राप्त कर लिये है। उसी प्रकार, आपकी कंपनी का शुद्ध सामर्थ रू 182.47 करोड़ से बढ़कर 238.21 करोड़ हो गया है तथा नियोजित पूंजी पूर्व वर्ष में रू 199.46 करोड़ से बढ़कर क्रमशः 259.80 करोड़ रूपया हो गया। इसके अलावा कंपनी पांचवे वर्ष भी "उत्कृष्ट" एमओयू रैटिंग प्राप्त करने की आशा कर रही है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने सफलतापूर्वक दो बड़े वितरण शिविरों का आयोजन किया है जिनमें से पहला नवसारी, गुजरात तथा दूसरा बड़ोदरा गुजरात में था उनमें माननीय प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे। इसके साथ ही कंपनी ने वर्ष 2016–17 के दौरान चार गिनीज विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है अर्थात्–

(i) केवल एक स्थान नवसारी में 8 घंटों के अंदर सर्वाधिक व्यक्तियों ने श्रवण यंत्र लगवाये।
(ii) नवसारी में अत्याधिक व्हील चेअर लोगों / इमेज
(iii) एकमात्र नवसारी स्थान पर साथ ही सर्वाधिक तेल लैम्प जलाये गये।
(iv) मणिपुर में 8 घंटों के भीतर अत्यधिक श्रवण यंत्र लगाये गये।

आपका निगम उन बाज़ारों में भी उद्यम के लिए प्रयास कर रहा है जो सरकारी अनुदानों के कारण उत्पन्न व्यवसाय की प्रकृति में नहीं है। ये बिक्री कंपनी द्वारा निरंतर प्रयासों का परिणाम है जिसमें मुख्य रूप डीलर नेटवर्क एवं सीएसआर व्यवसाय शामिल है। 2015–16 में 46.43 करोड़ के गैर–एडिप कारोबार की तुलना में वर्ष 2016–17 में पूर्णत 19.81 करोड़ रूपये की वृद्धि के साथ 66.24 करोड़ रूपये के कारोबार को दर्शाते हुए 42.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।

गैर–एडिप बिक्री का विवरण — **करोड़ रूपये में**

क्र सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
1	राष्ट्रीय संस्थान	11.13	5.93	7.88
2	राज्य सरकार की सीधी बिक्री	9.07	7.09	6.48
3	डीलर एवं फेब्रिकेटिंग एजेंसी	7.63	12.74	24.63
4	सीएसआर, निर्यात, स्केप, अन्य	16.28	20.67	26.02
5	राष्ट्रीय व्योश्री योजना	0.00	0.00	1.23
	योग	**44.51**	**46.43**	**66.24**

समापन से पूर्व, मैं सभी स्तर के अपने कर्मचारियों द्वारा किये गये समुचित प्रयासों के लिए उन्हें हार्दिक रूप से अपनी शुभकामनएं प्रदान करता हूँ जिन्होनें वर्ष 2016–17 में आपकी कंपनी को **"उच्चतम टर्नऑवर तथा अधिशेष"** दर्ज कराने में समर्थ बनाया। मैं बोर्ड के अपने साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होनें अपना कीमती समय निकाला तथा बोर्ड की चर्चा में अपने गहन ज्ञान तथा विभिन्न विषयों पर अपने मार्गदर्शन के साथ–साथ सक्रिय रूप से भाग लिया था जिनका उचित निर्णयों को लेने में बड़ा ही योगदान रहा। मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आपकी कंपनी के निरन्तर विकास एवं विस्तार हेतु दिये गये मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आश्वस्त हूँ कि इस सहायता तथा विश्वास से भविष्य में एलिम्को अनेक मील के पत्थरों तथा नवीनतम ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा।

ह0/–
डी. आर. सरीन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

CHAIRMAN'S SPEECH

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) and on my own behalf, I am pleased to present the 44th Annual Report of the Corporation.

It is indeed a pleasure in presenting the Third Annual Report of my tenure as Chairman & Managing Director of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India. It has been a quite satisfying year in terms of overall development and growth of the Corporation.

I wish to **'Congratulate'** all stakeholders for yet another successful year of your Company and it has been indeed a great privilege to share some of the milestones with you. During the Financial Year 2016-17, your Company clocked **'Highest Ever Turnover and Surplus'** of Rs. 240.67 Crores and Rs. 55.74 Crores respectively. Similarly, the Net Worth of your Company increased to Rs. 238.21 Crores and the Capital employed has increased to Rs. 259.80 Crores from Rs. 182.47 Crores and Rs. 199.46 Crores respectively in previous year. Apart from this, the Company is also expecting to get 'Excellent' MoU rating for the year 2016-17 consecutively for the fifth year. Moreover, the Company has successfully conducted **Two Mega Distribution Camps one in Navasari, Gujarat and second in Vadodra, Gujarat wherein the Hon'ble Prime Minister of India was the Chief Guest.** Furthermore, the Company has also made Four Guinness World Records during the year 2016-17 i.e.

(i) Most People Fitted with Hearing Aid in 8 Hours at Single Location at Navsari

(ii) Largest Wheelchair Logo/Image at Navsari

(iii) Most Oil Lamps Lit Simultaneously at Single Venue at Navsari

(iv) Most People Fitted with Hearing Aid in 8 Hours at Manipur

Your Corporation has been making efforts to venture into the markets which are not in the nature of business generated because of Government Grants. These Sales are a result of continuous efforts by the Company in tapping primarily the CSR business and building up dealer network. In comparison to Non ADIP business of Rs.46.43 Crores in 2015-16, the business in 2016-17 has registered a growth of Rs.19.81 Crores in absolute terms and percentage growth of 42.67% showing a business of Rs.66.24 Crores.

Statement of Non-ADIP Sales

Rs. In Crores

Sl. No.	Particular	2014-15	2015-16	2016-17
1	National Institutes	11.13	5.93	7.88
2	State Government Direct Sales	9.07	7.09	6.48
3	Dealers & fabricating Agency	7.63	12.74	24.63
4	CSR, Export, Scrap, Others	16.28	20.67	26.02
5	Rashtriya Vayoshri Yojana	0.00	0.00	1.23
	Total	**44.51**	**46.43**	**66.24**

Before concluding, I wish to place on record my deep sense of appreciation for the sincere efforts put in by our employees at all levels which enabled your Company to record **'Highest Turnover & Surplus'** during the year 2016-17. I would also like to thank my colleagues on the Board who spared considerable time and participated actively in the deliberations of the Board with their in-depth knowledge and guidance on various issues which greatly contributed in taking appropriate decisions. I gratefully acknowledge the guidance and support extended by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) for continued growth and expansion of your Company. I am sure that with this support and trust, ALIMCO will achieve many more milestones and newer heights ahead in future.

Sd/-
D.R. SARIN,
Chairman & Managing Director,
Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India

वर्ष 2016–17 के लिये निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

आपके निदेशक मण्डल को, निगम के कार्यकलापों पर 44वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके साथ 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षित लेखा प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है।

1. वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान निगम ने टर्नऑवर रू0 240.67 करोड़ दर्ज किया जो वर्ष 2015–16 में 189.36 करोड़ था और रू0 55.74 करोड़ का अधिशेष अर्जित किया जो वर्ष 2015–16 में रू0 46.20 करोड़ था। एलिम्को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (लाभ के उद्देश्य से नही) (पूर्व कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25) के अन्तर्गत पंजीकृत है। अतः कोई लाभांश का वितरण नहीं होता इसलिए व्यय पर आय के आधिक्य को जो कि रू0 55.74 करोड़ था को संचय एवं आधिक्य में समायोजित किया गया तथा इसका इस्तेमाल भविष्य में निगम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संरक्षित किया गया है। उपलब्धि के वित्तीय आँकड़े निम्नवत् हैं।

(रू0 करोड़ में)

विवरण	2016–17 उपलब्धियाँ	2015–16 उपलब्धियाँ	2015–16 से अधिक बढ़ोत्तरी प्रतिशत में
वित्तीय उपलब्धियाँ			
कुल आर्वत	240.67	189.36	27.10%
उत्पादन का मूल्य	245.00	190.98	28.28%
अधिशेष	55.74	46.20	20.65%
शुद्ध सामर्थ	238.21	182.47	30.55%

2. निगम की रूपरेखा

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) अनुसूची सी में, एक मिनीरत्न श्रेणी द्वितीय मे शामिल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (लाभ न कमाने के उद्देश्य के लिए) अन्तर्गत पंजीकृत है (पूर्व कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25) एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति जिनके पास 100 प्रतिशत अंश के साथ भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिये पुर्नवास यंत्र एवम् सहायक उपकरण के

DIRECTOR'S REPORT FOR THE YEAR 2016-17

To,
The Members of,
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA,

Your Directors have pleasure in presenting herewith the 44th Annual Report along with Audited Statement of Accounts of the Company for the financial year ended on 31st March 2017.

1. FINANCIAL HIGHLIGHT

During the Financial year 2016-17, the company has achieved a turnover of Rs. 240.67 crores as against Rs. 189.36 crores in 2015-16 and earned surplus of Rs 55.74 crores as against Rs. 46.20 crores earned surplus in the year 2015-16. ALIMCO, being a Company registered under Section 8 (Not for Profit Motive) of the Companies Act, 2013 (corresponding to Section 25 of the Companies Act 1956) is not expected to pay any dividend. The excess of income over expenditure amounting to Rs 55.74 crores has been carried forward to the Reserve and Surplus Account for utilization and furtherance of its objectives of the Corporation. The performance figures under report are given as under :

(Rs. In Crores)

Particulars	2016-17 Achievements	2015-16 Achievements	% increase over 2015-16
FINANCIAL PERFORMANCE			
Turnover	240.67	189.36	27.10%
Value of Production	245.00	190.98	28.28%
Surplus	55.74	46.20	20.65%
Net Worth	238.21	182.47	30.55%

2. CORPORATE PROFILE

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) is a Schedule 'C' Miniratna Category II Central Public Sector Enterprises, registered under Section 8 (Not for Profit motive) of the Companies Act 2013, (corresponding to Section 25 of the Companies Act, 1956) is functioning under the Administrative Control of Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities. It is 100% owned Govt. of India Central Public Sector Enterprises with an objective of benefiting the disabled persons to the

निर्माण से और देश के विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और अन्य पुर्नवास यंत्र की उपलब्धिता, उपयोग, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने और विकास के द्वारा अधिकतम सीमा तक सहायता करने के उद्देश्य से कार्य करती है। लाभप्रदता निगम का उद्देश्य नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य उचित मूल्य पर विकलांग व्यक्तियों को बढ़ी संख्या में बेहतर गुणवत्ता वाले यंत्र एवं उपकरण प्रदान करना है। निगम ने कृत्रिम अंगों के उत्पादन का कार्य सन् 1976 से आरम्भ किया था। निगम की कुल चार सहायक उत्पादन केन्द्र जो कि भुवनेश्वर (उड़ीसा), जबलपुर (मध्य प्रदेश), बैंगलूरू (कर्नाटक) और चनालोन (पंजाब) में स्थित है। निगम द्वारा उज्जैन में एक नई उत्पादन इकाई के लिए नीव डाली गई जिसके लिए आधुनिक सहायक उपकरण जैसे मोटराइज ट्राई साइकिल बनाई जा सके वहाँ सिविल निर्माण कार्य की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त निगम के चार क्षेत्रीय विपणन केन्द्र है। जो कि नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई तथा हैदराबाद में स्थित है तथा निगम का एक आउटरीच सेन्टर जो कि गुवाहाटी में स्थित है।

यह एक ऐसा निगम है जो कि विकलांगो के लिए एक ही छत के नीचे विविध प्रकार के सहायक उपकरणों के निर्माण में लगा हुआ है।

maximum extent possible by manufacturing Rehabilitation Aids for persons with disabilities and by promoting, encouraging and developing the availability, use, supply and distribution of Artificial Limbs and other Rehabilitation Aids to the disabled persons of the country. Profitability is not the motive of the operations of the Corporation and its main thrust is in providing better quality of Aids & Appliances to larger number of disabled persons at reasonable price. The Corporation started manufacturing artificial aids in 1976. At present it has four Auxiliary Production Centres (AAPCs) situated at Bhubaneswar (Orissa), Jabalpur (M.P.), Bengaluru (Karnataka), and Chanalon (Punjab). The foundation stone has been laid down for a new production unit in Ujjain for manufacturing modern assistive device like Motorized Tricycle, the civil construction work is under process. The Corporation has four Marketing Centres at New Delhi, Kolkata, Mumbai, & Hyderabad and one Outreach Centre at Guwahati.

The Corporation is the only manufacturing company producing various types of assistive devices under one roof to serve all types of disabilities across the country

3. पूंजीगत ढाँचा

आपके निगम की 31 मार्च 2017 को अधिकृत पूंजी रू0 6000 लाख तथा प्रदत्त पूंजी रू0 5409.97 लाख थी। आपके निगम की समस्त प्रदत्त पूंजी भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पास रखी हुई है।

3. CAPITAL STRUCTURE

The Authorized Capital and Paid up Capital of the Corporation as on 31st March 2017 were Rs.6000 lakhs and Rs.5409.97 lakhs respectively. The entire paid up share capital of your Corporation is held by Government of India in the name of the President of India.

4. वर्ष 2016–17 में निगम के भौतिक उपलब्धि के परिमाणात्मक आँकड़े निम्न प्रकार हैं :

4. THE QUANTITATIVE FIGURES SHOWING PHYSICAL PERFORMANCE OF THE CORPORATION FOR THE YEAR 2016-17 ARE GIVEN BELOW

(Rs. in Crores)

	भौतिक उपलब्धि (महत्वपूर्ण उत्पादों की भौतिक उपलब्धियाँ)	PHYSICAL PERFORMANCE (Physical Performance of Important Products)	Production (In Nos.)		% Increase over 2015-16	Sales (In Nos.)		% Increase over 2015-16
			2015-16	2016-17		2015-16	2016-17	
1	ट्राई साइकिल	Tricycle	80,490	92,970	15.51%	78,598	98,761	25.65%
2	व्हील चेयर	Wheel Chairs	41,309	48,905	18.39%	44,536	43,216	-2.96%
3	क्रचेस	Crutches	62,991	80,779	28.24%	67,272	74,564	10.84%
4	प्रोस्थेटिक अपर एवं लोअर किट्स एवं कम्पोनेन्ट	Prosthetic Upper & Lower Kit & Components	29,180	39,655	35.90%	13,940	38,238	174.30%
5	आर्थोटिक लोअर (किट्स एवं कम्पोनेन्ट)	Orthotic Lower Kits & Components	10,379	23,948	130.74%	67,352	31,907	-52.63%
6	श्रवण यंत्र	Hearing Aids	48,544	1,21,367	150.01%	49,367	1,14,953	132.85%

COMPARATIVE VALUE OF PRODUCTION DURING FIVE PRECEEDING YEARS

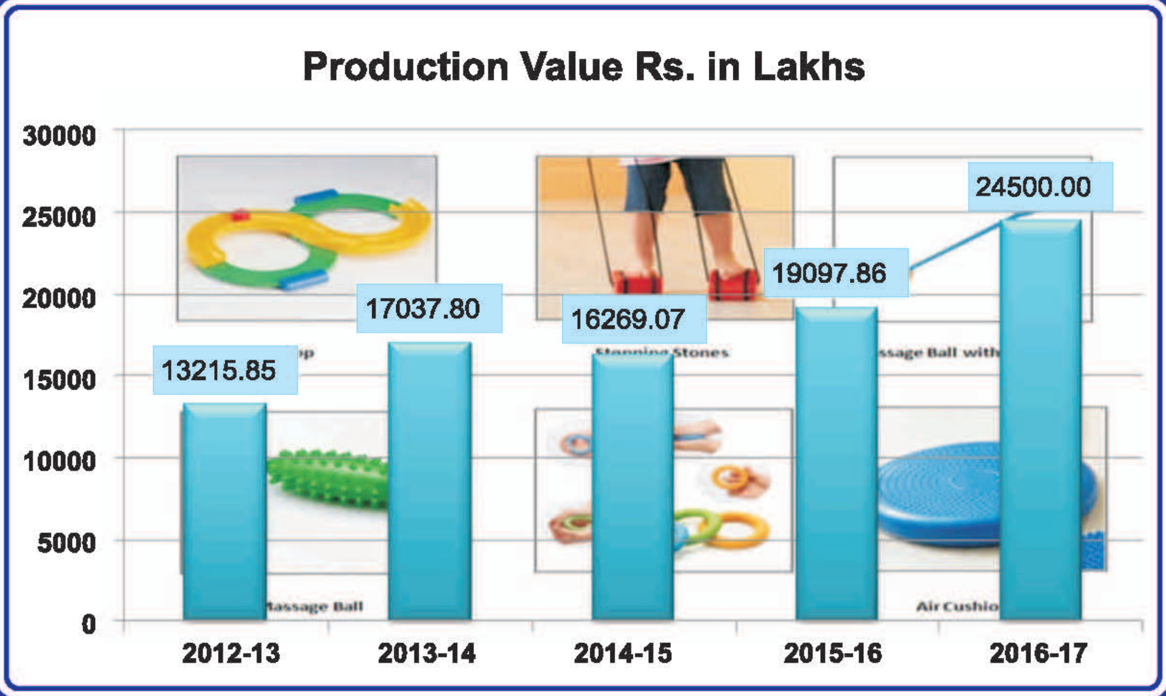

COMPARATIVE VALUE OF SALES & SERVICES DURING FIVE PRECEEDING YEARS

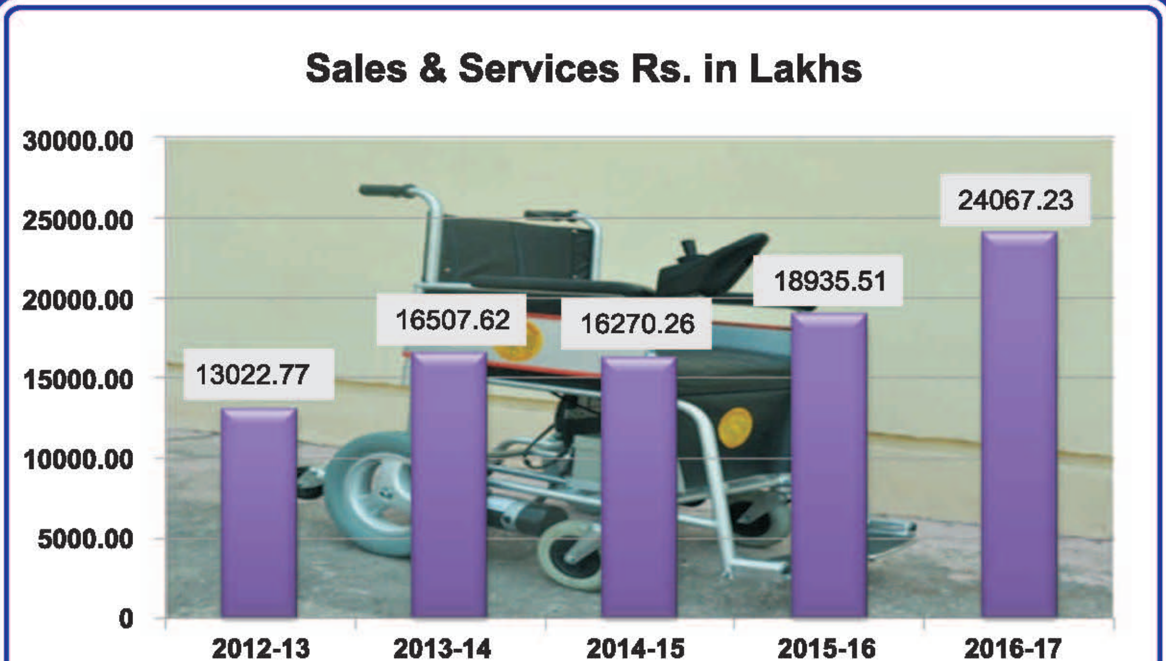

5. विक्रय ढाँचा

वित्तीय वर्ष 2016–17 में विक्रय ढ़ाँचा इस प्रकार है

रू. करोड़ में

क्रेता की श्रेणी	2016–17 की बिक्री	2016–17 का प्रतिशत भाग	2015–16 की बिक्री	2015–16 का प्रतिशत भाग
राष्ट्रीय संस्थान	7.88	3.27%	5.93	3.13%
एडिप एवं कोकलियर	124.68	51.81%	84.45	44.60%
एस.एस.ए. (60%)	30.42	12.64%	35.65	18.83%
एस.एस.ए. (40%)	19.33	8.03%	22.83	12.06%
राज्य सरकार के सीधी खरीदारी	6.48	2.69%	7.09	3.74%
डीलर, फेब्रीकेशन	24.63	10.23%	12.74	6.73%
सीएसआर, निर्यात, द्विपक्षीय, अवशेष एवं अन्य	26.02	10.81%	20.67	10.91%
राष्ट्रीय वायोश्री योजना	1.23	0.52%	0.00%	0.00%
कुल योग	**240.67**	**100%**	**189.36**	**100%**

नोट :

रू (करोड़ में)

विवरण	2016–17 की बिक्री	2015–16 की बिक्री
GIA से जुटाए संसाधन	155.10	120.10
GIA के अलावा जुटाए संसाधन	85.57	69.26
कुल	**240.67**	**189.36**

5. SALES PATTERN

The sales pattern during the year 2016-17 was as under :

Rupees in Crores

Buyer Category	Sales of 2016-17	% age share 2016-17	Sales of 2015-16	% age share 2015-16
National Institutes	7.88	3.27%	5.93	3.13%
ADIP & Cochlear	124.68	51.81%	84.45	44.60%
S S A (60%)	30.42	12.64%	35.65	18.83%
S S A (40%)	19.33	8.03%	22.83	12.06%
State Govt. Direct Purchases	6.48	2.69%	7.09	3.74%
Dealers, Fabrication	24.63	10.23%	12.74	6.73%
CSR Export, Bilateral, Scrap & others	26.02	10.81%	20.67	10.91%
Rashtriya Vayoshri Yojana	1.23	0.52%	0.00	0.00%
TOTAL	**240.67**	**100%**	**189.36**	**100%**

NOTE :

Rupees in Crores

Particular	Sales of 2016-17	Sales of 2015-16
Resource Mobilized from GIA	155.10	120.10
Resource Mobilized other than GIA	85.57	69.26
TOTAL	**240.67**	**189.36**

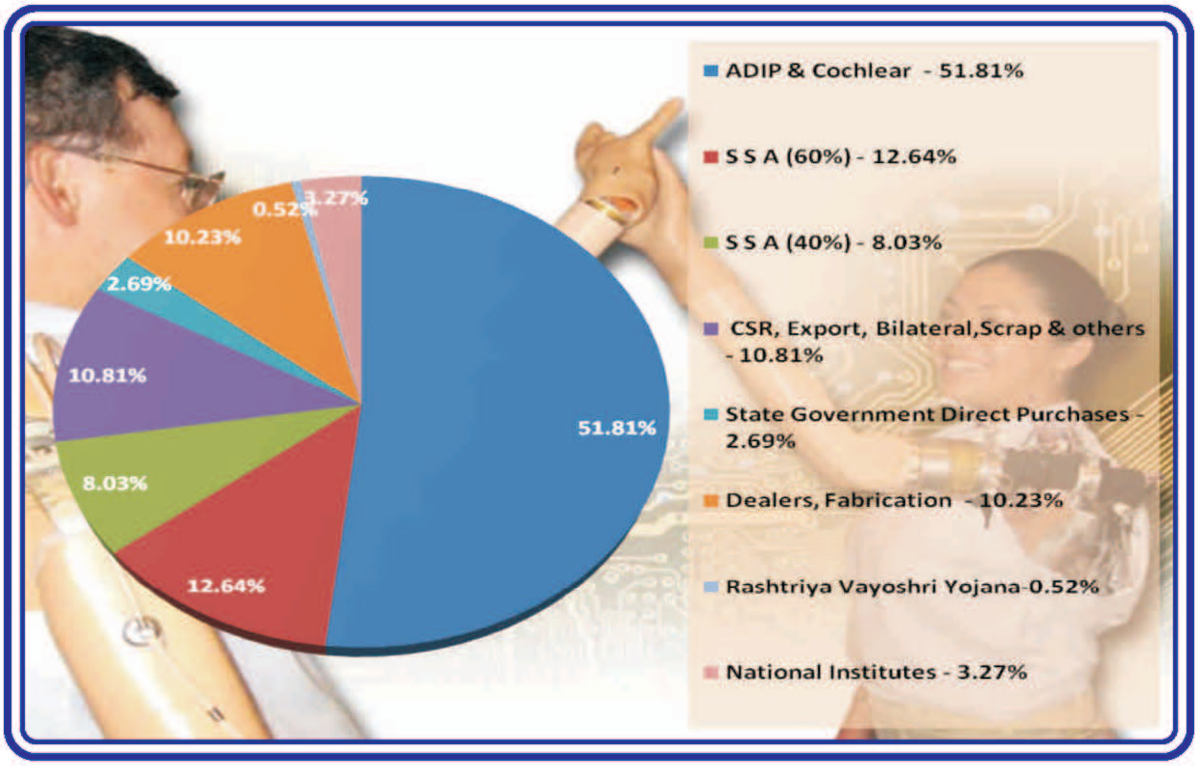

6. एम ओ यू मूल्याकंन

2012–13 से निगम उत्कृष्ट रेटिंग जो की डीपीई द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति पर प्राप्त करता आ रहा है। निगम ने 2016–17 के एमओयू के मापदंडों के आधार पर डीपीई द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर विचार–विर्मश के उपरान्त 9 जनवरी 2017 को निगम तथा विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे। निगम द्वारा आंतरिक मूल्यांकन तथा विधिवत रूप से वर्णित लेखों एवं प्रमाणन के आधार पर निदेशक मंडल के समकक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी में 5वें वर्ष के लिए लगातार उत्कृष्ट रेटिंग मिलने की उम्मीद है।

7. निर्यात उपलब्धि

निगम ने वर्ष 2016–17 के दौरान अपने उत्पादों को निर्यात नहीं किया जबकि वर्ष 2015–16 में यह निर्यात 1.88 लाख का किया था।

6. MOU WITH GOVERNMENT OF INDIA

Since 2012-13, the Corporation has been getting Excellent rating in fulfilling the targets by DPE on the basis of parameters of MoU of 2016-17, after due deliberation was signed on 09th January 2017 between the Corporation and Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India based on the internal evaluation done and put up before the Board of Directors duly supported by Annual Accounts and certifications. The company is expected to be rated as Excellent continuously for the 5th Year.

7. EXPORT PERFORMANCE

The Corporation has not exported its products in the year 2016-17 in comparison to the total exports for a value of Rs. 1.88 lakhs in the year 2015-16.

8. एडिप शिविर

निगम ने एडिप योजना के अन्तर्गत 28 राज्यों/संघीय राज्यों को कवर करते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 में 315 शिविरों के जरिये 1,19,291 (70.08 प्रतिशत) पुरूषों तथा 50,906 (29.90 प्रतिशत) महिला लाभार्थियों एवं 34 (0.02 प्रतिशत) विपरीत लिंगी को जोकि (कुल 1,70,231 लाभार्थियों) की सेवा के मुकाबले वर्ष 2015–16 में 87,469 (73.98 प्रतिशत) पुरूषों तथा 30,765 (26.02 प्रतिशत) महिला को मिलाकर कुल 1,18,234 लाभार्थियों को 387 शिविरों के जरिये कवर किया है।

वर्ष 2016–17 में आयोजित 315 शिविरों में से, 31 शिविर उत्तर–पूर्वी राज्यों में 12,329 (62.52 प्रतिशत) पुरूषों एवं 7,389 (37.47 प्रतिशत) महिलाओं और 2 (0.01 प्रतिशत) विपरित लिंगीं (कुल 19,720 लाभार्थियों) लाभार्थियों को कवर करते हुए आयोजित किये गये थे, जबकि वित्त वर्ष 2015–16 में 3,576 (67.19 प्रतिशत) पुरूषों एवं 1,746 (32.81 प्रतिशत) महिला लाभार्थियों (कुल 5,322 लाभार्थियों) को 25 शिविरों के तहत लाभ दिया गया था।

8. ADIP CAMP

The Corporation has covered 1,19,291 (70.08%) male, 50,906 (29.90%) female and 34 (0.02%) transgender beneficiaries, totaling to 1,70,231 beneficiaries' equipment-wise in the financial year 2016-17 under ADIP scheme through 315 camps covering 28 States/UTs as against 87,469 (73.98%) male and 30,765(26.02%) female beneficiaries, totaling to 1,18,234 beneficiaries served through 387 camps conducted in Financial Year 2015-16.

Out of 315 camps conducted in the year 2016-17, 31 camps were held in North Eastern States covering 12,329 (62.52%) male, 7,389 (37.47%) female and 2 (0.01%) trans-gender beneficiaries (total 19,720 beneficiaries) as against 3,576 (67.19%) male and 1,746 (32.81%) female beneficiaries (total 5,322 beneficiaries) for 25 camps in Financial year 2015-16.

GLIMPSES OF ADIP CAMP PHOTOGRAPHS

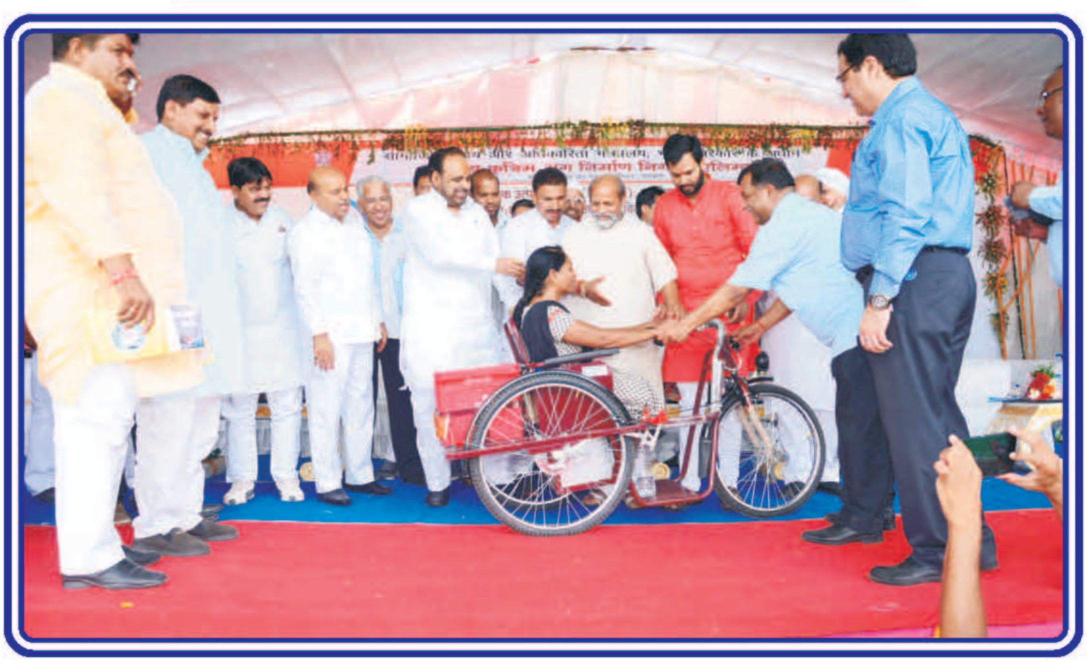

Hon,ble Union Minister distributing Motorised Tricycle manufactured by ALIMCO to the beneficiary under the ADIP Scheme during the distribution camp held in Ujjain on 04.06.2016.

Hon,ble Union Minister distributing Assistive devices manufactured by ALIMCO to the beneficiary under the ADIP Scheme during the distribution camp held in Shimoga (Karnataka) on 16.09.2016

Hon'ble Prime Minister addressing the gathering at ADIP distribution camp conducted in Navsari, Gujarat on 17.09.2016

Hon,ble Prime minister distributing Motorised Tricycle manufactured by ALIMCO to the beneficiary under the ADIP Scheme during the distribution camp held in Navsari, Gujarat on 17.09.2016

Hon,ble Prime Minister distributed Wheelchair manufactured by ALIMCO to the beneficiaries during the distribution camp. Also present are the Hon. Governor of Gujarat Shri O P Kohli, Hon. Chief Minister of Gujarat Shri Vijay Rupani, Hon'ble Union Minister of Social Justice and Empowerment Shri Thaawarchand Gehlot alongwith other dignitaries in Navasari on 17.09.2016

Hon,ble Union State Minister distributing Wheel chairs manufactured by ALIMCO to the beneficiary under the ADIP Scheme during the distribution camp held in Allahabad on 19.09.2016.

Hon'ble Prime Minister talking to Motorize Tricycle Beneficiary during ADIP mega distribution camp in Vadodara on 22.10.2016

High-end Prosthesis manufactured by ALIMCO-OTTOBOCK collaboration is being fitted by CMD, ALIMCO during ADIP mega distribution camp in Vadodara on 22.10.2016

Hon,ble Prime Minister distributed Wheelchair manufactured by ALIMCO to the beneficiaries during the distribution camp in Vadodara on 22.10.2016

Hon,ble Union Minister during the distribution camp held in Imphal on 05.11.2016

9. एडिप–एस एस ए शिविर

एडिप–एस एस ए योजनान्तर्गत 783 शिविरों का आयोजन किया गया जिनमें से 47,110 (64.19 प्रतिशत) पुरूष तथा 26,282 (35.81 प्रतिशत) महिला, कुल 73,392 लाभार्थियों को उपकरण वित्तीय वर्ष 2016–17 में 6–14 आयु वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 22 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में दिया गया जबकि 51,200 (64.06 प्रतिशत) पुरूष तथा 28,726 (55.94 प्रतिशत) महिला कुल 79,926 सी डब्ल्यू एस एन में वित्तीय 2015–16 में 1,310 शिविरों के दौरान कवर किया गया।

वर्ष 2016–17 में 783 शिविरों में से 61 शिविर उत्तरी–पूर्वी राज्यों में आयोजित किये जिसमें 2,848 (66.09 प्रतिशत) पुरूष तथा 1,461 (33.91 प्रतिशत) महिलाएं कुल 4,309 लाभार्थियों के मुकाबले वर्ष 2015–16 में 171 शिविरों में 3,381 (60.28 प्रतिशत) पुरूष तथा 2,228 (39.72 प्रतिशत) महिला लाभार्थी कुल 5,609 लाभार्थियों को शामिल किया गया।

9. ADIP SSA CAMP

Under ADIP-SSA Scheme, 783 camps were organized in which 47,110 (64.19%) male and 26,282 (35.81%) female totaling to 73,392 beneficiaries equipment-wise in the Financial Year 2016-17 for children with special needs in the age group of 06-14 years were served covering 22 States/UTs, as against 51,200 (64.06%) male and 28,726 (55.94%) female totaling to 79,926 CWSN served in 1,310 camps during the Financial Year 2015-16.

Out of 783 camps, 61 camps conducted in the year 2016-17 were held in North Eastern States covering 2,848(66.09 %) males and 1,461 (33.91%) females totaling 4,309 beneficiaries as against 171 No. of camps covering 3,381 (60.28%) male and 2,228 females (39.72%) beneficiaries totaling to 5,609 beneficiaries in the financial year 2015-16.

10. लिंग के अनुसार एडिप और एडिप–एस एस ए शिविर

कुल मिलाकर वर्ष 2016–17 में एलिम्को द्वारा एडिप और एडिप सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत 1,098 शिविरों में 1,66,401 (68.30 प्रतिशत) पुरूष तथा 77,188 (31.68 प्रतिशत) महिला एवं 34 (0.01 प्रतिशत) विपरित लिंगीं लाभार्थी कुल 2,43,623 लाभार्थियों के उपकरण के बाँटे गये जबकि 2015–16 में 1697 शिविरों द्वारा 1,38,669 (69.98 प्रतिशत) पुरूष एवं 59,491 (30.02 प्रतिशत) महिला लाभार्थियों को मिलाकर कुल 1,98,160 लाभार्थियों को शामिल किया गया।

10. GENDERWISE ADIP AND ADIP SSA CAMP

ALIMCO has organized 1,098 camps and covered 1,66,401 (68.30%) males, 77,188 (31.68%) females and 34 (0.01%) transgender beneficiaries' equipment-wise (total 2,43,623 beneficiaries) under the ADIP as well as ADIP-SSA Scheme in 2016-17 as against 1,38,669 (69.98%) males and 59,491 (30.02%) (Total 1,98,160 beneficiaries) covered in the year 2015-16 through 1,697 camps.

11. द्विपक्षीय गतिविधियाँ

वर्ष 2016–17 के दौरान निगम द्वारा 2.91 एमटी, द्विपक्षीय समझौते के तहत इंडो–यूएस/यूके/स्वीडन/स्विस/जर्मनी से किया। जबकि वर्ष 2015–2016 में 2.42 रिलीफ कार्गो का आयात किया गया।

11. BILATERAL ACTIVITIES

Corporation has cleared and handled 2.91 MT of relief cargo imported under Indo USA/UK/Sweden/Swiss/Germany Bilateral Agreement during the year 2016-17 as against 2.42MT cargo cleared and handled during the year 2015-16.

12. नये उत्पादों का विकास

(अ) लम्बों सेकरल (एल एस) बैल्ट

एलएस बैल्ट कार्य एवं यात्रा के घंटों की अधिकता के दौरान बहुत आरामदायक रहती जो लंबर स्पोंडलाइटिज, ओसटिओम्पोरेटिक दर्द से पीड़ित होते है।

12. NEW PRODUCTS DEVELOPMENT

(A) LUMBO SACRAL (L.S.) BELT

L.S. Belt is very useful for patients suffering from Lumber spondylitis, osteoporetic pain of the lumber spin and also gives comfort during long working hours & travel. Base of the belt should coincide with nape of the spine center of the back pad be located on the center of the vertebral column of the spine.

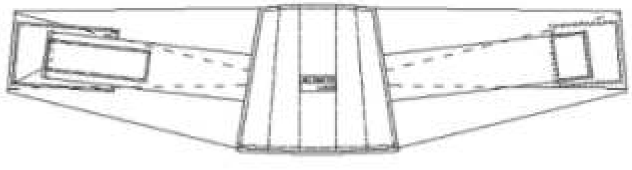

Overall Dimensions:-

Size	Length	Width
Large	910 ±5mm	240 ±5mm

(ब) कालर सरवाईकल फलेक्सों पीयू

कॉलर सरवाईकल स्पोडाइलिट्स स्टिफ गर्दन एवं निवारण तथा व्हिप लैस चोटों के इलाज में रोगी के लिए बहुत लाभदायक हैं। डिस रोग, गर्दन स्प्रेन अन्य हड्डियों/नसों की हालत में जहाँ सरवाईकल हिस्सों में सहायता की आवश्यकता होती हैं। इसके लिए हमेशा कहा जाता है कि रोगी को अत्यधिक लम्बी यात्रा एवं क्रियाकलाप के दौरान उपयोग करना चाहिए।

(B) COLLAR CERVICAL FLEXO PU

This Collar is very useful for patient suffering from cervical spondylitis, Disc disease, Neck sprain/stiff neck & prevention and treatment of whip lash injuries. Other ortho/neuro conditions where support or immolailazation to the cervical region is required. It is always recommended that patient must use while travelling and excessive activity.

Overall Dimensions:-

Size	Length	Width
Large	550 ±5mm	120 ±5mm

(स) संशोधित ज्वायस्टिक प्रचालित व्हीलचेयर

यह दिव्यांगजनों के चलने हेतु एक बहुत किफायती एवं लाभदायक मॉडल है। एक बार चार्ज करने पर इससे 12 से 15 कि.मी. तक जा सकते हैं। यह केवल घर के अंदर उपयोग हेतु उपयुक्त है।

(C) JOYSTICK OPERATED WHEELCHAIR MODIFIED

It is very cost effective model useful for mobility of physically challenged person. In a single charge it can go upto 12 to 15 KM. it is suitable for indoor movement only.

Overall Dimensions:-

Length	1140 ± 10mm
Width	640 ± 10mm
Height	940 ± 10mm

(द) संशोधित केन वल्किंग टेट्रपोड/टेरीपोड

यह अस्थि दिव्यांगता व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों के चलने में लाभदायक है

(D) CANE WALKING TETRAPOD/TRIPOD MODIFIED

It is helpful for walking of orthopedically impaired person & Senior Citizen.

Overall Dimensions:-

Length fully withdrawn	680 ± 5mm
Length fully Extended	880 ± 5mm

(य) समायोज्य एक्जिला क्रय

पीयू मोल्डिड एक्जिला टॉप एवं रबड़ीकृत हैंड ग्रिप को एक्जिला क्रचेज के संशोधित डिजाइन में शामिल किया गया हैं। यह चलने में अस्थि दिव्यांगजन एवं प्रोसथेटिक्स व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिक को अधिक आराम देता हैं।

(E) ADJUSTABLE AXILLA CRUTCH

PU Moulded Axilla Top & rubberized Hand grip is incorporated in modified design of Axilla Crutches. It will be give more comfort to orthopedically impaired & Prosthetics person & senior citizen during movement.

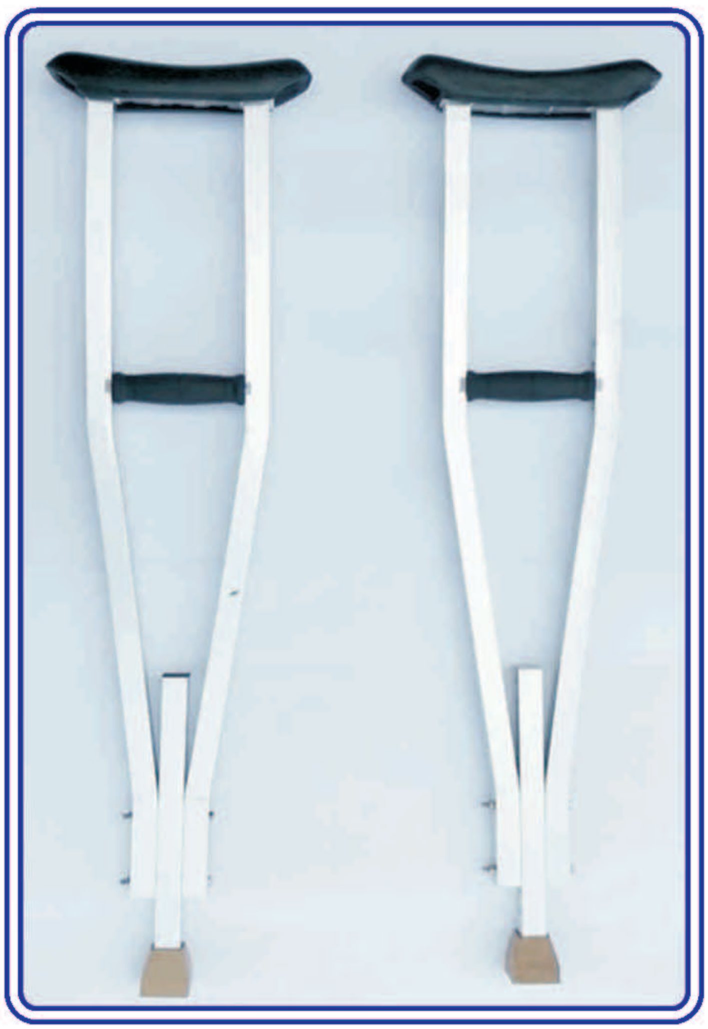

Overall Dimensions:-

Size	Length fully withdrawn	Length fully Extended
III	1025 ±10mm	1225±10mm
IV	1250±10mm	1450±10mm

13. आई.एस.ओ. 9001–2015 प्रमाणीकरण

निगम ने अपने गुणवत्ता प्रणाली दस्तावेजों को अद्यतन कर लिया था। कंपनी अपनी गुणवत्ता में सतत् सुधार करने हेतु प्रतिबद्ध है। एलिम्को के गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में संगठन के तत्वों जैसे व्यक्ति, कार्य वातावरण, संसाधन एवं अवसंरचना, ग्राहकों की आवश्यकता तथा सुरक्षा विषय को शामिल किया जाता है। एलिम्कों का आईएसओ 9001: 2008 प्रमाणन जुलाई, 2017 तक वैध था। निगम ने अगले तीन वर्षों हेतु आईएसओ 9001: 2015 हेतु आवेदन कर दिया है।

14. एलिमको के उत्पादों पर आई. एस. आई. चिन्ह

हम गुणवत्ता कार्यक्रमों महत्वपूर्ण निवेष के जरिये अपने प्रिय ग्राहको को प्रदायगी का हमारा कार्य सतत् चल रहा है। हमने अनेक बाहरी बैचमार्क तथा प्रमाणन को अपना लिया है। निगम ने एलिम्को द्वारा विकसित तथा उत्पादित सर्जीकल जूते, ट्राईसाईकिल (बच्चा आकार) तथा मोटरीकृत व्हील चेअर के मामले में भारतीय मानक को तैयार करने हेतु भी अपना लिया है। भारतीय मानक ब्यूरों लखनऊ शाखा ने आई एस 16127 : 2013 के अनुसार कान के पीछे श्रवण सहायक डिजिटल हेतु आईएसआई चिन्हित लाईसेंस प्रदान किया है। अब, निगम के पास 17 श्रेणी के उत्पादों पर आई एस आई चिन्हित हेतु बीआईएस का लाइसेंस है तथा सभी लाइसेंसों की वर्षानुवर्ष समीक्षा की जाती है।

15. औद्योगिक सम्बन्ध

नगम में औद्योगिक सम्बन्धों का वातावरण अत्यन्त शान्त, स्वस्थ और सहज व सुचारू रहा है। निगम ने सहकारी भाव की संस्कृति को अपने प्रबन्धन में और जारी रखने को प्रोत्साहित किया है तथा सलाह लेने की प्रक्रिया से सम्बन्धों को सामान्जस्य पूर्ण बनाने की पुरजोर कोशिश की है। वर्ष के दौरान निगम ने औद्योगिक सम्बन्ध की समस्या की कोई कमी नही होने के कारण से किसी भी एक व्यक्ति के समय को नष्ट नहीं किया है।

13. ISO 9001:2015 CERTIFICATION

The Corporation updated its Quality Management System Documents. The Company is committed to continuous improvement in its Quality. The Quality Management System of ALIMCO encompasses all the elements of the organization, including people, work environment, resources and infrastructure, customers' requirements, and safety issues. The ISO 9001:2008 certification of ALIMCO was valid upto July 2017. The Corporation has applied for certification of ISO 9001:2015 for a period of three years.

14. ISI MARKING ON ALIMCO PRODUCTS

We continue our journey of delivery values to our esteemed clients through significant investment in quality programs. We have adopted several external benchmarks and certification. The Corporation has applied for formulation of Indian Standard in case of Surgical Boots, Tricycle (child size) and Motorized wheel Chair developed and produced by ALIMCO. Bureau of Indian Standards, Lucknow Branch office has granted ISI Marking License on Behind the Ear Hearing Aid-Digital as per IS: 16127:2013. The Corporation holds licenses by BIS for ISI marking on 17 categories of products and all licenses are renewed on year to year basis.

15. INDUSTRIAL RELATIONS

The Industrial relations scenario in the Corporation has been peaceful, harmonious and cordial. The Corporation continues to encourage participative culture in its management through consultative approach by establishing harmonious relations. The Corporation has not lost single man hour during the year due to any sort of Industrial Relation problem.

16. प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी

प्रबन्धन में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखते हुए दो शॉप–स्तरीय तथा तीन प्लांट स्तरीय समितियाँ श्रमिकों एवं प्रबन्धन की बराबर–बराबर भागीदारी में गठित की गयी हैं जो निगम में क्रियाशील हैं। यह समितियाँ, विषय–वस्तु पर शासकीय दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यरत हैं।

16. WORKERS' PARTICIPATION IN MANAGEMENT

With a view to have active participation of workmen in management, two Shop Level Committees and three Plant Level Committees with equal representations of workers and management are functioning in the Corporation.

17. कर्मचारियों हेतु कल्याण कार्य

अपने कर्मचारियों के कल्याण हेतु समुचित देखभाल के आशय से आपके निगम ने अनेकों कल्याणकारी कार्य अपने हाथ में लिये हैं जिसमें प्रबन्धन के साथ यूनियन पदाधिकारियों की बैठकें करना, 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष एवं 35 वर्ष अनवरत् सेवाकाल के उपरान्त सेवा उपहार प्रदान करना और सुरक्षात्मक कपड़ों/वर्दी आदि का वितरण करना शामिल है।

17. WORKERS' WELFARE

Further, to look after employees' welfare, your Corporation has taken up series of welfare measures e.g. holding meetings of management with trade union office bearers, award of service gifts on completion of 15 years, 20 years, 25 years, 30 years and 35 years of service, and distribution of Protective Clothing/Uniform.

18. जनशक्ति

आपके निगम द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों की भर्ती के सम्बन्ध में भारत सरकार के द्वारा समय पर निर्गत निर्देशों का पूर्णरूप से अनुपालन किया जा रहा है। 31 मार्च, 2017 को कर्मचारियों की कुल संख्या 300 थी।

18. MANPOWER

The directives given by the Government of India from time to time with regard to the recruitment of SC, ST and OBC are being fully observed in your Corporation. There is no backlog in any of the category. Total Number of employees as on 31st March 2017 stood at 300.

19. दिव्यांग कर्मचारी

एलिम्को विशेषरूप से 31 मार्च, 2017 तक 18 विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देकर एक आदर्श नियोक्ता के रूप में साबित हुआ है, जिनमें 01 नेत्रहीन दिव्यांग, 03 बधिर दिव्यांग और 14 शारीरिक दिव्यांग हैं जो कि कुल कमचारियों की संख्या का 6 प्रतिशत है।

19. DISABLED EMPLOYEES

ALIMCO as a model employer especially for the disabled, total number of Disabled employees as on 31st March 2017 stood at 18 disabled personnel out of whom 01 is visually handicapped, 03 are hearing handicapped and 14 are orthopedically handicapped which today constitutes 6% of its total strength.

20. भूतपूर्व सैनिक

निगम ने भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती हेतु नीतिगत प्राविधान लागू है। आपकी कम्पनी में 31मार्च, 2017 को 1 भूतपूर्व सैनिक कार्यरत हैं।

20. EX-SERVICEMAN

As per the policy, due reservation for recruitment of Ex-servicemen exists. At present your company has 01 Ex-servicemen on its rolls as on 31.03.2017.

21. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़े वर्ग के कर्मचारीगण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के आरक्षण निर्देशों के अनुपालन का निगम अधिकतम प्रयास करता है। इन वर्गों के लिए आरक्षित स्थान इन्हीं वर्गों से भरे जाते हैं।

21. SC/ST/OBC EMPLOYEES

In accordance with Government of India's directives in the matter of reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes, the Corporation has been making sustained efforts to ensure that the posts of SC/ST/OBC are filled up by candidates belonging to respective category only.

22. अन्तर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस

निगम के विकलांग कर्मचारियों द्वारा निगम की प्रगति में किये गये महत्वपूर्ण योगदान के लिए 03 दिसम्बर, 2016 को "अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस" मनाया गया। श्री डी.आर. सरीन, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एलिम्को, ने दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा किये गये योगदान एवं अतिश्रेष्ठ कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की। इस अवसर पर प्रबंधन द्वारा 19 विकलांगों को उनकी उत्कृष्ट–सेवाओं के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किये गये।

22. INTERNATIONAL DAY FOR PERSONS WITH DISABLITIES

Your Corporation celebrated "International Day for Persons with Disabilities" on 03 December, 2016 in recognition of contribution being made by the disabled employees for their share in the growth of the Corporation. Management appreciated the disabled employees for their outstanding work. Mementos were distributed to 19 disabled employees by the management in recognition of their services to the Corporation.

23. राष्ट्रभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन

सरकारी भाषा अधिनियम 1963 के अनुसार और आधिकारिक भाषा गृह मंत्रालय भारत सरकार के क्रियान्वयन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार नीति के प्रावधानों के अनुरूप एलिम्को ने निगम में राजभाषा हिन्दी का पत्र और आत्मा में कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक कार्यक्रम गम्भीरतापूर्वक लागू किये जा रहे हैं। तिमाही हिन्दी की रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारियों को ऑनलाइन द्वारा समय पर भेजी जा रही है।

निगम के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सभाओं के द्वारा आधिकारिक भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक पूरी तौर से जीवंत और कार्यात्मक एलिम्को आधिकारिक भाषा समिति जो निगम के सभी विभागाध्यक्षों के एक सदस्य के रूप में उनके विभाग का प्रतिनिधित्व हमारे अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में गठित किया गया है। प्रत्येक तिमाही समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिसमें निगरानी और निगम में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति का आंकलन हमारे अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता के तहत किया जा रहा है।

विभिन्न पत्रों, कार्यालय आदेश, परिपत्र, निविदाएँ, विज्ञापन आदि द्विभाशी रूप में जारी किये गये हैं। सभी पत्रो को हिन्दी में स्वीकृत किया जाता है और उनका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। सभी नियमावली, प्रक्रियायें, विनियम द्विभाषी हैं। विभिन्न नीतियाँ भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में हैं। निगम की योजनाओं के बारे में सभी मुद्रित सामग्री भी हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित कर रहे हैं। सभी प्रारूप और स्टेशनरी द्विभाषी हैं।

23. OFFICIAL LANGUAGE (HINDI) IMPLEMENTATION

In consonance with the provisions of the policy of Official Language Act 1963, and as per directions of Official language Implementation Department of Ministry of Home Affairs, Govt. of India, ALIMCO is committed to the implementation of Rajbhasha Hindi in the Company in letter and spirit. The Annual Programme for every year is being implemented sincerely. The Quarterly Hindi Progress Reports are being sent to concerned authorities in time online.

All officers and employees of the Corporation are being encouraged for the use of Official Language through various Training programmes and seminars. A fully vibrant and functional ALIMCO official Language Committee has been constituted under the Chairmanship of our CMD, in which all the HODs of the Corporation represent their Department as a member of the Committee. The regular meetings of the Committee are being held every Quarter, wherein the monitoring and assessment of position of use of Official language in the Corporation is being done under the Chairmanship of CMD.

Various letters, office-orders, Circular, Tenders, Advertisements etc. are issued bilingually. All the letters received in Hindi are strictly replied in Hindi as per rules. All the Manuals, Procedures, Regulations are in bilingual. Various policies are also in Hindi and English both. All printed materials about the Schemes of the Corporation are also published in Hindi & English. All the Format and Stationary are bilingual.

24. मानव संसाधन एवं विकास

कंपनी अपने निपटान पर बौद्धिक पूंजी की गुणवत्ता हेतु अत्यधिक प्राथमिकता से जुड़ी है तथा विश्वास करती है कि उसके कर्मचारियों का ज्ञान तथा कौशल इसके कारपोरेट मिशन की उपलब्धियों हेतु कुंजी है। एलिम्को ठोस भर्ती नीति तथा व्यापक प्रशिक्षण प्रणाली की धनी है। पिछले एक वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने मानव संसाधन विकास पर ओर अधिक जोर दिया है। हम कौशल कार्यबल बनाने में पर्याप्त संसाधन लगा रहे है जो सदैव परिवर्तित कारोबार वातावरण द्वारा दिखाये गये मदों का मुकाबला करने तथा सदैव ग्राहक आधार वृद्धि की सेवा हेतु प्रस्तुत अवसरों का लाभ लेने के लिए सहज क्षमता रखती हो कंपनी अनेक प्रशिक्षण तथा विकास गतिविधियाँ आयोजित कर रही हैं जो बृहदतर संगठनात्मक प्रयोजन की ओर कर्मचारियों को पुनः उन्मुखी बनाने के अलावा किसी कौषल अंतर तथा तकनीकी अवरोध को दूर करने पर भी ध्यान दे रही है। प्रषिक्षण पर प्रबंधन का दृष्टिकोण कर्मचारी के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है तथा व्यापक उत्पादक संसाधन बनाने में उनको समर्थ बनाना है। वर्ष 2016–17 में कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के विषय निम्नानुसार भाग लिया है :–

(क) सूचना का अधिकार एमआईएस पोर्टल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

(ख) सीपीएसयू के नोडल/संपर्क अधिकारियों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में तीन दिवसीय कार्यशाला

ग) भुगतान के डिजीटल तरीके एवं व्यक्तित्व विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

25. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन

आपके निगम ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया है जो सामान्य नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है ताकि उत्तरदायित्व का भाव व पारदर्शिता बनी रहे। कम्पनी ने सदैव यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के समस्त प्रावधान लागू हों। निगम के कार्यों के साथ–साथ इसके पदाधिकारियों आदि का विवरण निगम की वेबसाइट (www.alimco.in) पर रखा गया है। अधिनियम के तहत आवश्यक निर्देश तैयार किया गया है और इसे वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अधिनियम के तहत निगम ने महा प्रबंधन (मार्केटिंग) को अपील प्राधिकरण तदपुरान्त ए.के. श्रीवास्तव को अपील प्राधिकरण और वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) को जन सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

24. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

The Company attaches the highest priority to the quality of intellectual capital at its disposal and believes that knowledge and skill of its employees are the key to achievements of its corporate mission. ALIMCO has sound recruitment policy and comprehensive training system. During the past one year, your Company has laid greater emphasis on Human Resources Development. We have been devoting substantial resources on building a skilled workforce that has an innate capability to counter threats posed by ever changing business environment and to take advantages of opportunities presented to serve ever increasing customer base. The Company has been conducting various training and development activities which apart from reorienting the employees towards the greater organizational purpose, are also focusing on eliminating any skill gap and technical obsolescence. The managements' view on training is one of development of employee's overall personality and enabling them in becoming a vital productive resource. Subject of the training programmes/workshops attended by employees for the year 2016-17 are as under:-

(i) Training Program on RTI-MIS portal

(ii) Three days Workshops for Nodal/Liaison Officers of CPSEs regarding implementation of reservation policy of CPSEs

(iii) Training Program on Digital mode of payment & personality enrichment

25. IMPLEMENTATION OF RTI ACT, 2005

Your Corporation has implemented Right to Information (RTI) Act, 2005, which empowers the common citizen by providing access to information with a view to maintain accountability and transparency. The Company has always endeavored to ensure that various provisions of the RTI Act, 2005 are implemented. Details of Corporation's functions alongwith its functionaries etc. have been placed on Corporation's website www.alimco.in. Manual as required under the Act have been prepared and uploaded on the website. The Corporation had nominated General Manager (Marketing) as Appellate Authority in between Corporation had nominated Deputy General Manager (Production) as Appellate Authority and Senior Manager (P&A) as Public Information Officer as required under the Act.

26. सतर्कता गतिविधियाँ

निगम के कार्यों मेंपारदर्षिता तथा जवाबदेही लाने हेतु कर्मचारियों में ईमानदारी की संस्कृति विकसित एवं प्रोन्नत करने हेतु निगम का अपना एक सतर्कता प्रकोष्ठ है जिसका मुखिया मुख्य सतर्कता अधिकारी है। सतर्कता की दृष्टि से निगम द्वारा सम्पादित महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नवत् हैं:–

(क) निविदा की पारदर्शी पद्धति का समाचार पत्रों और एलिम्को की वेबसाइट पर प्रकाशन/निविदाकर्ता की उपस्थिति में निविदा का खोला जाना।

(ख) संवेदनशील विभागों में आकस्मिक और नियमित सतर्कता की जांच

(ग) मुख्यालय और सहायक इकाईयों में सुरक्षा संगठनों की स्थापना

(घ) मुख्य द्वार, एलिम्को प्रोस्थेटिक एवं आर्थेटिक केद्र, वेयरहाउस, जलपानगृह तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर नियमित सतर्कता जांच।

(ङ) विद्युत उपकरण विक्रेताओं/कार्य कराने वाले ठेकेदारों का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है।

(च) विक्रेताओं तथा ठेकेदारों के अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का पूर्ण एंव सही मासिक भुगतान बैंक के द्वारा किया जा रहा है।

26. VIGILANCE ACTIVITIES

The Corporation has proper vigilance machinery headed by the Part time Chief Vigilance Officer to ensure transparency and accountability in its functioning besides promoting a culture of honesty among its employees. Some of the major activities undertaken by the Corporation in respect of vigilance are as under:

(a) Transparent Open Tender Procedure with publication in news papers as well as website of ALIMCO including opening of tender in the presence of tenderers.

(b) Surprise and routine checks in the departments identified as sensitive.

(c) The security set up at Headquarters as well as its Ancillary Units has been established appropriately.

(d) Regular security checks are carried out at strategic places like Main Gate, APOC, Warehouse, Canteen and other important installations.

(e) Electronic payment to Venders/Job Work Contractors are done regularly.

(f) Monthly payment to all the workers, working under vendors/Job Work Contractors, are being made through bank to ensure full & correct payment.

Shri D.R.Sarin, Chairman & Managing Director, addressing the Participants on the occasion of Vigilance Awareness Week

एलिम्को ने 31 अक्तूबर, 2016 से 05 नवंबर, 2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया था। चूंकि 31.10.2016 को छुट्टी का दिन था इसलिए 01.11.2016 को उद्घाटन किया गया था। निगम के सभी कर्मचारियों ने ईमानदारी तथा पारदर्शिता से कार्य करने के षपथ ग्रहण की। उसी दिन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने मुख्य अतिथि श्री आर.एन. नायक, ओएसडी सीवीसी के साथ–साथ सरस्वती देवी को फूलमाला पहनाकर तथा दीप प्रज्जवलित करके समारोह का उद्घाटन किया था। निगम के सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए, उन्होंने लगन, ईमानदारी तथा पारदर्शिता के साथ कार्य करने का आग्रह किया।

02 नवंबर, 2016 को निगम में ''सत्यनिष्ठ को बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार को मिटाने में जनता की भागीदारी'' पर एक सेमीनार आयोजित की गयी थी। श्री ए.के.श्रीवास्तव अंशकालिक मुख्य सर्तकता अधिकारी तथा सभी विभागाध्यक्षओं ने विस्तार से चर्चा की तथा अपने विचार व्यक्त किये। श्री ए.के. श्रीवास्तव, सीवीओ ने निगन के सभी कर्नचारियों को ईमानदारी तथा पारदर्षिता के साथ अपना कार्य करने की सलाह दी।

02 नवंबर, 2016 को ''क्या सरकार भ्रष्टाचार से अकेले लड़ सकती है'' विषय पर एक वाद–विवाद प्रतियोगिता आयेाजित की गयी थी जिसमें 12 कर्मचारियों ने भाग लिया था। ''ग्राहकों की समस्याओं को संभालना ''विषय पर एक परस्पर विचार हेतु एक सेमीनार 03 नवंबर, 2016 को आयोजित की गयी ली, जिसमें एलिम्कों के उत्पादों के उपयोगकर्त्ताओं (दिव्यांगजनों) ने भाग लिया था। एलिम्कों द्वारा दिव्यांगजनों को प्रदत्त सुविधाओं सेवाओं एवं उत्पादों के संबधं में उन्होंने प्रसन्नता तथा संतोष जाहिर किया था।

04 नवंबर, 2016 को एक सेनिनार आपूर्तिकर्त्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं की समस्याओं का पता चलाने के लिए आयोजित की गयी थी। इसमें कुछ आपूर्तिकर्त्ताओं एवं सेवा दाताओं द्वारा भाग लिया गया था तथा उन्होंने एलिम्कों में प्रापण में अपना जा रही पारदर्षिता तथा नैतिक व्यवहार की प्रशंसा की थी। 07.11.2016 को , श्री एम. एस.रे, महाप्रबंधक (वित्त एवं प्रशासन) वाद–विवाद प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय विजेताओं को उपहार प्रदान किये।

ALIMCO celebrated Vigilance Awareness Week from 31st Oct 2016 to 05th November 2016. Since 31.10.2016 was being a Holiday hence inauguration was started on 01.11.2016 all the employees of the Corporation took pledge to work with honesty and transparency. On the same day Chairman & Managing Director inaugurated the proramme by garlanding Goddess Saraswati and lightened the lamp. In his address to all the employees of the Corporation, he insisted to work with sincerity, honesty and transparency.

On 2nd November 2016, a Seminar on "Public Participation in promoting Integrity and eradicating Corruption" was organized in the Corporation. Shri A.K. Srivastava, Part time Chief Vigilance Officer and all Heads of the Departments discussed in detail and expressed their views. Highlighting the major checks & controls to avoid corruption, Shri A.K. Srivastava, CVO, advised all the employees of the Corporation to perform their duties with honesty and complete transparency.

On 2nd November 2016, a debate competition on the topic "Can Government Alone Fight Corruption" was organized in which 12 employees participated. An interactive Seminar on "handling the Customers' Problems" was organized on 03rd November 2016, in which users of ALIMCO products (Persons with Disabilities) participated and expressed happiness and satisfaction about products and services being provided by ALIMCO for the benefit of PwDs.

On 04th November 2016, a Seminar was conducted to find out the problems of suppliers and service providers were organized. Quite a few material suppliers and service providers participated and appreciated the transparency and ethical practices at ALIMCO in procurement. On 07.11.2016 Shri M.S.Ray General Manager (F&A), presented gifts to the 1st, 2nd & 3rd winners of debate competition.

27. पुरस्कार एवं उपलब्धियाँ

वर्ष 2016–17 के दौरान निगम ने निम्नलिखित पुरस्कारों को प्राप्त किया।

1. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से संचालित तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) की ओर से नवसारी, गुजरात में तारीख 17 सितंबर, 2016 को आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में तीन गिनिज विश्व रिकार्ड बनाये गये थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ायी।

(i) पहला रिकार्ड–''एक ही स्थान पर एक साथ सर्वाधिक संख्या में तेल की दीए जलाना''। यह 16 सितंबर, 2016 की पूर्व संध्या पर महाशिविर के अवसर पर हुआ था। अविश्वसनीय 989 दिव्यांगजन साथ–साथ आये जिन्होंने एक नया रिकार्ड बनया–न्यूनतम 500 भागीदारों की संख्या का लगभग दुगना, जिसकी यह नाम अर्जित करने के लिए आवश्यकता थी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए संकेत मिलने के बाद 30 सैकंड के भीतर एकदम उसी समय दीप जलाना एक चुनौती के समान था।

(ii) दूसरा रिकार्ड: दीर्घतम व्हीलचेअर लोगों भी नवसारी गुजरात में 17 सितंबर, 2016 को तोड़ा गया था। 1000 भागीदारों ने व्हील चेअर के आकार में चित्रित किया था।

(iii) तीसरा विश्व रिकार्ड ''8 घंटों में सर्वाधिक व्यक्तियों ने श्रवण यंत्र फिट कराये– एक स्थान पर 600 श्रवण यंत्र भी उसी दिन लगाये गये। रिकार्ड प्रयास दौरान श्रवण यंत्रों के वितरण के अलावा, पूरे सप्ताह दिव्यांगजनों को हजारों की संख्या में सहायक उपकरणों का वितरण किया गया।

2. विश्व रिकार्ड गिनीज बुक में सर्वाधिक लोगों द्वारा 8 घंटे में श्रवण यंत्र लगाये गये।

इम्फाल में 05.11.2016 को आयोजित बड़े श्रवण यंत्र वितरण समारोह में जहां सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा 8 घंटे के भीतर श्रवण यंत्र लगवाये गये। पहले का

27. AWARDS & REWARDS

The Corporation has received following awards during the year 2016-17:-

1. Three (3) Guinness World Records were created at Samajik Adhikarita Shivir conducted by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities [Divyangjan], Ministry of Social Justice and Empowerment and organised by Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) in Navsari, Gujarat on 17th September, 2016. Prime Minister Shri Narendra Modi graced the occasion as Chief Guest.

(i) **The first record - "Highest number of Oil lamps lit simultaneously at single location"** was set on the eve (16th September, 2016) of the Mega camp. An incredible 989 Divyangjan (Person with Disabilities) came together to set an all-new record- almost doubling the minimum of 500 participants they needed in order to achieve the title. The challenge was for each person to light the lamp exactly at the same time after a given signal within 30 seconds.

(ii) **The second record 'Biggest Wheelchair Logo' was also broken on 17th September, 2016 in Navsari, Gujarat.** The largest wheelchairs logo/image was composed of 1000 participants

(iii) **The third world record 'Most people fitted with Hearing Aid in 8 hours** - Single location (600 Hearing Aid) was also set on the same day. Free assistive devices kits were handed out to thousands of Divyangjan throughout the weekend, in addition to the hearing aids distributed during the record attempt

2. Guinness Book of World Records for most people fitted with hearing aids in 8 hours

In a grand hearing aid distribution ceremony held in Imphal on 05.11.2016 where most people fitted with hearing aids setting the record within eight hours. The previous record

रिकार्ड 16.9.16 को गुजरात में बनाया गया था। उस रिकार्ड को तोड़कर मणिपुर गिनीज विश्व बुक में शामिल हो गया। श्रवण यंत्र वितरण समारोह का आयोजन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मणिपुर तथा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा दिव्यांगजनों को यंत्रों एवं सहायक उपकरणों के वितरण हेतु केंद्र के सामाजिक अधिकारिता शिविर के रूप में किया गया था।

28. एलिम्को का आधुनिकरण

एलिम्कों द्वारा उत्पादों, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी तथा अवसरंचना के उन्नयन के संबंध में आधुनिकीकरण का प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है। परियोजना की अनुमानित लागत 338.04 करोड़ रूपये है। अनुदान सहायता की प्रथम किस्त 18.9.2015 को प्राप्त हुई थी तथा परियोजना के क्रियाकलाप नवंबर, 2015 में प्रारंभ किये गये। परियोजना का कार्य करने हेतु टैंडर प्रक्रिया के जरिये, मैसर्स इंजीनिअरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली (सीपीएसयू) को "सिविल परामर्शदाता" के रूप में लगाया है। इसमें आधुनिकीकृत तथा प्रौद्योगिकी रूप से एडवांस कार्य केंद्रों (लगभग सात कार्य केंद्र) संकल्पनी हेतु डिजाइन तथा कार्यलयों हेतु एवं एलिम्कों कानपुर में अनुसंधान व विकास केंद्र आदि अन्य भवनों का निर्माण, उज्जैन में सहायक उत्पादन यूनिट का निर्माण तथा एलिम्कों मुख्यालय, एसपीसीज, आरएमसीज तथा एओसीज आदि में अपेक्षित अन्य मरम्मत कार्य शामिल है।"

वर्ष 2016–17 के दौरान, 21.14 करोड़ रूपये की परियोजना पूर्ण हो गयी थी अथवा पूर्ण होने की भिन्न स्थिति में थी। मंत्रालय की ओर से 2016–17 के दौरान 500 लाख रूपये की आधुनिकीकरण हेतु अनुदान राशि तीन किस्तों में प्राप्त हुई थी जिसमें से 250 लाख सितम्बर, 2016 में प्राप्त हुई थी तथा 250 लाख रूपये फरवरी–मार्च 2017 में प्राप्त हुए थें। निगम अपने आंतरिक संसाधनों से वर्ष के दौरान अपने स्रोतो से उपयोग करता रहा था तथा वित्त वर्ष के अंत तक मात्र 250 लाख रूपये ही जुटा पाया था।

निगम ने डीपीआर में निहित वर्तमान कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण तथा नयी कार्यशाला के सृजन हेतु प्रापण एवं उपकरण विकास कार्य योजना किये जाने के लिए

was that of Gujarat created on September 17, 2016. Beating that record, Manipur entered the Guinness Book of World Records. The hearing aid distribution ceremony was organised by the National Programme for Prevention of Deafness, National Health Mission, Manipur and Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) as part of the Centre's Samajik Adhikarita Shivir and Distribution of Aids and Assistive Devices to Persons with Disabilities.

28. MODERNIZATION OF ALIMCO

The process of Modernization in respect of up-gradation of products, process, technology and infrastructure has been initiated by ALIMCO. The estimated project cost is INR 338.04 Crores. 1st installment of Grant in aid was received on 18.09.2015 and project activities commenced in November'2015. In order to execute the project, Corporation, through its tendering process, has engaged M/s Engineering Projects (India) Ltd, New Delhi (CPSU) as its "Civil Consultant" for "Conceptualization/designing and construction of modernized and technologically advanced work centres (approximate seven work centres) and other building for offices and state-of-the-art research and development centre at ALIMCO Kanpur and construction of Auxiliary Production unit at Ujjain and other civil renovation works required at ALIMCO HQ, AAPCs, RMCs and AOC etc.".

During the year 2016-17, Project worth Rs.21.14 crores were complete/different stage of completion. the modernization grant of Rs.500.00 lakhs was received from the Ministry during 2016-17 in 3 tranches. Rs.250.00 lakhs was received in September 2016 and balance Rs.250 lakhs was received in February-March 2017. The Corporation continued to utilize its own source during the year from its internal resources and could recoup Rs.250.00 Lakhs only during end of financial year.

Corporation has also engaged M/s Tirupati Engineers, Surat as its "Industrial Consultant-Plant, Machinery & Automation Technology" for in-depth

कारखाना एवं मशीनों के विनिदिष्टकरण सहित वर्तमान कारखाना एवं मशीनरी ढांचे, डिजाइन तथा सहित वर्तमान कारखाना एवं मशीनरी ढांचे, डिजानइन तथा प्रयोजन / ड्रा विस्तृत रोडमैप के गहन अध्ययन हेतु "औद्योगिक परामर्शदाता–कारखाना, मशीनरी एवं स्वचालित प्रौद्योगिकी" के रूप में मैसर्स तिरूपति इंजीनिअर्स, सूरत को भी नियुक्त किया है।

आगे विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकीय उन्नति करने के लिए एलिम्को ने देश में वहनीय मूल्य पर दिव्यांगजनों हेतु नये जेनरेशन प्रोसथेटिस तथा आर्थोटिक उपकरणों के बड़ी मात्रा में निर्माण करने के लिए 20.5.2015 को मैसर्स ओटेबॉक के साथ प्रौद्योगिकी स्थानांतरण करार पर हस्ताक्षर किये। टीटीए की आवश्यकता के अनुसार, उच्च सूक्ष्मता सीएनसी मशीनों तथा आधुनिक अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत उपयोगताओं तथा सुविधाओं सहित सुसज्जित" उच्च तकनीक प्रोसथेसिस शाप" एलिम्को कानपुर में स्थापित की गयी है। निगम के सिविल परामर्शदाता (पीएमसी) मैसर्स ईपीआईएल, नई दिल्ली (सीपीएसयू) द्वारा उच्च तकनीक प्रोसथेसिस शॉप के सिविल तथा निर्माण कार्य पूर किये गये थे। अपेक्षित मशीनों एवं उपकरणों का प्रापण निविदा प्रक्रिया के जरिये किया गया था तथा एलिम्को द्वारा अपेक्षित स्थान पर उन्हें संस्थापित किया गया और प्रारम्भ किया गया है। 07.03.2017 को घुटने के नीचे प्रोसथेसिस हेतु शुरूआती उत्पादन किया गया था। एलिम्को की आधुनिकीकरण योजना के तहत एक नवीन सहायक उत्पादन केंद्र का निर्माण उज्जैन में चल रहा है।

इसके अलावा, एलिम्को ने 21.12.2016 को मैसर्स मोटिवशन चैरिटेबल ट्रस्ट, यू के के साथ डब्ल्यूएचओ व्हील चेअर्स के दो मंजिलों के लिए प्रौद्योगिकी स्थानांतरण करार (टीटीए) भी हस्ताक्षरित किया था। इससे माननीय प्रधानमंत्री के "मेक इन इंडिया" अभियान की दिशा में योगदान मिलेगा व्हीलचेअर्स के दो माडल जैस एक्टिव फोल्डिंग व्हील चेअर्स तथा रफ ताराईन व्हील चेअर्स।

study of our existing plant & machinery set-up, design and propose / draw detailed road map including specifications of Plant & Machineries to be procured & devise elaborate action plan for the modernization of existing workshop and creation of new workshops as contained in the DPR & to monitor execution till successful completion of the Project".

Further, in order to cope up with technological advancement at global level, ALIMCO signed Technology Transfer Agreement (TTA) with M/s Ottobock on date- 20.05.2015 for mass manufacturing of new generation prosthetic and orthotic devices for Persons with Disabilities in the country at an affordable price. As per the requirement of TTA, "High End Prosthesis Shop" equipped with high precision CNC machines and furnished with modern infrastructure and technologically advanced utilities and facilities has been established at ALIMCO, Kanpur. The high end prosthesis shop's civil and construction work was undertaken by Corporation's civil consultant (PMC) M/s EPIL, New Delhi (CPSU) and the required machines and equipments were procured through tendering process and have been installed and commissioned at requisite location by ALIMCO. Trial Production for below knee prosthesis was done on 07.03.2017. Under Modernization plan of ALIMCO, a new proposed Auxiliary Production Centre at Ujjain is under construction.

Moreover, ALIMCO also signed Technology Transfer Agreement (TTA) with M/s Motivation Charitable Trust, U.K. on dated- 21.12.2016 for the two models of WHO Manual Wheelchairs. This will help in contributing towards the 'Make in India' drive of the Hon'ble Prime Minister. The two models of the Wheelchairs i.e Active Folding Wheelchairs and Rough Terrain Wheelchairs.

The MoU for TOT for indigenous manufacture of various models of WHO compliance Wheelchairs has been signed on 21st December, 2016.

29. निदेशक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड के गठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हैं, बोर्ड की संरचना पूर्ववत हैं।

29. DIRECTORS

There has been no change in the constitution of Board during the year under review i.e. the structure of the Board remains the same.

30. सहायक कंपनी/सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम कंपनी

कंपनी की कोई सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियां नहीं है अतः सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय स्थिति के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

30. SUBSIDIARY COMPANY / ASSOCIATE / JOINT VENTURE

The Company has no Subsidiary, Associate and Joint Venture Companies as such the requirement of furnishing information relating to performance and financial position of the Subsidiary, Associate and Joint Venture Companies is not applicable.

31. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धतायें

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई सामग्री परिवर्तन नहीं हुआ है न ही और प्रतिबद्धताओं इस रिपोर्ट की तारीख तक वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंत से हुई। इसके अलावा, कंपनी के व्यापार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया गया था। तथा न कोई महत्वपूर्ण आदेश वित्त वर्ष के दौरान नियामक या अदालतों या अधिकरण द्वारा पारित किया गया है।

32. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन किए गए ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण।

कंपनी द्वारा ऐसे में कोई जानकारी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (छ) के प्रावधानों के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है के रूप में वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य निकायों कॉर्पोरेट के लिए किसी भी ऋण और गारंटी नहीं दी है और न ही किसी में भी निवेश किया है।

33. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी के कर्मचारियों का पारश्रमिक निर्धारित उप नियम (2) कंपनियों के नियम 5 (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और वेतन) नियम, 2014 के सीमाओ, से अधिक नहीं है अतः अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

34. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी ग्राह्मयता एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन और व्यय

ऊर्जा संरक्षण के लिए हमारी कंपनी ने प्रमुख जोर दिया है। ऊर्जा लागत अनुकूलन करने के लिए कम्पनी ने निर्माण कार्य के दौरान उचित ऊर्जा के संरक्षण के लिए प्रयत्न किया, ऊर्जा संरक्षण तकनीकी समावेश से संबंधित विवरण तथा विदेशी आय एवं व्यय सम्बन्धी विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के साथ, कंपनियों (लेखा) नियम 2014 से सम्बन्धित आवश्यक सूचना इस रिपोर्ट के संलग्न–1 है।

31. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS OCCURING AFTER END OF THE FINANCIAL YEAR

No material changes and commitments affecting the financial position of the Company occurred from the end of the financial year 2016-17 till the date of this Report. Further, there was no change in the nature of business of the Company. No significant or material order has been passed by the Regulator or Courts or Tribunals during the financial year.

32. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

The Company has not made any investment, or given any Loans and Guarantees to other bodies/ corporate during the financial year As such no information is required to be furnished in terms of the provisions of Clause (g) of Sub-Section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013.

33. PERTICULARS OF EMPLOYEES

As none of the employees of the Company was in receipt of remuneration in excess of the limits prescribed sub-Rule (2) of Rule 5 of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the requisite information being inapplicable is not required to be furnished.

34. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

Energy conservation continues to be an area of major emphasis in our Company. Efforts are made to optimize the energy cost while carrying out the manufacturing operations. The details relating to Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange earnings and outgo as per Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Accounts) Rules, 2014 are annexed hereto and form part of this Report as **Annexure - I.**

35. जमा

कंपनी द्वारा न ही कोई जमा स्वीकार किया है और न ही आलोच्य वर्ष के दौरान किसी सार्वजनिक जमा राशि का नवीकरण किया है।

36. आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण

पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण किया गया है। तीसरा पक्ष के आतंरिक लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणियों तथा आतंरिक नियंत्रणों का विधिवत रूप से परीक्षा किया गया हैं। निगम तीसरे पक्ष के स्टॉक लेखा परीक्षकों द्वारा स्टॉक का लेखा परीक्षा कराने तथा निगम की सभी यूनिटों हेतु स्वतंत्र स्टॉक लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर गैर–संचलन तथा धीमी गति से संचलित वस्तुओं के आवश्यक प्रावधानों के साथ–साथ अंतिम सूची की सतत् नीति का अनुसरण करता है। आतंरिक नियंत्रण से डिजाइन अथवा प्रचालन में सामग्री की खराबी नहीं पाई गयी है।

37. निदेशक के उत्तरदायित्व सम्बन्धी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 134 (5) के सन्दर्भ में 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के संबंध में है निगम के निदेशक द्वारा प्रमाणित करते हैं:–

(क) वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा सम्बन्धी मानकों का महत्वपूर्ण विचलनों के लिए उचित स्पष्टीकरण सहित अनुसरण किया गया है।

(ख) निदेशकों ने लेखा सम्बन्धी उन नीतियों को चुना है और निरन्तर लागू किया है एवं ऐसे निर्णय व अनुमान किये हैं जो वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी के क्रिया–कलापों तथा उसअवधि के लिए कम्पनी के लाभ व हानि का सत्य एवं स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करने के लिए उचित तथा विवेकपूर्ण है।

(ग) निदेशकों ने कम्पनी की परिसम्पत्तियों की रक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी व अन्य अव्यवस्थाओं को रोकने व पता लगाने के लिए कम्पनी अधिनियम के नियमानुसार पर्याप्त लेखा सम्बन्धी रिकार्ड बनाने के लिए उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है।

35. DEPOSITS

The Corporation has neither accepted nor renewed any public deposits during the year under review.

36. INTERNAL FINANCIAL CONTROLS

Adequate internal financial controls are in place. The financial Statement and other internal controls are duly audited upon by the third party internal Auditors. The corporation follows a consistent policy of getting the stocks audited by third party stock auditors and final inventory along with necessary provisions for Non-moving and slow moving items are done based on independent stock Audit reports for all the Units of the Corporation. No. reportable material weakness in design or operation of internal controls has been observed.

37. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In terms of Section 134 (5) of the Companies Act, 2013, the Directors of the Company state in respect of the year ended 31st March 2017, that:-

(a) In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.

(b) The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period.

(c) The Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे "सतत् क्रियाशील" अवधारणा के आधार पर बनाये हैं।

(ङ) निदेशक द्वारा कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया को अपनाया और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए पर्याप्त और प्रभावीढ़ग से काम किया।

च) निदेशक सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह के सिस्टम पर्याप्त और प्रभावीढ़ग से काम किया।

(d) The Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.

(e) The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

(f) The Directors had devised proper system to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such system were adequate and operating effectively

38. वार्षिक रिर्टन का उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुसार तथा आवश्यक और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, के नियम 12 (1) के अनुरूप इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिटर्न एम.जी.टी–9 उद्धरण संलग्न–2 में है।

38. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As required pursuant to section 92(3) of the Company Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, an extract of annual return in MGT-9 as a part of this Annual Report as **Annexure-II.**

39. निदेशक मण्डल की सभाएं

निदेशक मण्डल की 07 सभाएं इस वित्तीय वर्ष में हुई है। जोकि कॉर्पोरेट गवर्नर की रिपोर्ट में दर्शायी गयी है। जोकि इस वार्षिक प्रतिवेदन का एक भाग है। कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में निदेशक मण्डल की सभाओं के अवधि के मध्य के समय को ध्यान में रखा गया है।

39. MEETING OF THE BOARD

The Board of Directors met Seven times during the financial year the details of which are given in the Corporate Governance report that forms part of this Annual Report. The intervening gap between the meetings was within the period prescribed under the Companies Act, 2013.

40. कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत कंपनी का दायित्व

कंपनी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित तथा कार्य योग्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशकों ने आगे कहा था कि कार्यस्थल महिला यौन उत्पीडन (निवारक निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के पालन में समीक्षाधीन वर्ष में कोई मामला दाखिल नहीं किया गया।

40. OBLIGATION OF COMPANY UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The Company is committed to provide a safe and conducive work environment to its employees. During the year under review. Your Directors further state that during the year under review, there was no case filed pursuant to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

41. निगम में सामाजिक कर्तव्यों के अन्तर्गत उत्तरदायित्व

एलिम्को एक अलाभकारी कम्पनी है जोकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (पूर्व कं अधि. 1956 की धारा 25) में पंजीकृत है एवं यह एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तथा यह विकलांगजन की सेवा में लगी हुई है। एलिम्को आय एवं व्यय विवरण बनाता है तथा व्यय पर आय का आधिक्य जिसे अधिशेष कहा जाता है, उसको कम्पनी के उद्देश्यों के पूर्ति में खर्च किया जाता है।

एलिम्को ने कंपनिज एक्ट, 2013 की धारा–135 के प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड की ''कारपोरेट सामाजिक दायित्व'' समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, बोर्ड की सीएसआर समिति में तीन सदस्य है जिनके नाम है–श्री डीआर सरीन अध्यक्ष श्री अवनीष कुमार अवस्थी, सदस्य तथा श्रीमती टीसीए कल्याणी, सदस्य है। कंपनी ने ''कारपोरेट सामाजिक उत्तारदायित्व नीति'' (सीएसआर नीति) की रचना की और कार्यान्वित की हैं जिसमें निगम ने दिशा–निर्देश तथा पूरा किये जाने हेतु क्रियाकलापों को निर्धारित किया गया है तथा उन्हें निगम की वैबसाईट www.alimco.in पर डाल दिया गया है। निगम वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर क्रियाकलापों हेतु चिन्हित समग्र राशि को खर्च करने में सफल नहीं रहा है। उसके कारणों का उल्लेख सीएसआर क्रियाकलाप संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है। वित्तीय वर्श 2016–17 हेतु सीएसआर क्रियाकलापों की रिपोर्ट ''अनुलग्नक 3'' पर संलग्न है।

एलिम्को अनेक कंपनियों हेतु सीएसआर कार्यान्वयन साझीदार के रूप में भी दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उनकी सीएसआर परियोजनाओं के भाग के रूप में कार्य कर रहा है। निगम ने पहल की हैं तथा दिव्यांगजनों को यंत्रों तथा सहायक उपकरणों के मूल्यांकन तथा वितरण हेतु एलिम्कों के जरिये उनकी सीएसआर क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए सभी लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसयू से संपर्क करना प्रारंभ कर दिया है। हमारे निगम ने अनेक सीपीएसयूज से अपने को साझा किया है। जिनमें गेल (इंडिया) लिमिटेड, नेशनल फर्टोलाइजर्स लिमिटेड सेन्ट्रल फरलफील्डस लिमिटेड साउथ कोल फील्डस इंडिया लिमिटेड इस्टर्स कोलफील्डस इंडिया लिमिटेड एआरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया नार्थन करेल फील्डस लिमिटड रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन, इंडियन, रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन पावर फाइनेस कारपोरेषन, बैंक ऑफ इंडिया, इंजीनिअर्स इंडिया लिमिटेड पावरग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड आदि शामिल है। वर्ष के दौरान, निगम ने 71 सीएसआर शिविरों आयोजित किये है तथा अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत पूरे भारत वर्ष में 17168 लाभार्थियों को यंत्रों तथा सहायक उपकरण वितरित किये है।

41. ACTIVITIES UNDER CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ALIMCO is a "not for profit" company registered under Section 8 of the Companies Act 2013[erstwhile Section 25 of the Companies Act, 1956] and working for noble cause of serving Persons with Disabilities. ALIMCO prepares statement of Income and Expenditure Accounts and any excess of income over expenditure i.e Surplus is to be utilized for fulfillment of the Company's objectives.

ALIMCO has constituted 'Corporate Social Responsibility' Committee of the Board in compliance with the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013. As on 31st March, 2017, CSR Committee of the Board comprised of three member(s) namely; Shri D.R.Sarin as Chairman, Shri Awanish Kumar Awasthi as a Memebr and Ms.T.C.A Kalyani as member. The Company has framed and implemented 'Corporate Social Responsibility Policy' (CSR Policy) which lays down the guidelines and the activities to be undertaken by the Corporation and the same has been put on the Corporation's website www.alimco.in. The Corporation has not been able to spend the whole of the amount earmarked for CSR activities during the year 2016-17; the reasons for the same are given in the Annual Report on CSR activities. A report on CSR activities for financial year 2016-17 is annexed herewith as **"Annexure III"**.

ALIMCO is also working as a CSR Implementation Partner for many Companies in empowering the Divyangjan's as part of their CSR Projects. The corporation has taken initiative and has started approaching all profit making CPSUs to take up their CSR obligation through ALIMCO for Assessment and Distribution of Aids and Assistive Devices to Divyangjan. Our Corporation has joined hand with many CPSUs including GAIL (India) Ltd, National Fertilizers Ltd, Central Coalfields Ltd, South Eastern Coalfields Ltd, Eastern Coalfields Ltd, Airport Authority of India, Northern Coalfields Ltd, Rural Electrification Corporation, Indian Railway Finance Corporation, Power Finance Corporation, Bank of India, Engineers India Ltd, Power Grid Corporation etc. during the year Corporation has conduct 71 CSR camps and have distributed Aids & Assistive devices to 17168 beneficiaries through out India under their CSR programme.

Shri O.P. Gupta, Head of Project, SJVN and ALIMCO officials Distributing Aids & Appliances under CSR Initiative of SJVN Limited at Hamirpur on 18.01.2017

Shri Jayant Minj, Power Grid Corporation of India Limited and ALIMCO officials Distributing Tricycle under CSR Initiative of Power Grid Corporation of India Limited at Korba on 31.12.2016

Shri N.K.Sharma, General Manager, NFL Shri Dhir Singh, Zonal Manager,NFL Shri M. M Srivastava Senior Manager, NFL and ALIMCO officials Distributing Tricycle under CSR initiative of National Fertilizers Limited (NFL) at Firozabad on 23rd December 2016

Shri Gaurav Dayal, District Magistrate, Agra, Shri Rakesh Kumar, General Manager, PGCIL and ALIMCO officials Distributing Tricycles and Wheelchair under CSR Initiative of Power Grid Corporation of India Limited at Agra on 14th October 2016

42. वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए संवैधानिक सम्परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं नियंत्रक के द्वारा मेसर्स प्रकाश एवं संतोष, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, कानपुर को निगम के संवैधानिक लेखा परीक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये नियुक्त किया गया था। आपका निदेशक मण्डल उनके परामर्श, मूल्यवान सेवाओं, सहायता और सहयोग तथा वार्षिक लेखा–जोखा के समय पर पूरा करने के लिए उनको धन्यवाद देता है। कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गयी टिप्पणी को संलग्नक–IV में रखा गया है।

43. सचिवीय अंकेक्षण

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों तथा कंपनीज (प्रबंधकीय कार्मिको की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक कंपनी) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुपालन में ने वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु कंपनी के सचिवालयीन लेखा–परीक्षा करने के लिए श्री शिवकुमार गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को (पीसीएस पंजीकरण संख्या–7343) नियुक्त किया है। सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट "अनुलग्नक V"पर संलग्न है।

44. निगमित अभिशासन

आपके निगम के निदेशक मण्डल निगम के मामलों की अखण्डता के सम्बन्ध में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी में विश्वास रखते हैं। लोक उद्यम विभाग (डी. पी. ई) ने सामूहिक शासन पर संशोधित दिशा–निर्देश कार्यालय ज्ञापन सं. 18 (8)/2005 जी एम दिनांक 14 मई, 2010 को जारी किया था। 23 जनवरी, 2014 को निगम के बोर्ड के निदेशकों की 144वीं बैठक हुई थी। जिसमें निगमित शासन के दिशा–निर्देशों को निगम में कार्यान्वयन के लिए संकल्प लिया गया है। आपके निगम ने डी.पी.ई. द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। निगमित अभिशासन के उच्चतम स्तर को बनाये हुए है।

42. STATUTORY AUDITORS FOR THE FINANCIAL YEAR 2016-17

M/s. Prakash & Santosh Chartered Accountants, were appointed as Statutory Auditors of the Corporation for the Financial Year 2016-17 by Comptroller & Auditor General of India .Your Board of Directors acknowledges their guidance and valuable services, help and co-operation and for the timely completion of Annual Accounts. The comments of the Comptroller and Auditor General of India under the section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 are placed at **Annexure- IV.**

43. SECRETARIAL AUDIT

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 and The Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Company has appointed Shri Shiv Kumar Gupta Practicing Company Secretary (PCS Registration No. 7343) for the financial year 2016-17 to undertake the Secretarial Audit of the Company. The Secretarial Audit Report is annexed herewith as **"Annexure V".**

44. CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Directors of your Corporation believes in transparency, accountability and integrity in respect of affairs of the Corporation. Department of Public Enterprises (DPE) has come out with revised Guidelines on Corporate Governance vide Office Memorandum No. 18(8)/2005-GM dated 14 May, 2010. A resolution has been passed in 144th meeting of Board of Directors of the Corporation held on 23rd January, 2014 adopting Guidelines of Corporate Governance for implementation in the Corporation. Your Corporation is in process of implementing various aspects of the said Guidelines. The Company has been maintaining the highest level of standards of Corporate Governance.

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेशण रिपोर्ट (सलंग्नक–VI) निगमित शासन पर प्रतिवेदन (संलग्नक–VII) एवं पेशे में संलग्न कम्पनी सचिव द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र (संलग्नक–VIII) इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। निगमित अभिशासन की त्रैमासिक एवं वार्षिक रिपोर्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, को निर्धारित प्रपत्र में अग्रसारित की जाती है।

45. आभार

आपका निदेशक मण्डल भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रदत्त मूल्यवान सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है।

आपका निदेशक मण्डल इस अवसर पर अपने सम्मानित ग्राहकों, बैंकरों, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों, एवं सहयोगी संस्थाओं, अभिकर्ता तथा अन्य के प्रति भी उनके द्वारा जताए गए भरोसे और विश्वास के प्रति आभार प्रकट करता है।

आपका निदेशक मण्डल एलिम्को परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई अविश्वसनीय सेवाओं के लिये उनकी सराहना करता है।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
डी. आर. सरीन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

The Management Discussion & Analysis Report **(Annexure-VI)**, Report on Corporate Governance **(Annexure-VII)** along with Certificate on compliance of conditions on Corporate Governance from Practicing Company Secretary **(Annexure-VIII)** as required under the said guidelines is attached to this report. Quarterly and yearly compliance reports on Corporate Governance are being forwarded to Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Divyangjan Ministry of Social Justice & Empowerment in the prescribed format.

45. ACKNOWLEDGEMENTS

Your Board of Directors also acknowledges the valuable co-operation and support extended by the entire staff & officers of Department of Empowerment of Persons with Disabilities Divyangjan, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India.

Your Board of Directors also takes this opportunity to express their gratitude to their esteemed customers, CSR Partners, bankers, suppliers, contractors, fabricating agencies, event managers, dealers and other associates for their trust and confidence in the Corporation and its activities.

Last but not the least your Board of Directors places on record their appreciation for the services rendered by the ALIMCO family members towards the incredible performance of their Corporation.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
D. R. SARIN
Chairman & Managing Director

संलग्नक–1

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी ग्राहयता एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन और व्यय

(क) ऊर्जा संरक्षण

(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए किये गये उपाय :–

एलिम्को द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है ।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदमः–

एलिम्को ने स्ट्रीट लाइट के लिए और दूसरे चरण में अपने कार्यालय की इमारत के लिए सौर ऊर्जा स्थापित करने की प्रक्रिया की शुरू की है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेशः–

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान कोई पूंजी निवेश ऊर्जा संरक्षण पर नहीं किया।

(ख) प्रौद्योगिकी ग्राहयता

(i) प्रौद्योगिकी ग्राहयता हेतु निम्नलिखित प्रयास किये गयेः–

(क) नयी व्हील चेअर्स के विकास हेतु मैसर्स मोटिवेशन यू. के. के साथ प्रौद्योगिकी स्थानातंरण करार पर हस्ताक्षर किये गये है।

(ख) मैसर्स औटोबाक जर्मनी के साथ हुए प्रौद्योगिकी स्थानातंरण करार के अनुसार एलिम्को में उच्च तकनीकी के प्रोसथेसिस घटकों के निर्माण के लिए नवीन उत्पाद कारखाना आधुनिक मशीनों के साथ स्थापित किया गया है।

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास अथवा आयात विकल्प जैसे लाभ हुए

(क) घुटने के प्रोसथेसिस के नीचे वाले एलिम्कों के उत्पाद में सुधार हुआ।

(ख) अब एलिम्को उत्पादों में घुटने से ऊपर प्रोसथेसिस के उच्च तकनीक उपलब्ध है।

(ग) आयातित वैकल्पिक व्हीलचेअर्स एलिम्कों के उत्पादों में उपलब्ध होगी।

ANNEXURE-1

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO :

(A) CONSERVATION OF ENERGY

(i) The steps taken or impact on conservation of energy :

ALIMCO has initiated the action of installing roof top solar power plant as an additional energy proposed to be used for the plant.

(ii) The steps taken by the company for utilizing alternate sources of energy :

ALIMCO is also initiating the process of installing solar energy for street light & also for its office building in second phase.

(iii) The Capital investment on energy conservation equipments :

There is no capital investment on energy conservation equipment was made during the financial year 2016-17.

(B) TECHNOLOGY ABSORPTION

(i) The efforts made towards technology absorptions: -

Following efforts are made towards Technology absorption:-

(a) Transfer of Technology agreement has been signed with M/s Motivation U K for development of new type of Wheel Chair.

(b) New Production Plant with modern machines has been established for Manufacturing of High End Prosthesis components at ALIMCO Kanpur as per Transfer of Technology agreement with M/s Otto Bock Germany.

(ii) The benefit derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution: -

(a) Improved Below Knee prosthesis is in ALIMCO's product range.

(b) High End Above Knee prosthesis is now available in ALIMCO's product range.

(c) Import Substitute Wheel Chair will be available in ALIMCO's product range.

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले तीन वर्श के दौरान किया गया आयात)

(क) प्रौद्योगिकी का आयात– ओटोबॉ से घुटने के नीचे तथा ऊपर की प्रोसथेसिस किट।

(ख) आयात का वर्ष – 2015–16

(ग) प्रौद्योगिकी का शोधन – आंशिक रूप से ग्राह्य।

(ग) विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं व्यय

(i) निर्यात सम्बन्धी क्रियाकिलाप: इस विषय को निदेशकों की रिपोर्ट में देखा जा सकता है।

(ii) कुल विदेशी मुद्रा का उपयोग एवं अर्जन इसे वित्तीय विवरणी में देखा जा सकता है।

(iii) In case of imported technology (imported during the last three year reckoned from the financial years: -

(a) The details of technology imported - Above Knee & Below Knee Prosthesis kit from Otto bock, Germany

(b) The year of import - 2015-2016

(c) Whether the technology been fully absorbed - Partially absorbed

(C) FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

(i) Activities relating to export : This aspect has been referred in Directors' Report

(ii) Total foreign exchange used and earned : This aspect has been referred in the Financial statements

संलग्नक–2

प्रपत्र संख्या एम.जी.टी.–9
वार्षिक रिटर्न का सारांश
वित्तीय वर्ष 31.03.2017 की समाप्ति पर

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी (प्रबन्धतंत्र और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 (1) के अनुपालन में

1. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

1.	सी. आई. एन.	U85110UP1972NPL003646
2.	पंजीकरण तिथि	30.11.1972
3.	कम्पनी का नाम	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
4.	कम्पनी का श्रेणी/उपश्रेणी	सीमित अंशपूंजी वाली कम्पनी/कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (पूर्व कम्पनी अधिनियम 1956 धारा 25) में लाइसेंस एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क विवरण	जी. टी. रोड, कानपुर उत्तर प्रदेश Ph.: 91-512-2770172, 2770897, 2770817 Fax: 91-512-2770137, 2770870, 2770172 Toll Free No. 1800-180-5129 Web : www.alimco.in E-mail: alimco@alimco.in
6.	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	असूचीबद्ध
7.	रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांस्फर एजेन्ट यदि कोई है का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण	लागू नहीं है।

2. कम्पनी की मूल व्यापारिक गतिविधियाँ (कम्पनी की सभी व्यापारिक गतिविधियाँ कुल आर्वत सीमा के 10 प्रतिशत से अधिक का योगदान करती है जैसा कहा गया है)

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का निक कोड	कम्पनी के कुल आवर्त का प्रतिशत
1	ट्राइसाइकिल	N.A.	33.80%
2	व्हील चेयर	N.A.	12.56%
3	बी.टी.ई. श्रवण–यन्त्र एवं अन्य	N.A.	18.86%

3. अंशधारिता का आकार (समता अंश पूँजी का विघ्टन कुल साम्य अंश के प्रतिशत के अनुसार)

अ. श्रेणीवार अंशधारिता

अंशधारियों की श्रेणी	वर्ष के प्रारम्भ (31 मार्च 2016 को) में अंशों की संख्या				वर्ष के अन्त (31 मार्च 2017 को) में अंशों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन
	डिमेट	भौतिक	योग	कुल अंशों का प्रतिशत	डिमेट	भौतिक	योग	कुल अंशों का प्रतिशत	
अ. उन्नायक									
1. भारतीय									
अ. व्यक्तिगत/एच यू एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ब. केन्द्र सरकार	0	540997	540997	100%	0	540997	540997	100%	0
स. राज्य सरका	0	0	0	0	0	0	0	0	0
द. अन्य निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
य. बैंक/वित्तीय संस्थायें	0	0	0	0	0	0	0	0	0
र. अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उन्नायक की कुल अंशधारिता (अ)		**540997**	**540997**	**100%**		**540997**	**540997**	**100%**	
ब. सार्वजनिक अंशधारिता									
1. संस्थायें	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अ. म्यूचुअल फण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ब. बैंक/वित्तीय संस्थायें	0	0	0	0	0	0	0	0	0
स. केन्द्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
द. राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
य. वेंचर पूँजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
र. बीमा कम्पनियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ल. विदेशी वित्तीय संस्थायें	0	0	0	0	0	0	0	0	0
व. विदेशी वेंचर पूँजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श. अन्य (विशिष्ट)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप–योग (ब)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2– असंस्थागत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अ. बाडी निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i. भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii. विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ब. व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. व्यक्तिगत अंशधारकों के पास नमित भाग की अशंपूँजी रू 1 लाख तक है	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. व्यक्तिगत अंशधारकों के पास नमित भाग की अशंपूँजी रू 1 लाख से अधिक है	0	0	0	0	0	0	0	0	0

स. अन्य विशिष्टि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रवासी भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी कारपोरेट बाडीस	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी नागरिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
क्लीयरिंग सदस्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ट्रस्ट (न्याय)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विदेशी बाडीस डी आर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप–योग (ब) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक अंशधारिता (ब)=(ब) (1)=(ब) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
स– संरक्षक द्वारा रोके गये अंश जी. डी आर आर एस और ए डी आर एस	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग (अ)+(ब)+(स)	0	540997	540997	100%	0	540997	540997	100%	0

(ब) प्रमोटर्स की अंशधारिता

क्र सं.	अंशधारकों का नाम	शुरूआती वर्ष अंशधारिता			वर्ष की समाप्ति पर अंशधारिता			इसे वर्ष की अंशधारिता के परिवर्तन का प्रतिशत
		अंश की संख्या	कम्पनी के अंश का प्रतिशत	गिरवी रख के अंशों का प्रतिशत	अंश की संख्या	कम्पनी के अंश का प्रतिशत	गिरवी रख के अंशों का प्रतिशत	
1.	Central Government (through President of India)	540997	100%	Nill	540997	100%	Nill	Nill

(स) प्रमोटर्स की अंशधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें यदि कोई परिवर्तन न हो)

इस वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रमोटर्स के अंशधारिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(द) 10 शीर्ष अंशधारकों की अंशधारिता

(निदेशक, प्रमोटर्स ओर जीडीआर और एडीआर होल्डर्स)

क्र. सं.	प्रत्येक 10 शीर्ष अंशधारकों की अंशधारिता	शुरूआती वर्ष अंशधारिता		संचयी अंशधारिता इस वर्ष	
		अंश की संख्या	कम्पनी के अंश का प्रतिशत	अंश की संख्या	कम्पनी के अंश का प्रतिशत
1.	शुरूआती वर्ष में	NIL			
2.	इस वर्ष कोई दिनांक सहित घटना/बढ़ना प्रमोटर्स अंशधारिता कारण के साथ (उदाहरण–आवंटन/हस्तान्तरण/बोनस/स्वीट समता आदि)				
3.	अन्तिम वर्ष में				

(य) मुख्य प्रबन्धकीय कार्मिकों एवं निदेशकों की अंशधारिता

क्र. सं.	नाम	अंशधारिता		अंशधारिता में उतार–चढ़ाव	इस वर्ष की संचयी अंशधारिता	
		अंशों की संख्या शुरूआती/अन्तिम वर्ष में	कम्पनी के कुल अंकों का प्रतिशत		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंकों का प्रतिशत
1.	श्री अवनीश कुमार अवस्थी (भारत सरकार के नामित रूप में)	1	0.0050%		1	0.0050%
2.	श्री टी. सी. ए. कल्यानी (भारत सरकार के नामित रूप में)	1	0.0050%		1	0.0050%
3.	श्री डी. आर. सरीन	0	0.00%		0	0.00%

(फ) **ऋणग्रस्तता** – कम्पनी के ऋण इसमें अदत्त ब्याज/अर्जित लेकिन भुगतान योग शामिल नहीं है :

रू लाख में

	सुरक्षित ऋण जिसमें जमा शामिल नहीं	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण
वित्तीय वर्ष के शुरूआत में ऋणग्रस्तता				
1. प्रधान राशि	0	0	0	0
2. ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं	0	0	0	0
3. ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं	0	0	0	0
कुल	0	0	0	0
वित्तीय वर्ष के दौरान परिर्वर्तित ऋण				
अतिरिक्त	0	0	0	0
घटौती	0	0	0	0
शुद्ध परिर्वतन				
वित्तीय वर्ष के अन्तिम के ऋण				
(i) प्रधान राशि	0	0	0	0
(ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं	0	0	0	0
(iii) ब्याज उपार्जित लेकिन भुगतान हीं	0	0	0	0
कुल (i)+(ii)+(iii)	0	0	0	0

IV. उच्च प्रबन्धकीय कार्मिकों और निदेशकों का पारिश्रमिक

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है (सरकारी कम्पनी) और कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार करती है। अतः नियुक्ति की शर्तों के अनुरूप पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इससे सम्बन्धित विवरण वित्तीय विवरण के नोट्स बनाने वाले भाग में दिया हुआ जो कि वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

V. जुर्माना/दण्ड/अपराध में सम्मिलित

31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु यहाँ कोई जुर्माना/दण्ड/अपराध नहीं है।

ANNEXURE-2

FORM NO. MGT 9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on financial year ended on 31.03.2017

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014.

I. REGISTRATION & OTHER DETAILS:

1.	CIN	U85110UP1972NPL003646
2.	Registration Date	30.11.1972
3.	Name of the Company	Artificial Limbs Manufacturing corporation of India
4.	Category/Sub-category of the Company	Company Limited by Shares/Company licensed under Section 8 (Corresponding Section 25 of the Companies Act 1956) -Govt. of India Undertaking
5.	Address of the Registered office & contact details	G.T. Road Kanpur Uttar Pradesh Ph.: 91-512-2770172, 2770897, 2770817 Fax: 91-512-2770137, 2770870, 2770172 Toll Free No. 1800-180-5129 Web : www.alimco.in E-mail: alimco_hq@vsnl.net
6.	Whether listed company	Unlisted
7.	Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	Not Applicable

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY
(All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated)

S. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/service	% to total turnover of the company
1	Tricycle	N.A.	33.80 %
2	Wheel Chair	N.A.	12.56 %
3	BTE Hearing-Aid & Others	N.A.	18.86%

III SHARE HOLDING PATTERN

(Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

A. Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year (As on 31-March-2016)				No. of Shares held at the end of the year (As on 31-March-2017)				% change during the year
	Demate	Physical	Total	% of Total Shares	Demate	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual/ HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Central Govt	0	540997	540997	540997	0	540997	540997	100%	0
c) State Govt(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Banks / FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Any other	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total shareholding of Promoter (A)		**540997**	**540997**	**100%**		**540997**	**540997**	**100%**	
B. Public Shareholding									
1. Institutions	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Mutual Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Banks / FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Central Govt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) State Govt(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Insurance Companies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) FIIs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Others (specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-total (B) (1):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Non-Institutions									
a) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Indian	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) Overseas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c) Others (specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non Resident Indians	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overseas Corporate Bodies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foreign Nationals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clearing Members	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trusts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foreign Bodies - D R	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-total (B) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grand Total (A+B+C)	0	540997	540997	100%	0	540997	540997	100%	0

B. Shareholding of Promoters :-

S. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the begining of the year			Shareholding at the end of the year			% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1.	Central Government (through President of India)	540997	100%	Nill	540997	100%	Nill	Nill

C) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

There was no change in the Promoter's shareholding during the financial year 2016-17

D. Shareholding Pattern of top ten Shareholders :

(Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

S. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the years		Shareholding at the end of the years	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No. of Shares	% of total shares of the company
1.	At the beginning of the years	NIL			
2.	Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
3.	At the end of the years				

E. Shareholding of Directors and key Managerial Personal :

S. No.	Name	Shareholding		Increase / Decrease in Shareholding	Cummulative Shareholding during the year	
		No. of Shares at the beginning /end of the year	% of total shares of the company		No. of Shares	% of total shares of the company
1	Shri Awanish Kumar Awasthi (As Nominee of Govt.)	1	0.0050%		1	0.0050%
2	Ms. T.C.A Kalyani (As Nominee of Govt.)	1	0.0050%		1	0.0050%
3	Shri D.R. Sarin	0	0.00%		0	0.00%

F. INDEBTEDNESS - Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.

Rs. in Lacs

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtendness
Indebtedness at the beginning of the				
financial year				
i) Principal Amount	0	0	0	0
ii) Interest due but not paid	0	0	0	0
iii) Interest accrued but not due	0	0	0	0
Total (i+ii+iii)	0	0	0	0
Change in Indebtedness during the				
financial year				
* Addition*	0	0	0	0
* Reduction	0	0	0	0
Net Change				
Indebtedness at the end of the				
financial year				
i) Principal Amount	0	0	0	0
ii) Interest due but not paid	0	0	0	0
iii) Interest accrued but not due	0	0	0	0
Total (i+ii+iii)	0	0	0	0

IV. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL-

ALIMCO is a Central Public Sector Undertaking (Government Company) and the appointment of Chairman & Managing Director is made by the Government of India and is being paid remuneration as per terms of their appointment. The details in this regard are given in the Notes forming part of the financial statement which forms part of Annual Report.

V. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

There were no penalties/punishment/compounding of offences for the financial year ended 31st March 2017.

संलग्नक–3

सी एस आर गतिविधियों पर रिपोर्ट

(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा, 134 (3) तथा कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियमावली, 2013 के नियम–9 हेतु अनुसरण)

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, इसमें किये जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का सिंहावलोकन तथा सीएसआर नीति परियोजनाएं वेब लिंक पर संदर्भित है।

   30.3.2016 को आयोजित 160वीं बोर्ड की बैठक में निगम के बोर्ड ने कारपोरेट "सामाजिक उत्तरदायित्व नीति" को अनुमोदित कर दिया था।

   डीपीई दिशा निर्देश तथा उसके तहत कंपनिज (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों की तर्ज पर कंपनी का "कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर नीति) बनायी गयी थी। जोकि 1.04.2015 से लागू है। नीति में परामर्शी सिद्धांत निर्धारित किये जाते है जोकि कंपनी की सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रम/क्रियाकलापों हेतु लागू होगी। नीति के अनुसार निगम द्वारा पूरे किये जाने हेतु सीएसआर कार्यक्रमों अथवा परियोजनाऐं, वर्तमान में अथवा समय–समय पर संशोधित, कंपनीज एक्ट, 2013 की अनुसूची–VII सूचीबद्ध एक अथवा अधिक क्रियाकलापों से संबंधित होगी। कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति का गठन।

   i) श्री डी आर सरीन, – अध्यक्ष
   अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

   ii) श्री अवनीश कुमार अवस्थी, – सदस्य
   संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशाक्तिकरण विभाग
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा निदेशक, एल्मिको

   iii) टी.सी.ए. कल्यानी – सदस्य
   संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशाक्तिकरण विभाग
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा निदेशक, एल्मिको

3. पिछले 3 वित्तीय वर्षों हेतु कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 3644.25 लाख रुपये था।

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत) संदर्भित मद–3 देखें। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर की ओर 72.88 लाख रुपये खर्च किये जाने की आवश्यकता है।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च सीएसआर का विवरण

   (क) वित्तीय वर्ष हेतु व्यय हेतु कुल राशि – 130.64 रूपये (इसमें 2015–16 में खर्च न हुए 57.76 लाख रूपये भी शामिल है)

   (ख) खर्च न हुई राशि, यदि कोई हो –130.21 लाख रूपये

   (ग) वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गयी राशि के ढंग का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना अथवा पहचानी गयी गतिविधि	वह क्षेत्र जिसके तहत परियोजना कवर होती है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम (1)स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य एवं जिला विनिर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम थे	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च राशि उप–शीर्ष (1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	रिपोर्ट तैयार किये जान तक संचयी व्यय	राशि खर्च की गयी प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के जरिये
1	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल शिविर को आयोजित करने तथा कानपुर एवं निगम केएपीसी/आस–पास के क्षेत्रों सहित आस–पास के क्षेत्रों में सोलर लाल्टेन के वितरण के लिए	स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय बनाये रखने को बढ़ावा देना।	शून्य	30.00	0.22	शून्य	शून्य

2	दिव्यांग खिलाड़ियों जो राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले रहें है तथा कानपुर एवं निगम के एएपीसी/आरएमसी के आस–पास के क्षेत्रों सहित आस–पास के क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ाने हेतु प्रावधान	खिलाड़ियों को बढ़ावा देना तथा व्यवसायिक कौशल को बढ़ाना	शून्य	27.76	0.22	शून्य	शून्य
3	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल शिविरों का आयोजन	स्वास्थ्य को बढ़ावा देना	शून्य	15.00	शून्य	शून्य	शून्य
4	व्यवसायिक कौशल को बढ़ाना	व्यवसायिक कौशल को बढ़ाना	शून्य	40.00	शून्य	शून्य	शून्य
5	दिव्यांग खिलाड़ियों को बढ़ावा देने हेतु प्रावधान जो राष्ट्रीय/राज्य/अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भाग ले रहे हैं।	खिलाड़ियों को बढ़ावा देना	शून्य	17.88	शून्य	शून्य	शून्य
			कुल	130.64	0.44		

6. यदि कंपनी पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत अथवा उसके किसी भाग को खर्च करने में असफल हो जाती हैं तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि को खर्च न करने के कारणों को बतायेगी:–

निगम द्वारा आवंटित बजट के पूरी तरह उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। निगम की सीएसआर गतिविधियों को पूरा करने हेतु उचित पार्टियों की पहचान न होने के कारण आवंटित बजट का वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2017 तक पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था। खर्च न की गयी राशि को वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु सी एसआर बजट में शामिल कर लिया जायेगा।

7. दायित्व विवरणी:–

कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति का कार्यान्वयन एवं निगरानी कंपनी की सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में है।

ANNEXURE-III

REPORT ON CSR ACTIVITIES

{Pursuant to section 134(3) (o) of the Companies Act 2013 and Rule 9 of the Companies (Corporate Social Responsibility) Rule 2013}

1. Brief outline of the Company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs.

   The Board of the Corporation at its 160th Board Meeting held on 30.03.2016 approved the Corporate Social Responsibility Policy.

   The 'Corporate Social Responsibility (CSR Policy) of the Company was formulated in line with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 made thereunder and 'DPE Guidelines ' w.e.f. April 1, 2015. The Policy lays down the guiding principles that shall be applicable to the CSR projects / programme / activities of the Company. CSR programs or projects to be undertaken by the Corporation in terms of the Policy, shall relate to one or more activities listed in Schedule VII of the Companies Act, 2013, at present or as may be amended from time to time. The Corporate Social Responsibility Policy of the Company is available on the website of the Corporation.

2. Composition of the Board level CSR Committee.

   As on March 31, 2017 the CSR Committee comprises of the following members:

   Shri D.R.Sarin, - Chairman (Chairman & Managing Director)
   Shri Awanish Kumar Awasthi, - Member (JS (DEPwD, MoSJE & Director ALIMCO)
   Ms. T. C. A Kalyani - Member (JS &FA (DEPwD, MoSJE & Director ALIMCO)

3. Average net profit of the Corporation for last three financial year's Rs. 3644.25 Lakhs
4. Prescribed CSR Expenditure (two percent of the amount as in item 3 above) Rs.72.88 Lakhs
5. Details of CSR spent during the financial year.

(a) Total amount to be spent for the financial year : Rs. 130.64 Lakhs ((including Rs.57.76 lakhs unspent of 2015-16)

(b) Amount unspent if any : Rs.130.21 Lakhs

(c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

S. No.	CSR Project or activity dentified	Sector in which the Project is covered	Projects or programs (1) Local area or other (2)Specify the State and district where projects or programs was undertaken	Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs Sub- heads: (1) Direct expenditure on projects or programs. (2) Overheads	Cumulative Expenditure upto to the reporting period.	Amount spent: Direct or through Implementing agency
1.	Organizing Primary Health care Camps and Distribution of Solar lantern in Kanpur and nearby areas including nearby areas of AAPC/ RMCs of the Corporation.	Promoting Health and Environmental Sustainability	Nil	30.00	0.22	Nil	Nil

2.	Provision for promoting disabled Sports persons who are participating national/ International level and Skill Development Programme in Kanpur and nearby areas including nearby areas of AAPC/RMC of the Corporation.	Promoting Sportspersons and Enhancing Vocational Skills	Nil	27.76	0.22	Nil	Nil
3.	Organizing Primary Health care Camps	Promoting Health		15.00			Nil
4.	Enhancing vocation skills	Enhancing Vocational Skills		40.00			Nil
5.	Provision for promoting disabled Sports persons who are participating National/ State/ International level	Promoting Sports persons		17.88			Nil
	TOTAL			130.64	0.44		

6. **In case the company has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report :-**

   The Corporation is endeavored to ensure full utilization of the allocated CSR budget the allocated funds were not utilized fully in the financial year upto 31st March 2017 due to non-identification of suitable parties to undertake CSR activities of the Corporation. The amount which remained unspent shall be added to the CSR budget for the financial year 2017-18

7. **Responsibility Statement:**

   The implementation and monitoring of Corporate Social Responsibility Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the Company.

संलग्नक–4

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली

7-PDCA-IV/A/c./NZ/ALIMCO/M.F./17-18/2832
दिनांक : 24.08.2017

सेवा में
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
जी.टी. रोड, कानपुर–209217

विषय : कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखाकार की टिप्पणी

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय से संबन्धित इस कार्यालय का पत्र सं. 7-PDCA-IV/A/c./NZ/ALIMCO/M.F./17-18 दिनांक 08.2017 इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय
ह0/.
(गीता नारायन)
व0 लेखा परीक्षा अधिकारी मुख्यालय

संलग्न : यथोपरि

ANNEXURE-IV

Office of the Principal Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member,
Audit Board-IV, New Delhi

7-PDCA-IV/A/c./NZ/ALIMCO/M.F./17-18/2832
Date : 24.08.2017

To,
The Chairman and Managing Director,
Artificial Limbs Manufacturing Corporation Limited
G.T.Road, Kanpur-209217

Sub : Comments of the Comptroller & Auditors General of India under Section 143 (6) (b) of the Companies 2013 on the accounts of Artificial Limbs Manufacturing of Corporation of India for the year ended 31st March 2017.

Sir/Madam

Enclose herewith the letter No. 7-PDCA-IV/A/c./NZ/ALIMCO/M.F./17-18 of the this office dated 08.17 on the above subject for the necessary Action.

Encl. As above

Your faithfully,
Sd/-
(Gita Narayan)
Senior Account Audit Officer (Head Office)

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली

7/PDCA-IV/A/c./NZ/ALIMCO/M.F./17-18
दिनांक : 08.2017

सेवा में
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
जी.टी. रोड, कानपुर–209217

विषय : कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखाकार की टिप्पणी

महोदय,

मैं कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अर्न्तगत 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखाकार की टिप्पणी संलग्न कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

उपरोक्त संलग्न

भवदीय
ह0/.
(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक वाणिज्यक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य,लेखा परीक्षा बोर्ड- IV

Office of the Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member,
Audit Board-IV, New Delhi

7/PDCA-IV/A/c./NZ/ALIMCO/M.F./17-18
Date : .08.2017

To,
The Chairman and Managing Director,
Artificial Limbs Manufacturing Corporation Limited
G.T.Road, Kanpur-209217

Sub : Comments of the Comptroller & Auditors General of India under Section 143 (6) (b) of the Companies 2013 on the accounts of Artificial Limbs Manufacturing of Corporation of India for the year ended 31st March 2017.

Sir

I am enclose herewith the comments of the Comptroller and Auditor General of India under 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India for the year ended 31st March 2017.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Encl. As above

Your faithfully.
Sd/-
(Ritika Bhatia)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member, Audit Board-IV

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा –143(6)(बी) के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम की वित्तीय विवरणियों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वितीय रिपोर्ट ढांचे के अनुसार भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणियों तैयार करना कंपनी के प्रबंधक की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा–139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व है कि वे अधिनियम की धारा–143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के अधार पर अधिनियम की धारा–143 के तहत वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करें। उनकी तारीख 05.8.2017 की संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिये यह कहा गया है कि उन्होंने ऐसा कर लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, मैंने भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणियों का अधिनियन की धारा –143 (6)(ए) के तहत अनुपूरक लेखा–परीक्षा कर लिया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य दस्तावेजों को देखें बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी कार्मिकों से प्राथमिक रूप से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चयनित जाँच तक ही सीमित रहा है। मेरे लेखा–परीक्षा में महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है जो मेरी जानकारी में आया है। मेरे विचार में कोई टिप्पणी या वैद्यानिक अंकेक्षण रिपोर्ट के पूरक हो।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.2017

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से
भवदीय
ह0/.
(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–IV, नई दिल्ली

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF THE INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017

The preparation of financial statements of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of the India for the year ended 31 March 2017 in accordance with financial reporting framework prescribed under the Companies Act. 2013 (Act.) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is/are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated **5th August 2017.**

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143 (6) (a) of the Act of the financial statements of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India for the year ended 31 March 2017. This supplementary audit has been carried out independently with out assess to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report.

For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India,

Place : New Delhi
Date : 08.2017

Sd/-
(Ritika Bhatia)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member, Audit Board-IV

संलग्नक–5

सी एस शिव कुमार गुप्ता

एफ.सी.एस., एम.कॉम., एल. एल. बी.

105, लिविंग स्टाइल मॉल, जसोला, नई दिल्ली–110025
फोन : 9811032875, 011–43047616
E-mail : shiv3009@gmail.com, shiv1gupta@yahoo.com

10 जुलाई 2017

प्रपत्र सं. एमआर–3

सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कंपनीज (नियुक्ति तथा पारिश्रमिक कार्मिक) नियमावली–2014 के नियम–9 के अनुसरण में,

सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

सेवा में,

सदस्यगण
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
जीटी रोड, कानपुर–209217, उ.प्र.

हमे भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के निदेशक मण्डल द्वारा स्वैच्छिक आधार पर वितिय वर्ष 31 मार्च 2017 के लिए नियुक्त किया गया (यहां उसे कंपनी कहा गया) जोकि सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा श्रेष्ठ कारपोरेट व्यवहारों के लिए उचित है।

हमनें 31 मार्च 2017 को को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा श्रेष्ठ कारपोरेट व्यवहारों हेतु सचिवीय अंकेक्षण रिर्पोट आयोजित किया है। सचिवालय लेखा परीक्षा इस तरीके से किया गया था जो हमें कारपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यकांन हेतु तथा उस पर मेरी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कंपनीज अधिनियम (कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुकूल) की धारा –8 के तहत लाइसेंस धारण करने वाली कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा–2 (45) के अर्थों में एक सरकारी कंपनी हैं तथा वह कंपनीज अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत छूटों तथा विशेष सुविधाओं के लिए पात्र हैं।

सचिवीय अंकेक्षण रिर्पोट के आयोजन के दौरान कंपनी को किताबों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों तथा दायर की गयी विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गये अन्य अभिलेखों तथा कंपनी द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों से संबंधित हमारे सत्यापन के आधार पर मैं एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने इसमें सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया हैं तथा यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाऐं तथा अनुपालन–तंत्र हैं जो इस प्रकार, सीमा के स्थान पर तथा आगे चलकर की गयी रिपोर्ट के अधीन आते है।

हमने लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा रखी जा रही किताबों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों तथा दाखिल विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की निम्न के प्रावधानों के अनुसार जांच की है:–

- कंपनीज अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनी नियमावली।
- केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
- सेवाकर नियमावली
- आयकर अधिनियम, 1961
- डीपीई दिशा निर्देश
- मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
- कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- प्रशिक्षुता अधिनियम,1961
- संविदा श्रम (विनियमन एवं समापन) अधिनियम
- फैक्टरीज अधिनियम, 1948
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण), अधिनियम, 1981
- पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम, 1986
- जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कंपनी ने समीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त अधिनियम, नियमावली विनियमन दिशा–निर्देश मानकों आदि का अनुपालन किया है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने तारीख 05.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार स्वतंत्र निदशकों की नियुक्त सहित कंपनीज अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन करने से धारा 8 से छूट प्रदान की गयी थी जबकि एलिम्को लाभ न कमाने वाली कंपनीज अधिनियम, 2013 (कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 25) की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी है। भारत सरकार के आदेशों के अनुपालन में, समीक्षा अवधि के दौरान निदेषक मंडल में परिवर्तन कर लिये गये थे।

सभी निदेशकों को पर्याप्त समय बोर्ड की बैठक से, कार्य सूची, तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट अग्रिम रूप में नोटिस भेजे गये थे तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर आगे सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने तथा प्राप्त करने के लिए तथा बैठक में अर्थपूर्ण ढंग से भाग लेने की वर्तमान प्रणाली है।

बोर्ड बेठकों तथा समिति बैठकों में लिये गये सभी निर्णयों को, निदेशक मंडल अथवा मंडल की समिति की बैठकों, के दर्ज कार्यवृत्त के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, निर्विरोध लागू किया जाता है।

मैं आगे सूचित करता हूँ कि कंपनी के आकार तथा परिचालन के अनुसार लागू विधियों, नियमावलियों, विनियमों तथा दिशा निर्देशों पर निगरानी करने तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणाली तथा प्रक्रियाएं मौजूद है।

शिव कुमार गुप्ता

ह0/–
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
सदस्यता सं.– एफसीएस 1633
सीपी नं–7343

ANNEXURE-V

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st March, 2017
[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2017

To
The Members,
Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India,
GT Road, Kanpur- 208016, U.P.

We are appointed by the Board of Directors of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (hereinafter called the "Company") on a voluntary basis for the financial year ended 31st March, 2017 as it provides an independent assurance of the compliances in the company for Good Corporate Governance Practices.

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (hereinafter called the "Company") for the financial year ended 31st March, 2017. Secretarial Audit was conducted in manner that provided us with a reasonable basis for evaluating the corporate conduct/ statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) is a Government Company within the meaning of Section 2(45) of the Companies Act, 2013 holding License under Section 8 of the Company Act (corresponding to Section 25 of the Companies Act, 1956) and is entitled to exemptions and privileges under various provisions of the Companies Act 2013.

Based on our verification of the company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2017 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company during the audit period according to the provisions of:

- The Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder;
- Central Sales Tax Act, 1956;
- Service Tax Rules;
- Income Tax Act, 1961;
- DPE guidelines;
- Payment of Wages Act, 1936;
- Employees Provident Fund & Miscellaneous provision Act, 1952;

- Apprentices Act, 1961;
- Contract Labour (Regulation & Abolition) Act;
- Factories Act, 1948;
- Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981
- Environment Protection Act, 1986
- Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
- The Right to information Act, 2005

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide notification dated 05.06.2015, had exempted Section 8 companies, from complying with certain provisions of the Companies Act, 2013 including Appointment of Independent Directors, Whereas ALIMCO is not Profit making company registered under Section 8 of the Companies Act 2013 (erstwhile Section 25 of Companies Act, 1956).

The changes in the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the order of Government of India.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions at Board Meetings and Committee Meetings are carried out unanimously as recorded in the minutes of the meetings of the Board of Directors or Committee of the Board, as the case may be.

I further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

Sd/-
Shiv Kumar Gupta
Practising Company Secretary
Membership No. FCS 1633
CP No. 7343

संलग्नक–6

प्रबन्धन विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) अनुसूची सी में, एक मिनीरत्न श्रेणी द्वितीय मे शामिल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (लाभ न कमाने के उद्देश्य के लिए) अन्तर्गत पंजीकृत है (पूर्व कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25) एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति जिनके पास 100 प्रतिशत अंश के साथ भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय विकंलाग जन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिये पुर्नवास यंत्र एवम् सहायक उपकरण के निर्माण से और देश के विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और अन्य पुर्नवास यंत्र की उपलब्धिता, उपयोग, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने और विकास के द्वारा अधिकतम सीमा तक सहायता करने के उद्देश्य से कार्य करती है। लाभप्रदता निगम का उद्देश्य नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य उचित मूल्य पर विकलांग व्यक्तियों को बढ़ी संख्या में बेहतर गुणवत्ता वाले यंत्र एवं उपकरण प्रदान करना है। निगम द्वारा कृत्रिम अंगों के उत्पादन का कार्य सन् 1976 से आरम्भ किया था। निगम की कुल चार सहायक उत्पादन केन्द्र जो कि भुवनेश्वर (उड़ीसा), जबलपुर (मध्य प्रदेश), बैंगलूरू (कर्नाटक) और चनालोन (पंजाब) में स्थित है। इसके अतिरिक्त निगम के चार क्षेत्रीय विपणन केन्द्र है। जो कि नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, हैदराबाद स्थित है। मोटरीकृत ट्राईसाइकिल जैसे आधुनिक सहायक उपकरणों के निर्माण के लिए उज्जैन में एक नई उत्पादन यूनिट हेतु फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, उसका सिविल कार्य चल रहा है। निगम का एक आउटरीच सेन्टर जो कि गुवाहाटी में स्थित है। जो उत्तर पूर्व क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

2. एल्मिको की उन्नति–एक संक्षिप्त विवरण

देष में सभी प्रकार की दिव्यांगताओं की सेवा हेतु एक छत के नीचे विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उत्पादन करने वाला यह निगम ही एक मात्र कंपनी है। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी ने 2015–16 में अर्जित 189.36 करोड़ रूपये के मुकाबले 240.67 करोड़ रूपये की टर्नओवर प्राप्त किया है। 2015–16 में अर्जित 46.20 करोड़ के सरप्लास मुकाबले इस वर्श 55.74 करोड़ रूपये सरप्लस अर्जित किया है।

ANNEXURE-VI

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1. About the Company and the Industry

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) is a Schedule 'C' Miniratna Category II Central Public Sector Enterprises, registered under Section 8 (Not for Profit Motive) of the Companies Act 2013, (corresponding to Section 25 of the Companies Act, 1956) is functioning under the administrative Control of Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India. It is a 100% owned by Govt. of India Central Public Sector Enterprises with an objective of benefiting the Persons with Disabilities (PwDs) to the maximum extent possible by manufacturing Rehabilitation Aids for persons with disabilities and by promoting, encouraging and developing the availability, use, supply and distribution of Artificial Limbs and other Rehabilitation aids to the needy PwDs of the country. Profitability is not the motive of the operations of the Corporation and its main thrust is in providing better quality of Aids & Appliances to larger number of disabled persons at reasonable price. The Corporation started manufacturing artificial aids in 1976. At present it has four Auxiliary Production Centres (AAPCs) situated at Bhubaneswar (Orissa), Jabalpur (MP), Bengaluru (Karnataka) and Chanalon (Punjab). The foundation stone has been laid down for a new production unit in Ujjain for manufacturing modern assistive device like Motorized Tricycle, the civil construction work is under process. The Corporation has four Marketing Centres at New Delhi, Kolkata, Mumbai & Hyderabad and one Outreach Centre at Guwahati to cater North-East region of the country.

2. Growth of ALIMCO -an overview

The Corporation is the only manufacturing Company producing various types of assistive devices under one roof to serve all types of disabilities across the country. During the Financial year 2016-17, the company has achieved a turnover of Rs 240.67 crores as against Rs. 189.36 crores in 2015-16 and earned surplus of Rs 55.74 crores as against Rs. 46.20 crores earned surplus in the year 2015-16.

3. क्षमता एवं दोष

(अ) क्षमता :–

(i) भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की निशक्तजन सहायता योजना (एडिप) के लिए 1981 से निरन्तर कार्य करने वाला प्रमुख अभिकरण.

(ii) भारत सरकार की योजना सर्व शिक्षा अभियान (एडिप एस.एस.ए.) के अन्तर्गत निशक्तजन सहायता उपलब्ध कराने वाली एकमात्र संस्था।

(iii) उत्तम औद्योगिक सम्बन्ध परिदृश्य.

(ब) दोष :–

(i) 45 वर्ष पुराना निगम

(ii) सम्पूर्ण उद्यम एवं संयंत्र, आधारभूत सुविधाएं, सहायक सेवाएं, भवन इत्यादि 30 से 35 वर्ष पुराने हो गये है और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से सभी सुविधाओं के पुनर्नवीनीकरण, पुनर्निमाण, बदलाव और मरम्मत की अत्यधिक आवश्यकता है जिसके अभाव में निगम का कार्य अवरुद्ध हो सकता है. हालांकि अब निगम द्वारा प्रतिष्ठित आधुनिकीकरण योजना की शुरूआत किया जा रहा जिसमें है आधुनिक अनुसंधान एवं विकास के द्वारा किफायती मूल्य पर उपकरणों के निर्माण और विश्व स्तर की गुणवत्ता एड्स और सहायक उपकरणों प्रदान करने के लिए जिसमें आर एण्ड डी केन्द्र का निर्माण शामिल है और जिससे आम लोगों के लिए कम लागत पर उपकरण प्रदान करने तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भारत सरकार की एडीप योजना द्वारा निःशुल्क उपकरणों को प्रदान करना षामिल है।

(iii) शोध एवं विकास इकाई पूर्णतया जर्जर हो चुकी है.

(iv) निदेशक मण्डल में अद्यतन मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई

4. अवसर

(i) तकनीकी रूप से उत्पादों के आधुनिकीकरण या उनमें सुधार होने पर उनके विपणन की अपार सम्भावनाएं हैं.

(ii) निगम का आधुनिकरण कार्यक्रम

(iii) व्यवसाय जगत से 'आर्थिक सामाजिक कर्तव्य' आधारित व्यापार की असीमित सम्भावनाएं हैं.

(iv) कुछ ToTs हस्ताक्षरित किये है जो कि लागू करने की प्रक्रिया में है।

(v) निर्यात बाज़ार की ओर उन्मुख होना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में अच्छी सम्भावनाएं हैं.

3. Strengths and Weaknesses

(A) Strengths

(i) Major implementing agency of the Government of India Scheme "Assistance for Disabled Persons (ADIP)" of Ministry of Social Justice & Empowerment since 1981.

(ii) Sole implementing agency of the Government of India Scheme "Assistance for Disabled Persons under Sarva Shiksha Abhiyan (ADIP-SSA)".

(iii) Good industrial relations scenario.

(B) Weaknesses

(i) 45 years old Corporation.

(ii) Total Plant & Machinery, infrastructure facilities, Auxiliary services, building etc. are 30 to 35 years old need to be renovated/ retrofitted/refurbished/replaced with latest modernized technologically advanced facilities, failing which the entire Corporation may come to stand still. However, now Corporation has embarked upon a prestigious modernization plan for creation of advanced facilities including modern R&D centre to manufacture and provide world class quality aids & assistive devices at an affordable price to common people and free of cost to economically weaker section of society under ADIP Scheme of the Government of India.

(iii) R& D set up is totally dismantled in the Corporation.

(iv) No induction of Independent Director on the Board till date by the Ministry.

4. Opportunities

(i) Lot of Scope available for marketing the products provided the products are technologically advanced/improved.

(ii) Modernization programme of the Corporation

(iii) Huge Scope of CSR business from Corporate Sectors.

(iv) A few ToTs are signed and in the process of implementation.

(v) Explore the Export market as there is good potential.

5. चुनौतियां

सहायक उपकरणों के वितरण में निगम मुख्यतः सरकारी अनुदान पर निर्भर है जिसका निगम के आवर्त में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

6. कॉर्पोरेट जगत के आर्थिक–सामाजिक कर्तव्यों का साझीदार एल्मिको

निगम ने सभी लाभार्जक कॉर्पोरेट पब्लिक सेक्टर इकाइयों एवं निजी कम्पनियों से सम्पर्क करने प्रारम्भ कर दिये हैं और प्रयासरत है कि एलिम्को के माध्यम व सहायता से वे कम्पनियाँ अपने आर्थिक–सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु मूल्यांकन, एवं वितरण द्वारा निशक्तजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध करायें।

7. भविष्य पर दृष्टि

निगम का विश्वास है कि यह वर्ष दर वर्ष उन्नति के नये सोपानों पर चढ़ता रहेगा। बषर्ते कि निगम को सरकार की आरे से एडिप योजना के तहत समान रूप से अनुदान सहायता मिलती रहें। महा महिम, श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किये गये। "मेक इन इंडिया के तहत निगम के अपने उत्पादों का भविष्य बहुत ऊँचा रहे।

5. Threats

The Corporation is mainly depends on Govt. Grants for distribution of Aids & Assistive Devices which finally reckons on turnover of the Corporation.

6. ALIMCO as CSR Implementation partner of Corporate Sector.

The corporation has taken initiative and has started approaching all profit making CPSEs and Privates Companies to take up their CSR obligation through ALIMCO for Assessment and Distribution of Aids and Assistive Devices to PwDs.

7. FUTURE OUTLOOK

The corporation believes that it will continue to be on its growth platform achieving new height year by year provided the Corporation keeps on getting equal grant in aid under ADIP from the Government. The Corporation reckons that the future prospects for their products area very high under "Make in India" Campaign launched by his Excellency, Shri Narendra Modi the Hon'ble Prime Minister of India

संलग्नक–7

ANNEXURE-VII

कारपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

1.1 निगमित अभिशासन के दिशा निर्देशों कम्पनी का दर्शन

एलिम्को इस विचारधारा पर कार्य करता है कि अपने संचालन के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन करके निगम अपने अंशधारकों एवं सम्बन्धित हितधारकों के हितों की रक्षा कर सकेगा और इसी के साथ अपने संचालन में अधिक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वों का पालन भी कर सकेगा।

1.2 निदेशक मण्डल

दिनांक 31.03.2017 को आपके निगम का निदेशक मण्डल की श्रेणी एवं संरचना निम्नवत है–

(i) श्री डी.आर. सरीन : कार्यकारी निदेशक
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

(ii) श्रीमती टीसीए कल्याणी : सरकार द्वारा नामित
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार

(iii) श्री अवनीश कुमार अवस्थी : सरकार द्वारा नामित
संयुक्त सचिव
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1.1 COMPANY'S PHILOSOPHY ON GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE

ALIMCO works on the philosophy that by following the guidelines in its functioning, the Corporation would protect the interest of shareholders and relevant stakeholders and also it would bring more transparency and accountability in its functioning

1.2 BOARD OF DIRECTORS

The composition and category of Board of Directors of your Corporation as on 31.03.2017 is as under :

i) Shri D.R.Sarin : Functional Director
Chairman & Managing Director

ii) Ms. T.C.A. Kalyani : Government Nominee
Joint Secretary & Financial Adviser,
Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI

iii) Shri Awanish Kumar Awasthi : Government Nominee
Joint Secretary Dept. of
Empowerment of Persons with
Disabilities (Divyangjan), Ministry
of Social Justice & Empowerment, GOI

1.3 निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान सम्पन्न हुई मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नवत् है–

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	2016–17 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति 2016–17
1	श्री डी. आर. सरीन	7	7
2	श्री अवनीश कुमार अवस्थी	7	7
3	मिस टी.सी.ए. कल्याणी	7	7

1.4. वित्तीय वर्ष में निदेशकों में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड के गठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात् बोर्ड की संरचना पूर्ववत् रहेगी।

1.5 बोर्ड निदेशक मंडल की बैठकें कितनी और कब सम्पन्न हुई

वर्ष 2016–17 में निदेशक मण्डल की 07 बैठकें दिनांक 28 जून 2016, 19 जुलाई 2016, 24 अगस्त 2016, 08 सितम्बर 2016, 21 नवम्बर 2016, 19 जनवरी 2017 तथा 21 मार्च 2017 को सम्पन्न हुई थीं।

1.6 निदेशक मंडल की समितियाँ

वित्तीय वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति, सीएसआर समिति तथा पारिश्रमिक समिति संबंधी सूचना तथा आयोजन उन समितियों की बैठकें निम्नानुसार है।

(i) लेखा परीक्षा समिति

एलिम्कों एक गैर–लाभ अर्जित करने वाली संगठन है तथा धारा 8 (कंपनीज एक्ट 1956 की धारा 25) के तहत आता है। कंपनीज एक्ट, 2013 तथा इसके साथ पठित कारपोरेट मंत्रालय, द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसरण में निगम ने लेखा परीक्षा का समिति का गठन किया था। समिति का संरचना तथा सदस्यों का उपस्थिति निम्नानुसार है:–

1.3 ATTENDANCE OF DIRECTORS AT THE BOARD MEETINGS

The particular regarding attendance of Directors at Board meetings held during the financial year 2016-17 is as follows:

Sl. No.	Name of Director	No. of Board Meeting held during the tenure (in 2016-17)	No. of Board Meeting held during attended (in 2016-17)
1	Shri D. R. Sarin	7	7
2	Shri Awanish Kumar Awasthi	7	7
3	Ms. T.C.A Kalyani	7	7

1.4 DIRECTOR- CHANGES DURING FINANCIAL YEAR

There has been no change in the constitution of Board during the year under review i.e. the structure of the Board remains the same.

1.5 NO. OF BOARD MEETINGS HELD, DATES ON WHICH HELD

During the year 2016-17, Seven Board Meetings were held on 28th June, 2016, 19th July, 2016, 24th August, 2016, 08th September 2016, 21st November 2016, 19th January 2017, 21st March 2017.

1.6 COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Information on the Audit Committee, the CSR Committee and Remuneration Committee and meetings of those committees held during the financial year is as under:-

(i) Audit Committee

ALIMCO is a Non- Profit making organization and is covered under section 8 [erstwhile Section 25 of the Companies Act, 1956]. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and read with the notifications issued by Ministry of Corporate Affairs, Corporation had constituted Audit Committee. The composition of the Committee and attendance of the members is given hereunder:

सदस्यों के नाम	सदस्य / अध्यक्ष	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया
मिस टी.सी.ए. कल्याणी	अध्यक्ष	3/3
श्री अवनीश कुमार अवस्थी	सदस्य	3/3
श्री डी. आर. सरीन	सदस्य	3/3

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की 03 बैठकें वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान क्रमशः 28 जून, 2016 24 अगस्त, 2016 21 नवंबर, 2016 को आयोजित हुई थी। कंपनी के कंपनी सचिव (कनिष्ठ प्रबंधक) श्री अमिताभ दूबे समिति के सचिव के रूप में कार्य किया है।

(ii) पारिश्रमिक समिति

एलिम्को गैर लाभ अर्जित करने वाला संगठन हैं तथा धारा–8 (पहले कंपनीज एक्ट, 1956 की धारा 25) के तहत आती हैं। कंपनीज एक्ट, 2013 तथा कारपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के साथ पठित के प्रावधानों के अनुसरण में पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। समिति की संरचना तथा सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गयी हैं:–

सदस्यों के नाम	सदस्य / अध्यक्ष	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया
श्री अवनीश कुमार अवस्थी	अध्यक्ष	1/1
मिस टी.सी.ए. कल्याणी	सदस्य	1/1
श्री डी. आर. सरीन	सदस्य	1/1

निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति की वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान तारीख 21 मार्च, 2017 को एक बैठक आयोजित हुई थी। कंपनी के कंपनी सचिव (कनिष्ठ प्रबंधक), श्री अमिताभ दूबे समिति के सचिव के रूप में कार्य किया है।

(iii) सीएसआर समिति

एलिम्कों एक गैर लाभ अर्जन करने वाली कंपनी है तथा यह धारा–8 (पहले कंपनीज एक्ट, 1956 की धारा 25) के तहत कवर है। कंपनीय एक्ट, 2013 तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के साथा के प्रावधानों के अनुसार, निगम ने सीएस समिति का गठन किया हैं। समिति की संरचना तथा सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार हैं:–

Name of Director	Member/ Chairperson	No. of Board Meeting attended
Ms. T.C.A Kalyani	Chairperson	3/3
Shri Awanish Kumar Awasthi	Member	3/3
Shri D. R. Sarin	Member	3/3

03 Meetings of the Audit Committee of the Board of Directors were held during the financial year 2016-17 on following dates: 28th June 2016, 24th August 2016, 21st November 2016 The Company Secretary (Junior Manager) of the Company, Shri Amitabh Dubey acts as the Secretary of the Committee.

(ii) Remuneration Committee

ALIMCO is a Non- Profit making organization and is covered under section 8 [erstwhile Section 25 of the Companies Act, 1956]. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and read with the notifications issued by Ministry of Corporate Affairs, Corporation had constituted Remuneration Committee. The composition of the Committee and attendance of the members is given hereunder:-

Name of Director	Member/ Chairperson	No. of Board Meeting attended
Shri Awanish Kumar Awasthi	Chairperson	1/1
Ms. T.C.A Kalyani	Member	1/1
Shri D. R. Sarin	Member	1/1

01 Meetings of the Remuneration Committee of the Board of Directors were held during the financial year 2016-17 on following dates: 21 March 2017 The Company Secretary (Junior Manager) of the Company, Shri Amitabh Dubey acts as the Secretary of the Committee.

(iii) CSR Committee

ALIMCO is a Non- Profit making organization and is covered under section 8 [erstwhile Section 25 of the Companies Act, 1956]. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and read with the notifications issued by Ministry of Corporate Affairs, Corporation had constituted CSR Committee. The composition of the Committee and attendance of the members is given hereunder:-

सदस्यों के नाम	सदस्य / अध्यक्ष	बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया
श्री डी. आर. सरीन	अध्यक्ष	2/2
श्री अवनीश कुमार अवस्थी	सदस्य	2/2
मिस टी.सी.ए. कल्याणी	सदस्य	2/2

निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति की वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान तारीख 28 जून 2016 तथा 21 मार्च, 2017 को बैठक आयोजित हुई थी। कंपनी के कंपनी सचिव (कनिष्ठ प्रबंधक), श्री अभिताभ दूबे समिति के सचिव के रूप में कार्य किया है।

1.7 वार्षिक साधारण सभा की बैठकें

(1) वार्षिक साधारण सभा की पिछली तीन बैठकों की तिथि, समय एवं आयोजन स्थल

(क) 43वीं वार्षिक साधारण सभा 08 सितम्बर 2016 को 5.50 बजे शाम नई दिल्ली में सम्पन्न हुई थी।

(ख) 42वीं वार्षिक साधारण सभा 15 सितम्बर 2015 को 12:30 बजे अपराह्न नई दिल्ली में सम्पन्न हुई थी।

(ग) 41वीं वार्षिक साधारण सभा 03 सितम्बर 2014 को 12:30 बजे अपराह्न नई दिल्ली में सम्पन्न हुई थी।

1.8 उद्घोषणाएं

निदेशकों के 'उत्तरदायित्व की घोषणा' में घोषित सूचनाओं के अतिरिक्त, विशेष लेखा नीतियों एवं तुलनपत्र के भागों में अन्य यथोचित उद्घोषणाएं की गई हैं।

1.9 व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी

व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी की रचना की गयी है और इसे निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

Name of Director	Member/ Chairperson	No. of Board Meeting attended
Shri D. R. Sarin	Chairperson	2/2
Shri Awanish Kumar Awasthi	Member	2/2
Ms. T.C.A Kalyani	Member	2/2

02 Meetings of the CSR Committee of the Board of Directors were held during the financial year 2016-17 on following dates: 28th June 2016, 21st March 2017 The Company Secretary (Junior Manager) of the Company, Shri Amitabh Dubey acts as the Secretary of the Committee

1.7 GENERAL BODY MEETINGS

(1) Date, Time and Venue of the last three AGMs :

(a) 43rd AGM held on 08th September 2016 at 05:50 PM at New Delhi.

(b) 42nd AGM held on 15th September 2015 at 12:30 PM at New Delhi.

(c) 41st AGM held on 03rd September 2014 at 12:30 PM at New Delhi.

1.8 DISCLOSURES

Apart from the disclosures covered in Directors' Responsibility Statement, suitable disclosures are also made in the significant accounting policies and notes to accounts forming part of the Balance Sheet.

1.9 WHISTLE BLOWER POLICY

Whistle Blower Policy has been formulated and posted on the website of the Company.

1.10 निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता

डी.पी.ई. द्वारा जारी आचार संहिता एवं व्यवसायिक सिद्धांतों जोकि सार्वजनिक उपकर्मों में लागू निगमित शासन 2010 के अर्न्तगत है को कम्पनी ने अपने निदेशकों एवं उच्च अधिकारियों के सन्दर्भ में अपनाया है। आचार संहिता एवं व्यवसायिक सिद्धांतों तो कम्पनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है। निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्ष 2016–17 की अवधि में आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में घोषणा की है।

1.11 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा घोषणा

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए डी. पी. ई. द्वारा जारी आचार संहिता एवं व्यवसायिक सिद्धांतों–"Guidelines on Corporate Governance वित CPSEs 2010" के दिशा निर्देशों–DPE OM No. 18(8)/2005-GM,दिनांक 14 मई 2010 में जैसा कि वर्णित है, निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धनकारियों द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान व्यवसाय सम्बन्धी आचार संहिता एवं व्यवसायिक सिद्धांतों के अनुपालन करने के सम्बन्ध में घोषणा की गयी है।

कृते भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के लिए
ह0 –
डी. आर. सरीन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

1.10 CODE OF CONDUCT FOR DIRECTORS AND SENIOR EXECUTIVES

The Code of Conduct and Business Ethics as suggested by DPE in its Guidelines on Corporate Governance for CPSEs 2010 has been adopted by the Company in respect of its Directors and Senior Level Executives. The Code has also been posted on the Company's Website. The Directors and the Senior Executives have given declarations affirming the compliance with the code of conduct during the year 2016-17.

1.11 DECLARATION BY CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

As provided under the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs as contained in the DPE OM No. 18(8)/2005-GM, dated 14 May 2010, issued by Department of Public Enterprises (DPE), it is hereby declared that all Board Members and Senior Management Personnel affirmed compliance with "The Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India" for the year ended 31 March, 2017.

For Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India
Sd/-
D.R.SARIN
Chairman & Managing Director

संलग्नक–8

सी एस शिव कुमार गुप्ता

एफ.सी.एस., एम.कॉम., एल. एल. बी.

105, लिविंग स्टाइल मॉल, जसोला, नई दिल्ली–110025
फोन : 9811032875, 011–43047616
E-mail : shiv3009@gmail.com, shiv1gupta@yahoo.com
दिनांक 18 जुलाई 2017

निगमित अभिशसन प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
जी.टी. रोड, कानपुर–209217

हमने भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम के लिए निगमित अभिशासन हेतु जारी मार्ग निर्देशिकायें 2010 में अनुबंध शर्तों जो अनुलग्नक में दर्शाया गया है के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया गया है।

निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का होता है। हमारा परीक्षण उपरोक्तानुसार दिशा निर्देश में अनुबद्ध निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु निगम द्वारा अपनायी गायी प्रक्रियाओं तथा उनके क्रियान्वयन तक सीमित था। यह ना तो निगम के वित्तीय विवरण पर हमारा मत है न ही लेखा परीक्षा है।

हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी व स्पष्टीकरण के आधार पर हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते है। निगम द्वारा उल्लिखित मार्गनिर्देशिकाओं में अनुबद्ध नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है, सिवाय सम्बन्धि मंत्रालय द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किये जाने के कारण, निदेशक मण्डल, की रचना तथा जोखिम प्रबंधन योजना तथा बोर्ड चाटर का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने तारीख 05.06.2015 की अधिसूचना के जरिये स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सहित कंपनीज अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए छूट प्रदान की है, जबकि एलिम्कों कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा–8 (कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा–25) के तहत लाभ न कमाने वाली पंजीकृत कंपनी है। उसी के अनुरूप लेखा तथा पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया।

हम यह भी बताते हैं कि ऐसे अनुपालन कंपनी की भावी व्यहार्यता न ही आश्वासन है और न ही कुशलता अथवा प्रभावकारिता है जिससे प्रबंध समिति ने समिति ने कंपनी कार्य को निष्पादित किया है।

कृते शिव कुमार गुप्ता
प्रोपराइटर
ह0/–

(शिव कुमार गुप्ता)
एफ.सी.एस. 1633

ANNEXURE-VIII

CS SHIV KUMAR GUPTA

F.C.S., M.Com., L.L.B.

105, Living Style Mall, Jasola, New Delhi-110025
Ph. : 9811032875, 011-43047167
E-mail : shiv3009@gmail.com, shiv1gupta@yahoo.com
Date : 18th July 2017

CORPORATE GOVERNMENT CERTIFICATE

To
The Members
ARTIFICIAL MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
G.T. Road, Kanpur-209217

We have examined the compliance of the conditions of the corporate governance by Artificial Manufacturing Corporation of for the financial year ended 31st March, 2017 as stipulated in the Guidelines on corporate Governance for Central Public Sector enterprises 2010 issued by the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy industries and Public Enterprises, Government of India (herein after referred to as DPE Guidelines) and annexure mentioned thereunder.

The compliance of the condition of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to review the procedure and implementation corporate Governance as stipulated in DPE Guidelines. It is neither an auditor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to explanation given to us and records and documents maintained by the corporation, we certify that corporation has complied with the conditions of corporate Governance as stipulated in DPE guidelines expect regarding the composition of Board of Directors, due to non appointment of requisite number of independent Directors by the Government of India, formulation of Risk Management Policy and management charter however Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide notification dated 05.06.2015, had exempted Section 8 companies, from complying with certain provisions of the Companies Act, 2013 including Appointment of Independent Directors, Whereas ALIMCO is not Profit making company registered under Section 8 of the Companies Act 2013 (erstwhile Section 25 of Companies Act, 1956) Accordingly corporation had constituted audit committee and remuneration committee.

We state that compliance is neither an assurance as to the future viability of the corporation nor the efficiency of effectiveness with which management has conducted the affairs of corporation.

For **Shiv Kumar Gupta**
Proprietor
Sd/-

(Shiv Kumar Gupta)
F.C.S.1633

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
10 वर्ष एक नजर में

रू (लाख में)

विवरण	यूनिट	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बिक्री एवं सेवायें	रू0 लाख में	4677.22	5574.24	6305.95	5763.51	8182.93	13022.77	16507.62	16270.26	18935.51	24067.23
एफ जी/डब्ल्यु आई पी में परिवर्तन	रू0 लाख में	314.65	(58.22)	119.90	283.60	103.06	193.08	530.18	(1.19)	162.35	433.04
उत्पादन का मूल्य	रू0 लाख में	4991.87	5516.02	6425.85	6047.11	8285.99	13215.85	17037.80	16269.07	19097.86	24500.27
सामग्री का उपयोग (आरएम एवं स्टोर)	रू0 लाख में	2156.44	2678.57	2456.48	2125.50	3355.86	6188.19	8707.82	8602.09	8916.73	12344.14
जोड़ा गया मूल्य	रू0 लाख में	2835.43	2837.45	3969.37	3921.61	4930.13	7027.66	8329.98	7666.98	10181.13	12156.13
कर पूर्व लाभ	रू0 लाख में	170.35	426.31	461.57	551.03	1169.51	2351.00	3147.42	3165.38	4619.94	5573.93
अधिशेष	रू0 लाख में	170.35	426.31	461.57	551.03	1169.51	2351.00	3147.42	3165.38	4619.94	5573.93
इक्विटी	रू0 लाख में	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	5409.97	5409.97
संचय एवं अधिशेष–पूंजीगत संचय	रू0 लाख में	2565.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	3555.63
घटायें : समाप्त जीवन पर मूल्य ह्रास	रू0 लाख में								75.98		
घटायें : पूर्व वर्षो का दण्डात्मक ब्याज	रू0 लाख में								1202.60		
संचय एवं अधिशेष–सामान्य संचय	रू0 लाख में	(1776.18)	(1349.87)	(888.30)	(337.28)	832.23	3183.23	6330.65	8217.45	12837.39	18411.32
सकल अवरोध	रू0 लाख में	2470.52	2483.12	2487.15	2612.91	2653.54	2933.33	3048.96	3242.94	3127.54	4141.59
मूल्य ह्रास संचय	रू0 लाख में	1047.44	1128.66	1208.98	1293.81	1380.00	1472.84	1580.71	1811.57	1904.79	2018.04
निवल अवरोध	रू0 लाख में	1423.08	1354.46	1278.17	1319.10	1273.54	1460.49	1468.25	1431.37	1222.75	2123.55
सूची	रू0 लाख में	1703.77	1896.69	1754.91	2123.22	2438.25	2979.49	3683.50	3899.02	3657.25	4300.10
विभिन्न देनदार	रू0 लाख में	1308.63	1819.18	1698.73	2520.39	752.18	749.23	3243.14	2943.89	1017.81	1277.74
कार्यशील पूँजी	रू0 लाख में	3322.57	3876.92	4317.35	6988.86	6232.84	8505.29	11573.59	14710.83	18723.22	23856.45
नियोजित पूँजी	रू0 लाख में	4745.65	5231.38	5595.52	8307.96	7506.38	9965.78	13041.84	16142.20	19945.97	25980.00
शुद्ध सामर्थ	रू0 लाख में	(1579.68)	(1153.37)	(691.80)	(140.78)	1028.73	3379.73	6527.15	8413.95	18247.36	23821.29
अनुदान सहायता–एडिप	रू0 लाख में	483.72	869.85	762.14	799.00	1151.82	2575.59	4802.50	5022.10	8411.87	8783.43
अनुदान सहायता–एडिप एसएसए	रू0 लाख में	1478.00	1200.00	2800.00	3000.00	3000.00	2500.00	900.00	2050.00	2045.00	1934.62
कुल अनुदान सहायता	रू0 लाख में								2200.00	2163.16	4300.00
उपलब्ध करायी गयी कुल अनुदान		1961.72	2069.85	3562.14	3799.00	4151.82	5075.59	5702.50	7072.10	12620.03	15018.05
कर्मचारियों की संख्या	रू0 लाख में	473	456	416	395	382	345	322	314	301	300
कर्मचारी लागत	रू0 लाख में	1402.06	1551.02	2473.08	2672.95	3128.24	3429.58	3262.61	2934.66	2846.85	3118.37
प्रति कर्मचारी उत्पादन का मूल्य	रू0 लाख में	10.55	12.10	15.45	15.31	21.69	38.31	52.91	51.81	63.45	81.67
प्रति कर्मचारी जोड़ा गया मूल्य	रू0	5.99	6.22	9.54	9.93	12.91	20.37	25.87	24.42	33.82	40.52
प्रति शेयर आमदनी		866.92	2169.52	2348.96	2804.22	5951.70	11964.38	16017.40	16108.80	853.97	1030.31
समझौता ज्ञापन श्रेणी				Very good		Very good	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
TEN YEARS AT A GLANCE

Rs. in Lacs

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Sales & Services	Rs Lacs	4677.22	5574.24	6305.95	5763.51	8182.93	13022.77	16507.62	16270.26	18935.51	24067.23
Changes in FG/WIP	Rs Lacs	314.65	(58.22)	119.90	283.60	103.06	193.08	530.18	(1.19)	162.35	433.04
Value of Production	Rs Lacs	4991.87	5516.02	6425.85	6047.11	8285.99	13215.85	17037.80	16269.07	19097.86	24500.27
Material consumption(RM & store)	Rs Lacs	2156.44	2678.57	2456.48	2125.50	3355.86	6188.19	8707.82	8602.09	8916.73	12344.14
Value Added	Rs Lacs	2835.43	2837.45	3969.37	3921.61	4930.13	7027.66	8329.98	7666.98	10181.13	12156.13
Profit before Tax	Rs Lacs	170.35	426.31	461.57	551.03	1169.51	2351.00	3147.42	3165.38	4619.94	5573.93
Surplus	Rs Lacs	170.35	426.31	461.57	551.03	1169.51	2351.00	3147.42	3165.38	4619.94	5573.93
Equity	Rs Lacs	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	196.50	5409.97	5409.97
Reserve & Surplus- Capital Reserve	Rs Lacs	2565.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	2656.95	3555.63
Less: Depreciation on Expired Life									75.98		
Less: Penal Interest previous years									1202.60		
Reserve & Surplus- General Reserve	Rs Lacs	(1776.18)	(1349.87)	(888.30)	(337.28)	832.23	3183.23	6330.65	8217.45	12837.39	18411.32
Gross Block	Rs Lacs	2470.52	2483.12	2487.15	2612.91	2653.54	2933.33	3048.96	3242.94	3127.54	4141.59
Depreciation Reserve	Rs Lacs	1047.44	1128.66	1208.98	1293.81	1380.00	1472.84	1580.71	1811.57	1904.79	2018.04
Net Block	Rs Lacs	1423.08	1354.46	1278.17	1319.10	1273.54	1460.49	1468.25	1431.37	1222.75	2123.55
Inventory	Rs Lacs	1703.77	1896.69	1754.91	2123.22	2438.25	2979.49	3683.50	3899.02	3657.25	4300.10
Sundry Debtors	Rs Lacs	1308.63	1819.18	1698.73	2520.39	752.18	749.23	3243.14	2943.89	1017.81	1277.74
Working Capital	Rs Lacs	3322.57	3876.92	4317.35	6988.86	6232.84	8505.29	11573.59	14710.83	18723.22	23856.45
Capital Employed	Rs Lacs	4745.65	5231.38	5595.52	8307.96	7506.38	9965.78	13041.84	16142.20	19945.97	25980.00
Net Worth	Rs Lacs	(1579.68)	(1153.37)	(691.80)	(140.78)	1028.73	3379.73	6527.15	8413.95	18247.36	23821.29
Grant in aid- ADIP received	Rs Lacs	483.72	869.85	762.14	799.00	1151.82	2575.59	4802.50	5022.10	8411.87	8783.43
Grant in aid- ADIP SSA received	Rs Lacs	1478.00	1200.00	2800.00	3000.00	3000.00	2500.00	900.00	2050.00	2045.00	1934.62
Funds available through load under ADIP	Rs Lacs								2200.00	2163.16	4300.00
Total Grant in aid made available		1961.72	2069.85	3562.14	3799.00	4151.82	5075.59	5702.50	7072.10	12620.03	15018.05
No. of Employees	Member	473	456	416	395	382	345	322	314	301	300
Employee Costs	Rs Lacs	1402.06	1551.02	2473.08	2672.95	3128.24	3429.58	3262.61	2934.66	2846.85	3118.37
Value of Production per Employee	Rs Lacs	10.55	12.10	15.45	15.31	21.69	38.31	52.91	51.81	63.45	81.67
Value added per Employee	Rs Lack	5.99	6.22	9.54	9.93	12.91	20.37	25.87	24.42	33.82	40.52
Earning per share	Rs	866.92	2169.52	2348.96	2804.22	5951.70	11964.38	16017.40	16108.80	853.97	1030.31
MOU Rating				Very good		Very good	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent

प्रकाश एण्ड संतोष
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
रोलेण्ड कॉम्पलेक्स, फ्लैट नं. 8 अपर फ्लोर
वेस्काट बिल्डिंग, 37/17, द माल, कानपुर – 208 001
टेलीफोन : (0512) 2303565, फैक्स : 2303565
मो0 9336210926, 9415126107
ई–मेल : prakashsantoshca@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के सदस्यगण

वित्तीय विवरण पर रिपोंट

हमने भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (कम्पनी) के वित्तीय समेकित विवरण का लेखा परीक्षा किया है जिसमें 31 मार्च, 2017 तक का तुलन पत्र, आय–व्यय का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण उक्त दिनांक पर समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का एक सारांश शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए प्रबन्धन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा सही एवं उचित प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के अर्न्तगत निदेशक मण्डल की है। तथा निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकद प्रवाह विवरण में निर्दिष्ट लेखा मानक और भारत में सामान्यतः लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप विशिष्टतया अधिनियम की धारा 133 शामिल है तथा इसे कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।इस जिम्मेदारी में डिजाइन, कार्यान्वयन और आन्तरिक नियन्त्रण के रख रखाव, वित्तीय विवरणों के प्रस्तुति और तैयार की जाने की प्रासंगिकता शामिल है। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उचित लेखा अभिलेख तैयार करना कम्पनी की सम्पत्तियों को सुरक्षित रखना और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमित्ताओं से बचाना एवं पता लगाना, उचित लेखा नितियों का चयन और उन्हें लागू करना, अनुमान लगाना और निर्णय करना जो उचित और विवेक पूर्ण हो और आन्तिरक वित्त नियंत्रण का उचित रखरखाव सम्मिलित है जो लेखिय अभिलेखो की पूर्णतया और शुद्धता को सुनिश्चित करे एवं शुद्ध व स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके और जो सामग्री के गलत के विवरण चाहे धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण हो, से मुक्त हो।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर हमारी एक राय व्यक्त करने के लिये हैं।

PRAKASH & SANTOSH
CHARTERED ACCOUNTANTS
Rolland Complex Flat No. 8, Upper Floor
Westcott Building, 37/17, The Mall, Kanpur 208 001
Telephone : (0512) 2303565, Fax : 2303565
Mob. : 9336210926, 9415126107
E-mail : prakashsantoshca@gmail.com

INDEPENDENT AUDITORS REPORT

To the member of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India

Report on Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India ("the company"), which comprises the Balance Sheet as at 31 March 2017, the Statement of income and Expenditure Account, the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation and presentation of these financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting the frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the preparation of the financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit.

लेखा परीक्षा के दौरान हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और अन्य को शामिल किया है। जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट बनाने में जरूरी था।

हमारा लेखा परीक्षा लेखा परीक्षक के मानकों के अनुरूप विशिष्टतया अधिनियम की धारा 143(10) के अनुरूप है जिसमें उन मानकों में नैतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसके अनुरूप लेखा परीक्षा किया जाना एवं इन मानकों की आवश्यकतानुसार योजना बनाना और अंकेक्षण हेतु उचित आश्वासन प्राप्त करना ताकि वित्तिय विवरण गलत सामग्री से मुक्त हो।

अंकेक्षण में राशि और वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण हेतु लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना होता है त्रुटियाँ या धोखाधड़ी के कारण सामग्री के गलत विवरण के जोखिम का आकलन सही चयनित प्रक्रियाओं के लेखा परीक्षण पर निर्भर करता है लेखा परिक्षण की प्रक्रिया मे लेखा परीक्षक कम्पनी के वित्तिय विवरणों की दोषमुक्त निष्पक्ष तैयारी ओर प्रस्तुतिकरण सम्मिलित है ताकि वित्तीय विवरण सही व स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करे एवं डिजाइन लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं जो कि परिस्थितियों में उचित है। कम्पनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक प्रयाप्त आन्तिरिक वित्तीय प्रणाली पर राय व्यक्त करने और संचालन के इस तरह के नियंत्रण की प्रभावशीलता के उद्देश्य के लिए नहीं है। इसके अलावा लेखा परीक्षा में शामिल लेखांकन नितियों के अवचित और कम्पनी के निदेशको द्वारा किये गये लेखांकन अनुमान के औचित्य का मूल्यांकन लेखा परीक्षा एवं साथ ही वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा यह मानना है कि वित्तिय विवरण के सन्दर्भ में हमें जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुये हैं एवं उपलब्ध कराये गए। वह हमारी अंकेक्षण राय के लिए उचित एवं पर्याप्त है।

योग्य राय के लिए आधार

(अ) 2011–12 से संषोधित लेखांकन नीति के अनुसार जो अन्य चालू देयताओं तथा कारोबार प्राप्त योग्य से संबंधित होते हुए नोट–11 एवं नोट 6 के उपनोट संख्या–2 के साथ पठित महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या–20.6 में संदर्भित है, एडिप तथा एडिप–एसएसए योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान को यदि परेषिती (कन्साइनी) से उपयोगिता के तौर पर पावती का प्रमाण माने जाने की मान्यता है।

we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from materiel misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements that give true and fair view, in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Company 's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the financial statements.

Basis for Qualified Opinion

(a) As per revised accounting policy since 2011-12 as referred in Significant Acounting Policy No. 20.6 & read with Sub Note No. 2 of Note 6 and Note 11 regarding Other Current Liabilities and Trade Receivables. Grant received under ADIP and ADIP-SSA scheme has been recognized as utilized against proof of aknowledgement from consignee. Accordingly, debit balances on account ol

तदानुसार, उपयोगिता प्रमाण पत्र की ओर प्राप्त हुए नामे बाकी तथा वितरण हेतु भेजी गयी सामग्री की उपयोगिता प्रमाण पत्र के रूप में माना गया है तथा अनुदान में से घटा दिया गया है तथा इस प्रकार विविध देनदारों के रूप में प्रकट नहीं किया गया है। इसलिए अन्य चालू दायित्व तथा विविध देनदार रू0 6730.49 लाख से कम दर्शाये गये हैं।

(ब) निगम द्वारा इस वर्ष सुरक्षित ऋण रू. 4300.00 लाख रूपये जोकि गिरवी एफडीआर रू. 4977.42 लाख के एवज में था। जोकि पड़े हुए अनुदान एडीप योजना के नियम 12 एवं उपनियम (ix) के संदर्भ में था के अनुरूप उपयोग किया गया था। हमारी राय में निगम द्वारा सुरक्षित ऋण को कम दर्शाया तथा चालू दायित्व / चालू सम्पत्तियों को अधिक / कम दर्शाया (नोट 6 का 6.4 का संदर्भ लें)।

(स) वर्ष 2016–17 के दौरान, ब्याज लेख से निकालकर तदर्थ आधार पर आधुनिकीकरण खर्च के लिए शीर्ष ब्याज पूंजीकृत के तहत 861.63 लाख रूपये की राशि जमा की गयी है (नोट–2 का उप नोट : 4 देखें)। तदनुसार, ब्याज की आय का किसी सीमा तक कम तथा पूंजी आरक्षितों को अधिक बताया गया है।

(द) एपीसी बंगलौर की भूमि पर वर्ष 2004–05 से 2016–17 तक म्यूनिसिपल कर तथा अन्य प्रभारों का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि राशि का अभी निर्धारण, प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। (नोट सं. 8 के उप नोट सं. 1.2 का संदर्भ लें।)

(ध) पट्टाधारित भूमि और / या पूर्णस्वामित्व को भूमि या पट्टाधारित शीर्षक भूमि, जो हो सकता है उनके सम्बन्धित मालिक / पट्टा दाता द्वारा निष्पादन और शीर्षक विलेख / पट्टा विलेख के पंजीकरण के अधीन है। भुवनेश्वर में शेट (जबलपुर और भुवनेश्वर की भूमि के सिवाय) उनके सम्बन्धित कानूनी शीर्षक के अभाव में परिणामी वित्तीय प्रभाव पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। (नोट सं. 8 के नोट सं. 1.1 से 1.8 तक देखें)।

Utilization Certificates received and material despatched for distribution has been considered as Utilization of Grants and deducted from the Grant and as such not disclosed as Sundry Debtors. Thus, Other Current Liabilities and Sundry Debtors areunderstated by Rs. 6730.49 Lacs.

(b) During the year the corporation has treated the amount taken as Secured Loans of Rs. 4300.00 Lacs against Pledge of FDRs of Rs. 4977.42 Lacs to meet the pending receivable grant in terms of sub clause (ix) of the clause 12 of the ADIP Scheme as grande received and utilized under head other current liabilities. In our opinion the corporation to that extent has under stated the Secured Loan and overstated Current Liabilities (Refer Sub-Note-4 of Note-6)

(c) During the year 2016-17 a sum of Rs. 861.63 lacs has been credited under the head interest Capitalized for Modernization Expenses on adhoc basis by debiting interest account (Refer Sub-Note-4 of Note-2). Accordingly, Interest income is understated to that extent and Capital Reserved are overstated.

(d) No provision has been made for Municipal Taxes and other Charges on APC Bangalore Land for the period from 2004-05 to 2016-17 As the amount is indeterminate, impact could not be ascertained (Refer Sub Note 1.2 of Note 8)

(e) The ownership and/or title of lease hold lands and/or free hold lands, as the case may be, are subject to execution and registration of title deeds/lease deeds by their respective Owner/Lessor including that in respect of shed at Bhubaneshwar (Except in respect of land at Jabalpur and Bhubaneshwar) and hence the consequential financial effect there of due to lack of their respective legal title cannot be commented upon, (refer Note No. 1.1 to 1.8 of Note 8).

(न) बैंक जमा से प्राप्त अधिविकर्स पर देय ब्याज को जोकि प्राप्त अनुदान राशि 172.25 लाख रूपये को अग्रिम माना गया। बैंक जमा पर ब्याज कि प्राप्ति को निटेड ऑफ किया गया। तदनुसार, निगमों एफडीआई पर ब्याज की आय तथा ओवर ड्राफ्ट पर प्रदत्त ब्याज को किसी सीमा तक कम दर्शाया है (नोट संख्या–16 के उप नोट संख्या–iv को देखें)

इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अर्जित ब्याज तथा पर देय जमा (चालू सम्पत्ति) और सुरक्षित ऋण पर देय ब्याज (चालू दायित्व) को कम दर्शाया गया।

हम इस दिशा में भी ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं :

(1) नोट नं.–8 का उप नोट–2 के अनुसार–जोकि अचल सम्पत्ति पुस्तिका के रखरखाव तथा परिसम्पत्तियों भौतिक प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में है।

(2) नोट 8 के उप नोट नं.–3 के अनुसार जोकि सम्पत्ति में अनुपयोगी के सम्बन्ध है।

(3) वर्ष के दौरान ऐसे फालतू कच्चा सामान, स्टोर्स एवं स्पेयर्स और अंतिम माल को प्रावधान किया गया है, जिन्हें गत 3 वर्षों से उपयोग में नहीं लाया गया । 31.03.2017 की तिथि में कुल प्रावधान 177.16 लाख रूपये है। पूर्व वर्ष में प्रबन्धन ने अपनी सकल वसूली योग्य राशि का एक आंतरिक मूल्यांकन टीम द्वारा पुनरीक्षण करवाने का निर्णय लिया था किन्तु आज तक इस प्रकार का कोई निर्धारण नहीं करवाया गया है। परिसम्पत्तियों का कोई मूल्यांकन नहीं करवाया गया है। परिसम्पत्तियों को फालतू स्टाक की सकल वसूली योग्य राशि को कम करके दर्शाया गया है। वांछित सूचना के अभाव में पड़ने वाले प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। (नोट 10 के उप नोट सं. 1 का संदर्भ लें।)।

(4) परिवर्तन हेतु की गयी व्यवस्था हेतु सामग्री के प्रावधान को पूर्व वर्षों में तदर्थ आधार पर सृजित किया गया था तथा 31 मार्च, 2017 के अनुसार 388.57 लाख रूपये की सीमा तक आगे ले जाया गया था (नोट संख्या–7 के उप नोट संख्या–3 को देखें)। निगम ने आगामी वित्तीय वर्ष में समीक्षा के प्रावधान को जारी रखा है।

(5) व्यापार जमाकर्ताओं, जमानता जमाओं बयाना राशि, ग्राहकों से अग्रिम, विविध देनदारों तथा ऋणों एवं अग्रिमों शीर्षों के तहत पड़े हुए शेष की संबंधित पक्षों द्वारा पुष्टि किये जाने के अधीन रखा गया है। उनकी

(f) Interest due on the overdraft, which was availed and treated as advance against receivable grant, amounting to Rs. 172.25 lacs has been netted off from interest received from bank deposits. Accordingly, the corporation to that extent has under stated the interest income from FDRs as well as interest paid on overdraft (Refer Sub Note IV of the Note 16).

Similarly, to the aforesaid extent the amount of interest accrued and due on Deposits (Current Assets) and interest payable on secured loans (Current Liabilities) are under stated.

We also want to draw the attention towards:-

(1) Sub Note No. 2 of Note-8 regarding maintenance of Fixed Asset Register and adjustment on account of discrepancy if any found on physical verification of Fixed Asset.

(2) Sub Note No. 3 of Note-8 regarding impairment of Asset.

(3) The provision, towards redundancy of stocks of Raw Materials, Store & Spares & finished goods which have not moved since last 3 years, has been made for as at 31.03.2017 is Rs. 177.16 Lacs. In earlier years the management had decided to get review its net realizable value by an internal assessment team. No such assessment has been done by the management till date. The assets are under stated to the extent of net realizable value of these redundant stocks and income is understated by similar amount. In absence of required information amount of impact could not be ascertained. (Refer Sub-Note No. 1 of Note-10).

(4) Provision for material provisioned for replacement was created in earlier year on adhoc basis, carry forward to the extent of Rs. 388.57 lacs as on 31st March'17 (Refer Sub-Note 4 of Note 7). The corporation has continued the provision for review in next financial year.

(5) Balances lying under head Trade Creditors, Security Deposits, Earnest Money, Advance from Customers. Sundry Debtors and Loan & Advances are subject to confirmation from the

अनुपस्थिति में, वित्तीय प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका (नए संख्या–5 का उप नोट संख्या–1, नोट संख्या–6 का उप नोट संख्या–11 का उप नोट संख्या–3 तथा नोट संख्या–13 का उप नोट संख्या–5 को देखें)।

योग्य राय

उपरोक्त के अधीन, हमारे विचार में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार जहां उन योग्य रायों को जो उपर्युक्य प्रभाग में दिये हैं उपरोक्त वित्तीय विवरण में जो आवश्यक सूचनाएं दी गयीं हैं वह अधिनियम के अनुरूप है। और वह भारत में सामान्यः मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार सही एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं। 31 मार्च, 2017 तक उसके आय और नकद प्रवाह उस वर्ष के समाप्ति तक हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट

1. निगम को अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत संचालन करने का लाइसेंस प्राप्त है। (पूर्व अधिनियम 1956 की धारा 25) इस लिये कम्पनियों (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश 2016 के खण्ड (2) (iii) जोकि भारत सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुकूलन है उपर्युक्त रिपोर्ट जोकि विशिष्टतया पैरा 3 और 4 में दिया है पर यह आदेश लागू नहीं होगा

2. जैसा हम उचित समझते है निगम की बहियों एवं अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों एवं उप–निर्देशों संबंधी "अनुलग्नक– I" में, हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हम अधिनियम की धारा–143(5) के संबंध में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम प्रतिवेदन करते है:

(अ) वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण हमारे पास है जो कि हमारी जानकारी और विश्वास के लिये हमारे अंकेक्षण के लिये आवश्यक थे।

respective parties. In absence of the same, financial impact (if any) could not be ascertained Refer Sub-Note 1 of Note 5, Sub-Note 5 of Note 6, Sub-Note 3 of Note 11 and Sub-Note No. 5 of Note No. 13)

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for the Qualified Opinion paragraph, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the Company as at 31st March 2017, its Income and its Cash Flows for the year ended on the date.

Reprot on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Corporation is Licensed Operate under section 8 of the Act (erstwhile section 25 of the Companies Act 1956) hence in view of the clause 2 (iii) the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Act, the reporting requirements in respect of the matter specified vide para 3 and 4 of the said order are not applicable.

2. We are enclosing our report in terms of section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Corporation as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, in the 'Annexure-I' on the directions and sub-directions issued by the Comptroller an Auditor General of India.

3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report, to the extent applicable, that:

a) We have sought and obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

(ब) हमारी राय में जैसा कि परीक्षण से ज्ञात हुआ है, निगम ने नियमानुसार अपेक्षित उचित लेखा बहियो रखी हैं। इस विषय के साथ नोट सं. 8 उप नोट–2 जोकि स्थायी सम्पत्तियों के रजिस्टर तथा उसके भौतिक सत्यापन से सम्बन्धित है निगम द्वारा रखा गया जैसा कि यह स्पष्ट होता है हमारे जांच द्वारा उन लेखों और रिटर्न जोकि हमारे अंकेक्षण के लिए जोकि भुवनेश्वर, जबलपुर, चनालोन, बैंगलोर, मुम्बई, गुवहाटी, कलकत्ता, हैदराबाद और दिल्ली की शाखाओं द्वारा पर्याप्त थे। हमारे द्वारा वहां नहीं जाया गया।

(स) इन रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र, आय और व्यय खाता तथा नकद प्रवाह विवरणी लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(द) हमारी राय में इस रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र, आय–व्यय लेखा खाता और नगद प्रवाह विवरणी कम्पनी अधिनियम की धारा 133 के साथ कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम–7 में विनिर्दिश्ट के मानकों के अनुसार है और निम्न बातों के साथ कि वस्तुओं का मूल्यांकन अर्थात् कच्ची सामग्री भंडारण एवं पुर्जे, खुले औजार, पारगमन में सामग्री का मूल्यांकन निवल वसूली योग्य लागत की बजाय वजन औसत, जो भी कम हो, के अनुसार किया गया है। अन्य प्रत्यक्ष लागत में सामान्य लागत में सामान्य को चढ़ाने एवं उतारने का खर्च, भाड़ा एवं आदि को औसत वजन लागत के निर्धारण में नहीं जोड़ा गया है।

तैयार माल और निर्माणाधीन माल का मूल्यांकन मानक मूल्य (कारखाना मूल्य)/जोड़ने की प्रापण कीमत अथवा अनुमानित वसूली योग्य मूल्य, जो कि कम हो पर किया जाता है। मानक मूल्य वर्ष 2016–17 को निर्धारण के आधार पर है। तदनुसार (1) वस्तुओं की मूल्यांकन लेखा मानको के अनुसार नहीं हैं (2) आय एवं व्यय लेखा तथा वर्तमान आस्तियों में इसका प्रभाव सुनिश्चित करने योग्य नहीं है।

(य) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के अनुसार कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया अधिसूचना नं. जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में निदेशकों के निरर्हता से सम्बन्धित सरकारी कम्पनी के लिये लागू नहीं है।

(र) निगम की वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में तथा ऐसे नियंत्रण की परिचालनीय प्रभावकता के लिए हनारी पृथक रिपोर्ट "अनुलग्नक– ।।" का संदर्भ लें और

(b) In our opinion, proper books of account as required by law, subject to Sub-Note No. 2 of Note 8 regarding non-maintenance of Fixed Assets Register and physical verification of fixed assets, have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the Bhubaneswar, Jabalpur, Chanalon, Banglore, Mumbai, Guwahati, Kolkata, Hyderabad and Delhi units not visited by us.

(c) The Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure, and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

(d) In our opinion, the aforesaid Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rule 2014, subject to remark that valuation of inventories i.e. Raw Materials, Stores & Spares, Loose Tools and Materials inTransit have been valued at weighted average cost as against cost or net realized value whichever is lower. other direct cost comprising loading / unloading, freight charges etc have not been considered in arriving at the weighted average cost.

Finished Good and Work-in-Progress are valued at lower standard Cost (Factory Cost) / Procurement Cost of assembly or estimated realizable value which ever is less. The standard cost is based on the arrived for the year 2016-17. Accordingly valuation of Inventories is not as per Accounting Standard 2. Impact there of in Income & Expenditure Account and Current Assets are not ascertainable.

(e) In pursuance to the Notification no. GSR 463 (E) dated 05.06.2015, issued by the Ministry of Corporate Affaire, sub section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 pertaining to disqualification of Directors is not applicable to a Government Company.

(f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Corporation and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in 'Annexure-II. and

ल) कंपनिज (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षण) नियमावली, 2014 के नियम.11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में षामिल किये जाने हेतु मामलों के संबंध में हनारी राय में तथा हमें मिला सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसारः–

(i) निगम द्वारा लम्बित मुकदमें जो वित्तीय विवरण की वित्तीय स्थिति को दर्शाती है का प्रकटीकरण किया– वित्तीय विवरण के नोट – 21 का सन्दर्भ लें।

(ii) निगम के पास कोई लम्बी अवधि के संविदा जिसमें देरीवेटिव्स शामिल हैं, नहीं था। जिसमें कोई सामग्री का नुकसान दिखाई पड़ा हो।

(iii) निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण कोष के लिए निगम द्वारा कोई निधि हस्तातंरित करने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) निगम ने 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान विनिर्दिश्टकृत बैंक नोटों में रखने एवं लेनदेन को अपनी वित्तीय विवरणियों में अपेक्षित रूप से प्रकट किया है तथा ये निगम द्वारा रखी जा रही लेखा बहियों के अनुसार है।

(g) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us:

(i) The Corporation has disclosed the impact of pending litigation on its financial position in its Financial Statements - Refer Note 21 to the Financial Statements.

(ii) The Corporation did not have any long-term contracts including derivatives contracts for which there were any material foreseeable losses.

(iii) There were no amounts which required to be transferred by the Corporation to the Investor Education and Protection Fund.

(iv) The Corporation has provided requisite disclosures in its Financial Statements as to holdings as well as dealings in Specified Bank Notes during the period from 8 November, 2016 to 30 December, 2016 and these are in accordance with the books of accounts maintained by the Corporation.

कृते प्रकाश एण्ड संतोष
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 000454सी
ह0/–

(नेहा गुप्ता) सीए
भागीदार सदस्यता सं. 414569
दिनांक : 05.08.2017

For Prakash & Santosh
Chartered Accountants.
(Firm's Registration No. 000454C)
Sd/-

(Neha Gupta) CA
Partner-Membership No. 414569
Date : 05.08.2017

प्रकाश एण्ड संतोष
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
रोलेण्ड कॉम्पलेक्स, फ्लैट नं. 8 अपर फ्लोर
वेस्काट बिल्डिंग, 37/17, द माल, कानपुर – 208 001
टेलीफोन : (0512) 2303565, फैक्स : 2303565
मो0 9336210926, 9415126107
ई–मेल : prakashsantoshca@gmail.com

PRAKASH & SANTOSH
CHARTERED ACCOUNTANTS
Rolland Complex Flat No. 8, Upper Floor
Westcott Building, 37/17, The Mall, Kanpur 208 001
Telephone : (0512) 2303565, Fax : 2303565
Mob. : 9336210926, 9415126107
E-mail : prakashsantoshca@gmail.com

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–I

कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा–143 (5) के तहत निर्देश

क्र सं.	निर्देश / उप–निर्देश	की गयी कारवाई	निगम के खातों एवं वित्तीय विवराणियों पर उनका प्रमाण
1.	क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड तथा लीजहोल्ड के लिए क्रमशः अधिक स्पष्ट एवं लीजडीड है। यदि नहीं, कृपया फीहोल्ड तथा लीजहोल्ड भूमि को बताये जिसके लिए हक/लीजडीड उपलब्ध नहीं है।	वार्षिक लेखों के नोट 8.1 में भूमि व भवन की समग्र स्थिति दी गयी है। इन मामलों के संबंध में जिनमे अधिकार/लीजडीड्स उपलब्ध नहीं है। क) बैंगलुरू– 3 एकड़ भूमि कंपनी को भारत सरकार द्वारा निदेशक (पिछड़ा वर्ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के जरिये मुफ्त में आंवटित की गयी है। ख) गुवाहाटी– 12 बीघा भूमि का निगम के नाम अभी पंजीकरण किया जाना हैं, यद्यपि भूमि का कब्जा कंपनी के पास है। ग) कैमुर– 2 एकड़ भूमि का पंजीकरण कंपनी के नाम में अभी किया जाना है। घ) शैड नं. एस–3/84 तथा एस–3/85 महिला तथा बाल कल्याण विभाग, ओड़िशा सरकार के आदेशानुसार महिला विकास सामबया निगम द्वारा कंपनी को सौंप दिया गया है। लेकिन इसके शीर्षक का अभी तक निगम के नाम पर स्थान्तरित किया जाना बाकी है।	शून्य
2.	क्या कर्जों /ऋणों/ ब्याज की माफी /बटटेखाते में डालने का कोई मामला हैं, यदि हां, उसके कारणों एवं उसमें शामिल राशि।	वर्ष के दौरान, कर्जे/ऋणों/ब्याज की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं हुआ है।	शून्य
3.	क्या तीसरे पक्ष के साथ पडी हुई सूचियों तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदानों के रूप में प्राप्त आस्तियों को उचित प्रकार सुरक्षित से रखा जाता है।	दिल्ली कार्यालय से 202, 224/– रूपये कीमत का वापसी योग्य आधार पर दी गयी सामग्री के अतिरिक्त कोई स्टॉक तीसरे पक्ष के साथ नहीं पड़ा है। यह प्रदर्शनी/दर्शन हेतु था जिसका उचित प्रकार से रिकार्ड रखा गया है। सरकार अथवा अन्य किसी प्राधिकारण से कोई उपहार प्राप्त नहीं हुआ है।	शून्य

कृते प्रकाश एण्ड संतोष
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 000454सी
ह0/–
(नेहा गुप्ता) सीए
भागीदार एम.सं. 414569

दिनांक : 05.08.2017

प्रकाश एण्ड संतोष
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
रोलेण्ड कॉम्पलेक्स, फ्लैट नं. 8 अपर फ्लोर
वेस्काट बिल्डिंग, 37/17, द माल, कानपुर – 208 001
टेलीफोन : (0512) 2303565, फैक्स : 2303565
मो0 9336210926, 9415126107
ई–मेल : prakashsantoshca@gmail.com

PRAKASH & SANTOSH
CHARTERED ACCOUNTANTS
Rolland Complex Flat No. 8, Upper Floor
Westcott Building, 37/17, The Mall, Kanpur
Telephone : (0512) 2303565, Fax : 2303565
Mob. : 9336210926, 9415126107
E-mail : prakashsantoshca@gmail.com

Annexure-I to the Auditor's Report

Directions under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013

S. No.	Director/Sub-directions	Action taken	Impact there of on the accounts and financial statements of the Corporation
1.	Whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold respectively. If not, please state the area of freehold and leasehold land for which the title/lease deeds are not available	The entire status of Land & Building has been given in Note 8.1 the annual accounts. In respect of cases where title/lease deeds are not available:- (a) Bengaluru - Land measuring 3 acres has been allotted to the Company by Government of India through Director (Backward Classes), Ministry of Social Justics & Empowerment free of cost. (b) Guwahati - Land measuring 12 Bighas are yet to be registered in the name of the corporation although the land is in possession of the company. (c) Kaimur - Land measuring 2 acres is yet to be registered in the name of the company. (d) Shed No. S-3/84 and S-3/85 has been handed over the company by Mahila Vikas Samabaya Nigam as per order of Department of Women and Child Welfare, Government of Orissa but the title of the same are yet to be transferred in the name of the corporation.	Nill
2.	Whether the company are any cases of waiver / writer off of debts/loans/interest etc. If yes, the reasons there for the and the amount involved.	During the year there, are no case of waiver / write off of debts/loans/interest etc.	Nill
3.	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/grant (s) from Govt. or other authorities.	No Stock is lying with third party except material given on returnable basis from Delhi Office worth Rs. 202, 224/- for exhibition / display, for which proper record has been maintained. No gift has been received from Govt. or other authorities.	Nill

Date : 05.08.2017

For Prakash & Santosh
Chartered Accountants.
(Firm's Registration No. 000454C)
Sd/-
Neha Gupta CA
Partner-Membership No. 414569

प्रकाश एण्ड संतोष
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
रोलेण्ड कॉम्पलेक्स, फ्लैट नं. 8 अपर फ्लोर
वेस्काट बिल्डिंग, 37/17, द माल, कानपुर – 208 001
टेलीफोन : (0512) 2303565, फैक्स : 2303565
मो0 9336210926, 9415126107
ई–मेल : prakashsantoshca@gmail.com

PRAKASH & SANTOSH
CHARTERED ACCOUNTANTS
Rolland Complex Flat No. 8, Upper Floor
Westcott Building, 37/17, The Mall, Kanpur-208 001
Telephone : (0512) 2303565, Fax : 2303565
Mob. : 9336210926, 9415126107
E-mail : prakashsantoshca@gmail.com

लेखा परीक्षको की रिपोर्ट का संलग्नक–II

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा–143 की उपधारा–3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की वित्तीय विवरणियों की हमारे लेखा परीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2017 तक भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन उत्तरदायित्व

भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा वित्तीय सूचनाओं के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के परीक्षा पर मार्गदर्शन में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचनाओं के मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाये रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रख रखाव शामिल है जिससे इसके कारोबार के आदेश तथा दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी ढंग से प्रचालित किये जा रहे थे, कंपनी की नीतियों का समर्थन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी तथा भूलों की रोकथाम एवं खोज, लेखा अभिलेखा की शुद्धता तथा पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित, विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व वित्तीय सूचना के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर किये गये हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना हैं। आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा–परीक्षा पर मानकों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की

Annexure-II to the Auditor's Report

Report on the internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Artificial Limbs Manufacturing Corporation ("the company") as of 31 March 2017 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of Internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including, adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based or our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial

धारा –143 (10) के अधीन निर्धारित किये जानें के अनुसार हम अपना लेखा परीक्षा आयोजित करते है। यह भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर लागू होता है। उन मानकों तथा परामर्श नोट में अपेक्षा है कि हम नीति परक आवश्यकताओं, तथा योजना का अनुपालन करते हैं तथा उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु हम लेखा परीक्षा करते हैं। क्या वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त रूप से स्थापित एवं बनाये रखा गया था और क्या सभी संबंधित सामग्रियों में प्रभावी ढंग से ऐसे नियंत्रण प्रचालित किये गये।

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम जो सामग्री में कमजोरी विद्यमान है, का निर्धारण करना एवं परीक्षण करना तथा डिजाइन का मूल्यांकन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोकता का प्रचालन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाऐं लेखा–परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करता है; जिसमें सामग्री के जोखिमों का निर्धारण, वित्तीय विवरणियों का गलत विवरण, जो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि हेतु प्राप्य हो, शामिल है।

हमें विश्वास हैं कि हमने जो साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय सूचना के ऊपर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय देने का पर्याप्त तथा समुचित आधार प्रदान करता है।

वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय सूचना के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा प्रणाली के अनुसार बाहरी प्रयोजनों हेतु वित्तीय सूचना की विष्वसनीयता तथा वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गयी प्रक्रियाऐं शामिल होती है कि (1) अभिलेखों के रख–रखाव से संबंधित जो उचित विवरण, सही ढंग से तथा उचित प्रकार से कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा निपदान को प्रदर्शित करता है, (2) सनुचित आश्वासन प्रदान करता है कि सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करने की अनुमति हेतु यथावष्यक लेन देन का अभिलेख

Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed u/s 143 (10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountant of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness, Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Companies' internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's Internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purpose in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of the records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted

रखा जाता है तथा कंपनी की आय तथा व्यय का, प्रबंधन तथा कंपनी के निदेषक के अधिकरण के अनुसार, विवरण रखा जाता है तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम अथवा प्रदान करता हैं जिसका वित्तीय विवरणियों पर भौतिक प्रभाव हो सकेगा।

वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमायें

वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, भूल अथवा धोखाघड़ी हो जाने पर तथा पता न लगने की स्थिति में नियंत्रणों, भौतिक गलत बयानियों को अभिभूत करके सांठ–गांठ अथवा अनुचित प्रबंधन की सभा बना शामिल है। भविष्य की अवधि हेतु वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरित वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का प्रेक्षपण भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय सूचना के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा कि नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा विकृत हो सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय सूचना के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार वित्तीय सूचना के ऊपर ऐसे आंतरित वित्तीय नियंत्रणों का प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा था, कंपनी द्वारा भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय सूचना पर आंतरित वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा संबंधी परामर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करके वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर मानदंड स्थापित किये गये थे।

कृते प्रकाश एण्ड संतोष
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 000454सी
ह0/–

(नेहा गुप्ता) सीए
भागीदार सदस्यता सं. 414569
दिनांक : 05.08.2017

accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company's; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of change in condition, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion the company has in all material respects and adequate in internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March 2017 based on the internal controls over financial reporting criteria established by the company considering the essential components of internal controls. Stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over financial reporting issued by the Institute of Chartered Accountant of India.

For Prakash & Santosh
Chartered Accountants.
(Firm's Registration No. 000454C)
Sd/-

(Neha Guta) CA
Partner-Membership No. 414569
Date : 05.08.2017

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

31 मार्च 2017 का तुलन पत्र

(रू. लाख में)

क्र सं.	विवरण	संलग्नक नं.	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
	इक्विटी और देयताएँ			
	अंशधारियों का कोष			
(ए)	अंशपूँजी	1	5,409.97	5,409.97
(बी)	आरक्षित एवं अधिशेष	2	21,966.95	15,494.34
			27,376.92	20,904.31
	गैर चालू दायित्व			
(ए)	लम्बी अवधि के ऋण	3	0.00	0.00
(बी)	लम्बी अवधि के प्रावधान	4	0.00	0.00
			0.00	0.00
	चालू दायित्व			
(ए)	व्यापारिक देनदारी	5	2,077.36	1,596.44
(बी)	अन्य चालू दायित्व	6	7,743.67	5,310.24
(सी)	छोटी अवधि के प्रावधान	7	1,108.40	832.55
			10,929.43	7,739.23
	योग		38,306.35	28,643.54
	सम्पत्ति			
	गैर चालू सम्पत्तियाँ			
(ए)	अचल सम्पत्ति			
(I)	मूर्त सम्पत्ति	8	2,099.27	1,220.78
(II)	अमूर्त सम्पत्ति		24.28	1.97
(iii)	पूँजी प्रगति का कार्य		469.49	83.48
(iv)	विकास के तहत अमूर्त सम्पत्ति		0.00	0.00
(v)	अचल सम्पत्ति को बिक्री के लिए रखना		0.00	0.00
			2,593.04	1,306.23
(बी)	दीर्घ अवधि ऋण एंव अग्रिम	9	927.43	874.86
	योग गैर चालू सम्पत्तियाँ		3,520.47	2,181.09
	चालू सम्पत्तियाँ			
(ए)	रहतिया	10	4,300.10	3,657.25
(बी)	व्यापारिक प्राप्तियाँ	11	1,277.74	1,017.81
(सी)	नगद एवं नगद के समतुल्य	12	28,390.70	20,608.42
(डी)	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	13	306.91	781.15
(ई)	अन्य चालू सम्पत्तियाँ	14	510.43	397.82
	योग चालू सम्पत्तियाँ		34,785.88	26,462.45
	योग		38,306.35	28,643.54
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	20		
	वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त जानकारी	21		
	वित्तीय व्यक्तव्यों का हिस्सा बनाने के नोट का उल्लेख			

ह0/–
(अतुल रूस्तगी)
उप–महाप्रबन्धक (वित्त)

ह0/–
(मधुसूदन रे)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं प्रशासन)

ह0/–
टी. सी. ए. कल्याणी
निदेशक

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
ह0/–
डी. आर. सरीन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हमारे समतिथि के संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार
कृते प्रकाश एण्ड संतोष
सनदी लेखाकर, एफ. आर. एन. 000454सी
ह0/–
(नेहा गुप्ता)
पार्टनर, सदस्यता सं. 414569

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 20.06.2017

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2017

(RS IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	NOTE NO.	AS AT 31ST MARCH 2017	AS AT 31ST MARCH 2016
	EQUITY AND LIABILITIES			
	SHAREHOLDERS' FUNDS			
(a)	Share Capital	1	5,409.97	5,409.97
(b)	Reserves and Surplus	2	21,966.95	15,494.34
			27,376.92	20,904.31
	NON-CURRENT LIABILITIES			
(a)	Long-term Borrowings	3	0.00	0.00
(b)	Long-term Provisions	4	0.00	0.00
			0.00	0.00
	CURRENT LIABILITIES			
(a)	Trade Payables	5	2,077.36	1,596.44
(b)	Other Current Liabilities	6	7,743.67	5,310.24
(c)	Short-term Provisions	7	1,108.40	832.55
			10,929.43	7,739.23
	TOTAL		38,306.35	28,643.54
	ASSETS			
	NON-CURRENT ASSETS			
(a)	Fixed Assets			
(i)	Tangible Assets	8	2,099.27	1,220.78
(ii)	Intangible Assets		24.28	1.97
(iii)	Capital Work-in-Progress		469.49	83.48
(iv)	Intangible Assets Under Development		0.00	0.00
(v)	Fixed Assets held for Sale		0.00	0.00
			2,593.04	1,306.23
(b)	Long Term Loans & Advances	9	927.43	874.86
	TOTAL NON CURRENT-ASSETS		3,520.47	2,181.09
	CURRENT ASSETS			
(a)	Inventories	10	4,300.10	3,657.25
(b)	Trade Receivables	11	1,277.74	1,017.81
(c)	Cash and Cash Equivalents	12	28,390.70	20,608.42
(d)	Short-term Loans and Advances	13	306.91	781.15
(e)	Other Current Assets	14	510.43	397.82
	TOTAL CURRENT-ASSETS		34,785.88	26,462.45
	TOTAL		38,306.35	28,643.54
	SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	20		
	ADDITIONAL INFORMATION TO THE FINANCIAL STATEMENT	21		
	REFER NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS			

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
(ATUL RUSTAGI)
DGM - FIN

Sd/-
(MADHUSUDAN RAY)
GENERAL MANAGER
(FIN & ADMN)

Sd/-
(T.C.A. KALYANI)
DIRECTOR

Sd/-
(D.R.SARIN)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED
FOR **PRAKASH & SANTOSH**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 000454C
Sd/-
(CA. NEHA GUPTA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 414569

PLACE : New Delhi
DATED : 20.06.2017

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का आय एवं व्यय विवरण

(रू. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	संलग्नक सं.	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये
	सतत् संचालन			
(ए)	**आय**			
(i)	संचालन से राजस्व	15	24,067.23	18,935.51
(ii)	घटाया : छूट	15	235.56	77.38
(iii)	संचालन से राजस्व		**23,831.67**	**18,858.13**
(iv)	अन्य आय	16	838.55	1,933.98
	कुल राजस्व		**24,670.22**	**20,792.11**
(बी)	**व्यय**			
(i)	उपभोग माल की लागत	17a	12,087.81	8,695.09
(ii)	तैयार माल और कार्य में प्रगति रहतिया में परिर्वतन	17b	(433.04)	(162.35)
(iii)	कर्मचारी लाभ व्यय	18	3,118.37	2,846.85
(iv)	ह्रास	8	123.41	111.01
(v)	अन्य व्यय	19	4,199.74	0.00
				4,681.57
	कुल व्यय		**19,096.29**	**16,172.17**
	गैरमामूली और गैरमामूली वस्तुऐं एवं कर के पूर्व आय (व्यय)		**5,573.93**	**4,619.94**
	असाधारण वस्तुऐं		0.00	0.00
	गैरमामूली वस्तुऐं एवं कर के पूर्व आय (व्यय)		**5,573.93**	**4,619.94**
	असाधारण वस्तुऐं		0.00	0.00
	आय (व्यय) कर पूर्व		**5,573.93**	**4,619.94**
	कर व्यय		0.00	0.00
	व्यय पर आय का अधिक्य		**5,573.93**	**4,619.94**
	प्रति अंश लाभ (प्रत्येक रू 1000/–) (बुनियादी और घुलनशील)		1,030.31	853.97
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ		540,997	540,997
	वित्तीय विवरण के लिये अतिरिक्त जानकारी	20		
	वित्तीय व्यक्तव्यों का हिस्सा बनाने के नोट का उल्लेख	21		

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
(अतुल रूस्तगी)	**(मधुसूदन रे)**	**टी. सी. ए. कल्याणी**	**डी. आर. सरीन**
उप–महाप्रबन्धक (वित्त)	महाप्रबन्धक (वित्त एवं प्रशासन)	निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हमारे समतिथि के संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार
कृते प्रकाश एण्ड संतोष
सनदी लेखाकार, एफ. आर. एन. 000454सी
ह0/–
(नेहा गुप्ता)
पार्टनर, सदस्यता सं. 414569

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 26.06.2017

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

(RS IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	NOTE NO.	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016
	CONTINUING OPERATIONS			
A	**INCOME**			
(i)	Revenue from Operations	15	24,067.23	18,935.51
(ii)	Less: Discount	15	235.56	77.38
(iii)	Revenue from Operations		23,831.67	18,858.13
(iv)	Other Income	16	838.55	1,933.98
	TOTAL REVENUE		24,670.22	20,792.11
B	**EXPENSES**			
(i)	Cost of Materials Consumed	17a	12,087.81	8,695.09
(ii)	Changes in Inventories of Finished Goods & Work-in-Progress	17b	(433.04)	(162.35)
(iii)	Employee Benefits Expense	18	3,118.37	2,846.85
(iv)	Depreciation	8	123.41	111.01
(v)	Other Expenses	19	4,199.74	4,681.57
	TOTAL EXPENSES		19,096.29	16,172.17
	INCOME (EXPENDITURE) BEFORE EXCEPTIONAL AND EXTRAORDINARY ITEMS AND TAX		5,573.93	4,619.94
	Exceptional Items		0.00	0.00
	INCOME (EXPENDITURE) BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS AND TAX		5,573.93	4,619.94
	Extraordinary Items		0.00	0.00
	INCOME (EXPENDITURE) BEFORE TAX		5,573.93	4,619.94
	TAX EXPENSE		0.00	0.00
	EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		5,573.93	4,619.94
	EARNINGS PER SHARE(OF RS. 1000/- EACH) (BASIC & DILUTED) - Rs.		1,030.31	853.97
	TOTAL NO. OF EQUITY SHARES		540,997	540,997
	SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	20		
	ADDITIONAL INFORMATION TO THE FINANCIAL STATEMENT	21		
	REFER NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS			

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
(ATUL RUSTAGI)
DGM - FIN

Sd/-
(MADHUSUDAN RAY)
GENERAL MANAGER
(FIN & ADMN)

Sd/-
(T.C.A. KALYANI)
DIRECTOR

Sd/-
(D.R.SARIN)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED
FOR **PRAKASH & SANTOSH**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 000454C
Sd/-
(CA. NEHA GUPTA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 414569

PLACE : New Delhi
DATED : 20.06.2017

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का नगद प्रवाह विवरण

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये	
अ	**संचालित गतिविधियों से नगद प्रवाह**				
	आय और व्यय के रूप में शुद्ध अधिशेष		5,573.93		4,619.94
	प्रवाह विवरण				
	<u>समायोजन हेतु:–</u>				
	ह्रास एवं परिशोधन	123.41		111.01	
	आधुनिकरण के लिए संचय बनाया गया	898.68		0.00	
	अनुदान सहायता के खिलाफ परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला	0.00		(17.78)	
	ब्याज से आय	(633.96)		(984.04)	
	अन्य गैर परिचालन आय				
	सम्पत्तियों की बिक्री से आय	(1.08)	387.05		(890.81)
	संचालन लाभ/(हानि) कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व		5,960.98		3,729.13
	कार्यशील पूँजी में परिवर्तन :–				
	समायोजन हेतु वृद्धि/कमी संचालित परिसम्पत्तियों में				
	रहतिया	(642.85)		241.77	
	व्यापारिक प्राप्तियाँ	(259.93)		1,926.08	
	अल्पकालिक ऋण ओर अग्रिम	474.24		(496.60)	
	अन्य मौजूदा परिसम्पत्तियाँ	(112.61)		160.43	
	अन्य गैर मौजूदा परिसम्पत्तियाँ	0.00	(541.15)	0.00	1,831.68
			5,419.83		5,560.81
	समायोजन हेतु वृद्धि/(कमी) संचालित देनदारियों में ह्रास				
	व्यापारिक देनदारियाँ	480.92		(208.68)	
	अन्य मौजूदा देनदारियाँ	2,433.43		2,090.18	
	अल्पकालिक प्रावधान	275.85		513.55	
	दीर्धकालिक प्रावधान	0.00	3,190.20	0.00	2,395.05
	संचालन द्वारा उत्पन्न नगदी		8,610.03		7,955.86
	शुद्ध नगदी प्रवाह/में प्रयुक्त संचालन गतिविधियाँ (अ)		**8,610.03**		**7,955.86**

क्रमशः

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

RS IN LACS

S. NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017		FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016	
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITY				
	NET SURPLUS AS PER INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT		5,573.93		4,619.94
	Adjustments for:				
	Depreciation and amortisation	123.41		111.01	
	Reserve created for Modernization	898.68		0.00	
	Depreciation written off on assets adjusted against GIA / otherwise	0.00		(17.78)	
	Interest income Other non Operating Income	(633.96)		(984.04)	
	Profit on Sale of assets	(1.08)	387.05		(890.81)
	Operating profit / (loss) before working capital changes		5,960.98		3,729.13
	Changes in working capital:				
	Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:				
	Inventories	(642.85)		241.77	
	Trade receivables	(259.93)		1,926.08	
	Short-term loans and advances	474.24		(496.60)	
	Other current assets	(112.61)		160.43	
	Other non-current assets	0.00	(541.15)	0.00	1,831.68
			5,419.83		5,560.81
	Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:				
	Trade payables	480.92		(208.68)	
	Other current liabilities	2,433.43		2,090.18	
	Short-term provisions	275.85		513.55	
	Long-term provisions	0.00	3,190.20	0.00	2,395.05
	Cash generated from operations		8,610.03		7,955.86
	Net cash flow from / (used in) operating activities (A)		**8,610.03**		**7,955.86**

Contd.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष का नगद प्रवाह विवरण

क्रमशः (रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये	
अ.	**संचालित गतिविधियों से नकदी प्रवाह** **पिछला अग्रनीत**		8,610.03		7,955.86
ब.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	अचल सम्पत्ति पर पूंजीगत व्यय जिसमें मूर्त एवं अमूर्त सम्पत्ति शामिल है	(1,024.38)		115.40	
	पूंजीगत कार्य प्रगति एवं पूंजीगत अग्रिम	(438.58)		(816.18)	
	अचल सम्पत्ति की बिक्री से आय	1.25		0.00	
	प्राप्त ब्याज	633.96		984.04	
	अन्य गैर परिचालन		(827.75)		283.26
	निवेश गतिविधियों द्वारा शुद्ध गतिविधियों (बी)				
स.	**वित्तपोषित गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		0.00		0.00
द.	नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (कमी) (ए+बी+सी)		7,782.28		8,239.12
ई.	वर्ष के प्रारम्भ पर नकद और नकद समतुल्य (नोट–12 में देखें)		20,608.42		12,369.30
फ.	वर्ष के समाप्ति पर नकद और नकद समतुल्य (नोट–12 में देखें)		28,390.70		20,608.42

नोट :–

अ. "नकद प्रवाह विवरणी" संबंधी लेखांकन मानकों में निर्धारित अप्रत्यक्ष तरीका" के तहत नकद प्रवाह को तैयार किया गया है।

ब. जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, पहले वर्ष के आंकड़ों को पुन समूहबद्ध तथा पुनः व्यवस्थित किया गया है।

साथ में दिया गया नोट्स वित्तीय विवरणियों का प्रमुख भाग है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
(अतुल रूस्तगी)	**(मधुसूदन रे)**	**टी. सी. ए. कल्याणी**	**डी. आर. सरीन**
उप–महाप्रबन्धक (वित्त)	महाप्रबन्धक (वित्त एवं प्रशासन)	निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हमारे समतिथि के संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार
कृते प्रकाश एण्ड संतोष
सनदी लेखाकर, एफ. आर. एन. 000454सी
ह0/–
(नेहा गुप्ता)
पार्टनर, सदस्यता सं. 414569

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 20.06.2017

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017

Contd....

RS IN LACS

S. NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017		FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016	
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**				
	Brought forward		**8,610.03**		**7,955.86**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**				
	Capital expenditure on Fixed Asset including Tangible and Intangible	(1,024.38)		115.40	
	Capital WIP & Capital Advances	(438.58)		(816.18)	
	Proceeds from sale of fixed assets	1.25		0.00	
	Interest Received	633.96		984.04	
	Other Non Operating Income		(827.75)		283.26
	Net cash flow from investing activities (B)				
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		**0.00**		**0.00**
D	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENT A+B+C		**7,782.28**		**8,239.12**
E	CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR (Refer Note 12)		**20,608.42**		**12,369.30**
F	CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR (Refer Note 12)		**28,390.70**		**20,608.42**

Notes :-

A The Cash Flow has been prepared under "Indirect Metthod" as set out in the Accounting Standard 3 on "Cash Flow Statement".

B Previous year figures have been regrouped and re-arranged, whereever necessary.

Accompanying Notes are an integral part of the Financial Statements

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
(ATUL RUSTAGI)
DGM - FIN

Sd/-
(MADHUSUDAN RAY)
GENERAL MANAGER
(FIN & ADMN)

Sd/-
(T.C.A. KALYANI)
DIRECTOR

Sd/-
(D.R.SARIN)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED
FOR **PRAKASH & SANTOSH**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 000454C
Sd/-
(CA. NEHA GUPTA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 414569

PLACE : New Delhi
DATED : 20.06.2017

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 1 : अंश पूँजी

(रू लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
		अंशों की संख्या	मूल्य (रू लाख में)	अंशों की संख्या	मूल्य (रू लाख में)
अ)	**अधिकृत** मतदान के अधिकार के साथ प्रत्येक रू 1000 के 600000 इक्विटी शेयर (गतवर्ष 60000 मतदान के अधिकार सहित प्रत्येक 1000 के इक्विटी शेयर)	600000	6,000.00	600000	6,000.00
ब)	**निर्गमित** मतदान के अधिकार के साथ प्रत्येक रू 1000 के 540997 इक्विटी शेयर (गतवर्ष 540997 मतदान के अधिकार सहित प्रत्येक 1000 के इक्विटी शेयर)	540997	5,409.97	540997	5,409.97
स)	**सदस्यता और पूर्ण भुगतान किया** मतदान के अधिकार के साथ प्रत्येक रू 1000 के 540997 इक्विटी शेयर (गतवर्ष के अधिकार के साथ प्रत्येक रू 1000 के 540997 इक्विटी शेयर)	540997	5,409.97	540997	5,409.97
	योग	**540997**	**5,409.97**	**540997**	**5,409.97**

नोट :

(i) प्रारम्भ और समाप्ति की आख्या पर शेयर और बकाया राशि की संख्या का पुनःमिलान (रू लाख में)

विवरण	प्रारम्भ शेष	नये निर्गमन	बोनस	इस्बोपी	रूपान्तरण	क्रय वापसी	अन्य परिर्वतन	अन्तिम शेष
मताधिकार के साथ इक्विटी शेयर निगर्मित, पूर्ण भुगतान एवं जारी								
31 मार्च 2017 की समाप्ति								
–अंशों की संख्या	**540997**	-	0	-	0	-	0	**540997**
–राशि रू (1000–/प्रति)	**5409.97**	-	0	-	0	-	0	**5409.97**
31 मार्च 2016 की समाप्ति								
–अंशों की संख्या	**540997**	-	0	-	0	-	0	**540997**
–राशि रू (1000–/प्रति)	**5409.97**	-	0	-	0	-	0	**5409.97**

(ii) प्रत्येक 5 प्रतिशत से अधिक अंश धारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

अंशों का प्रकार/ अंश धारकों का नाम	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
	धारित अंशों की संख्या	उस वर्ग में रखे गये अंश का प्रतिशत	अंशों की संख्या	उस वर्ग में रखे गये अंश का प्रतिशत
इक्विटी शेयर				
भारत के राष्ट्रपति	540994	99.99%	540994	99.99%

जारी कुल 5,40,997 अंशों में से, 5,40,994 अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम रखे गये है तथा शेष अंश धारक सरकार के नामिती है।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 1 : SHARE CAPITAL **RS IN LACS**

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH'2017		AS AT 31ST MARCH' 2016	
		NUMBER OF SHARES	AMOUNT (RS. IN LACS)	NUMBER OF SHARES	AMOUNT (RS. IN LACS)
(a)	AUTHORIZED 600000 Equity Shares of Rs. 1000 each with voting rights (PY 30000 Equity Shares of Rs 1000 each with voting rights)	600000	6,000.00	600000	6,000.00
(b)	ISSUED 540997 Equity Shares of Rs.1000 each with voting rights (PY 540997 Equity Shares of Rs 1000 each with voting rights)	540997	5,409.97	540997	5,409.97
(c)	SUBSCRIBED AND FULLY PAID UP 540997 Equity Shares of Rs.1000 each with voting rights (PY540997 Equity Shares of Rs 1000 each with voting rights)	540997	5,409.97	540997	5,409.97
	TOTAL	540997	5,409.97	540997	5,409.9

Notes:

(i) Reconciliation of the number of shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the reporting

(RS. IN LACS)

PARTICULARS	OPENING BALANCE	FRESH ISSUE	BONUS	ESOP	CON-VERSION	BUY BACK	OTHER CHANGES	CLOSING BALANCE
EQUITY SHARES WITH VOTING RIGHTS Issued, Subscribed & Fully Paid Up								
Year ended 31 March, 2017								
- Number of shares	540997	-	0	-	0	-	0	540997
- Amount (Rs. 1000/- each)	5409.97	-	0	-	0	-	0	5409.97
Year ended 31 March, 2016								
- Number of shares	540997	-	0	-	0	-	0	540997
- Amount (Rs. 1000/- each)	5409.97	-	0	-	0	-	0	5409.97

(ii) Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares:

CLASS OF SHARES/ NAME OF SHARE HOLDER	AS AT 31ST MARCH' 2017		AS AT 31ST MARCH' 2016	
	NUMBER OF SHARES HELD	% HOLDING IN THAT CLASS OF	NUMBER OF SHARES	% HOLDING IN THAT CLASS OF
EQUITY SHARES				
President of India	540994	99.99%	540994	99.99%
Out of the total 540997 shares issued , 540994 shares are held in the name of President of India and balance shareholders are Government nominees.				

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 2 : संचय एवं अधिशेष

(रू लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
अ)	**पूँजी संचय**		
(I)	राष्ट्रीय सुरक्षा कोष से अनुदान		
	प्रारम्भिक शेष (नीचे दिये गये 2.1 का संदर्भ)	400.00	400.00
	जोड़ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त वृद्धि (विवरण दिये गये)	0.00	0.00
	घटाया : वर्ष के दौरान इस्तेमाल /स्थान्तरित (विवरण दिये गये)	0.00	0.00
	अन्तिम शेष (ए)	**400.00**	**400.00**
(II)	एम.ओ.एस.जे.ई. भारत सरकार द्वारा आधुनिकीकरण अनुदान पूर्ण उपयोग		
	प्रारम्भिक शेष (नीचे दिये गये 2.2 का संदर्भ)	2,256.95	2,256.95
	जोड़ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त वृद्धि (विवरण दिये गये)	0.00	0.00
	घटाया : वर्ष के दौरान इस्तेमाल /स्थान्तरित (विवरण दिये गये)	0.00	0.00
	अन्तिम शेष (बी)	**2,256.95**	**2,256.95**
(III)	भारत सरकार द्वारा आवंटित भूमि		
	प्रारम्भिक शेष (नीचे दिये गये 2.3 का संदर्भ)	0.00	0.00
	जोड़ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त वृद्धि (विवरण दिये गये)	**0.00**	**0.00**
	घटाया : वर्ष के दौरान इस्तेमाल /स्थान्तरित (विवरण दिये गये)	**0.00**	**0.00**
	अन्तिम शेष (सी)	**0.00**	**0.00**
(IV)	आधुनिकीकरण व्यय हेतु ब्याज पूंजीकृत किया गया		
	प्रारम्भिक कोष (नीचे 2.4 देखें)	0.00	0.00
	जोड़: वर्ष के दौरान अतिरिक्त वृद्धि (विवरण नोट 2.4 एवं 2.5 पर)	**898.68**	**0.00**
	घटाया: वर्ष के दौरान उपयोग/अंतरित (विवरण दे)	**0.00**	**0.00**
	अन्तिम शेष (डी)	**898.68**	**0.00**
	कुल संचय पूंजी (ए+बी+सी+डी)	**3,555.63**	**2,656.95**
ब)	आय–व्यय का प्रवाह विवरण में अधिशेष (घाटा)		
	प्रारम्भिक कोष	12,837.39	8,217.45
	जोड़: लाभ / हानि वर्ष के दौरान	5,573.93	4,619.94
	कुल अधिशेष (घाटा)	**18,411.32**	**12,837.39**
	कुल संचय एवं अधिशेष	**21,966.95**	**15,494.34**

2.1 राष्ट्रीय रक्षा निधि में प्रमोटर्स योगदान के रूप में 400.00लाख चूंकि प्राप्ति के वर्ष, अनुदान को पूँजी आरक्षण में दर्शाया गया है।

2.2 निगम द्वारा भारत सरकार का अनुदान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से 31.3.2011तक आधुनिकीकरण अनुदान हेतु प्राप्त रुपये 2256.95 लाख का पूर्णत: उपयोग हो चुका है तथा उसके उपयोग का पूंजीगत आरक्षण के रूप में समझा गया है।

2.3 भारत सरकार द्वारा मुख्यालय, बैंगलूर तथा उज्जैन हेतु भूमि प्रत्येक 1.00 रुपये के काल्पनिक मूल्य पर दी गयी है। उज्जैन में भूमि की सामान्य कीमत अदा कर दी गयी है तथा शेष 2.00 रुपये की शेष राशि पूंजीगत आरक्षित खाते (उपयुक्त अ (iii) को देखें) में जमा करा दी गयी है।

2.4 बोर्ड ने 338.00 करोड़ रुपये की आधुनिकीकरण योजना को अनुमोदित किया है जिसमें आधुनिकीकरण निधि के रूप में 200.00 करोड़ रुपये मंत्रालय की ओर से वित पोषित किये जाने है तथा शेष निधि का प्रबंध स्वयं की ओर से किया जाना है। निगम के आधुनिकीकरण योजना के अनुमोदन को एसएफसी के कार्यवृत्त में भी शामिल किया गया है जिससे कि आधुनिकीकरण योजना में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी को स्वयं निगम अपनी व्यवस्था करेगा। विवेकी वित्तीय व्यवहार के तौर पर, प्रबंधन ने एफडीआर्स पर प्रोद्भूत ब्याज पूंजीगत बनाने का निर्णय लिया है जिसे आधुनिकीकरण व्यय के लिए उपयोग में लाया जाना होता है। ऐसी एफडीआर्स पर प्रोद्भूत ब्याज बढ़कर 861.63 लाख रुपये (पूर्व वर्ष में शून्य) हो गया है तथा तदानुसार पूंजीगत रिजर्व सृजित हो गया है (उपर्युक्त अ (iv) को देखें)।

2.5 मैसर्सस इंजीनियर्स प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड को पूंजीगत अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज की राषि 37.05 लाख रुपये (पूर्व वर्ष में शून्य) को भी आधुनिकीकरण व्यय हेतु सृजित पूंजीगत रिजर्व में जोड़ दिया गया है।

2.6 सरकारी अनुदान का लेखा लेखांकन मानक 12 के अनुसार है।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 2 : RESERVES AND SURPLUS

(RS. IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2017	AS AT 31ST MARCH 2016
(a)	CAPITAL RESERVES		
(i)	Grant from National Defence Fund		
	Opening Balance (Refer 2.1 below)	400.00	400.00
	Add: Additions during the year (give details)	0.00	0.00
	Less: Utilised / transferred during the year (give detais)	0.00	0.00
	Closing balance - (A)	400.00	400.00
(ii)	Mordernization Grant from MOSJE, Government of India - Fully Utilized		
	Opening Balance (Refer 2.2 below)	2,256.95	2,256.95
	Add: Additions during the year (give details)	0.00	0.00
	Less: Utilised / transferred during the year (give details)	0.00	0.00
	Closing balance - (B)	2,256.95	2,256.95
(iii)	Land Alloted by Government of India		
	Opening Balance (Refer 2.3 below)	0.00	0.00
	Add: Additions during the year (give details)	0.00	0.00
	Less: Utilised / transferred during the year (give details)	0.00	0.00
	Closing balance - (C)	0.00	0.00
(iv)	Interest Capitalized for Modernization Expenses		
	Opening Balance (Refer 2.4 below)	0.00	0.00
	Add: Additions during the year (details - Refer Note 2.4 & 2.5)	898.68	0.00
	Less: Utilised / transferred during the year (give details)	0.00	0.00
	Closing balance - (D)	898.68	0.00
	TOTAL CAPITAL RESERVE (A+B+C+D)	3,555.63	2,656.95
(b)	SURPLUS (DEFICIT) IN STATEMENT OF INCOME & EXPENDITURE		
	Opening balance	12,837.39	8,217.45
	Add: Profit/(Loss) for the year	5,573.93	4,619.94
	TOTAL SURPLUS (DEFICIT)	18,411.32	12,837.39
	TOTAL RESERVES AND SURPLUS	21,966.95	15,494.34

2.1	Grant for Rs 400.00 Lacs was received as promoter's contribution from National Defence Fund. Since the year of receipt , the same is being shown as Capital Reserve.
2.2	Modernization Grant of Rs 2256.95 Lacs received from Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India received till 31.3.2011 was fully utilized and since utilization thereof has been treated as Capital Reserve.
2.3	Lands at Head Quarter, Bangalore & Ujjain have been given by Government of India at a notional value of Re 1.00 each. The nominal value of Land at Ujjain has been paid and balance Rs 2.00 has been credited in Capital Reserve account (Refer a(iii) above)
2.4	The Board has approved a Modernization plan of Rs 338.00 crores out of which the Modernization fund to be financed by Ministry is Rs 200.00 Crores and balance is to financed from internal accruals. It has also been recorded in the SFC Minutes approving the Modernization Plan of the corporation that any escalation in the Modernization Plan shall be borne from the internal accruals of the corporation. As a prudent financial practice, the management has decided to capitalize the interest accruing to the FDRs which are meant for meeting modernization expenses. The interest accrued on such FDRs to the extent of Rs 861.63 Lacs (P.Y. NIL) have been capitalized and Capital Reserve accordingly has been created. (Refer a (iv) above)
2.5	Interest accrued on Capital advance to M/s Engineers Project (India) Limited amounting to Rs 37.05 Lacs (Previous year NIL) has been added to Capital Reserve created for Modernization Expenses
2.6	Accounting of Government Grants is in confirmity with AS 12.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 3 : दीर्घकालिक ऋण

(रू लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
(अ)	भारत सरकार द्वारा ऋण पर उपार्जित ब्याज एवं देय		
	सुरक्षित	0.00	0.00
	असुरक्षित	0.00	0.00
	योग	**0.00**	**0.00**

नोट 4 : दीर्घकालिक प्रावधान

(रू लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
	प्रावधान	NIL	NIL
	योग	**NIL**	**NIL**

नोट 5 : व्यापारिक देनदारियाँ

(रू लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
	व्यापारिक देनदारियाँ,		
1.	विविध लेनदार	2,077.36	1596.44
	योग	**2,077.36**	**1596.44**
5.1	शेष पुष्टि के अधीन है।		

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 3 : LONG TERM BORROWINGS

(RS. IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2017	AS AT 31ST MARCH 2016
(A)	INTEREST ACCRUED AND DUE ON LOAN FROM GOVERNMENT OF INDIA		
	Secured	0.00	0.00
	Unsecured	0.00	0.00
	TOTAL	0 00	0 00

NOTE 4 : LONG TERM PROVISIONS

(RS. IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2017	AS AT 31ST MARCH 2016
	PROVISIONS	NIL	NIL
	TOTAL	NIL	NIL

NOTE 5 : TRADE PAYABLES

(RS. IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2017	AS AT 31ST MARCH 2016
	TRADE PAYABLES		
1	Sundry Creditors	2,077.36	1,596.44
	TOTAL	2,077.36	1,596.44
5.1	Balances are subject to confirmation.		

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 6 : अन्य चालू दायित्व

(रू लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
(i)	वैधानिक विप्रेषण		13.88		51.26
(ii)	व्यापारिक/सुरक्षा जमा प्राप्त		1,581.62		999.33
(iii)	ग्राहकों से अग्रिम		5,151.31		2,651.76
(iv)	अप्रर्युक्त सरकारी अनुदान				
(अ)	एडिप योजना के अन्तर्गत अनुदान				
	प्रारम्भिक शेष	878.80		322.45	
	जोड़ा : यूसी जो लेखाकिंत नहीं किया गया और वितरण के लिये सामग्री भेजी गयी	6,670.25		2,612.32	
	जोड़ा : हस्तान्तरित ब्याज	33.64		39.36	
	जोड़ा : वर्ष के दौरान प्राप्त	8,783.43		8,411.87	
	जोड़ा : एडिप योजना के खण्ड 12 (ix) के अर्न्तगत ऋण के रूप में प्राप्तियाँ	3,200.00		550.00	
		19,566.12		**11,936.00**	
	घटाया : वर्ष के दौरान उपयोग	**14,450.08**		4,386.95	
		5,116.04		**7,549.05**	
	घटाया : वितरण के लिये सामग्री भेजी गयी	4,688.27	**427.77**	6,670.25	**878.80**
(ब)	एडिप-एसएसए योजना के अन्तर्गत अनुदान				
	प्रारम्भिक शेष	289.12		195.97	
	जोड़ा : यूसी जो लेखाकिंत नहीं किया गया और वितरण के लिये सामग्री भेजी गयी	4,714.20		2,431.22	
	वर्ष के दौरान प्राप्त	1,934.62		2,045.00	
	जोड़ा : एडिप योजना के खण्ड 12 (ix) के अर्न्तगत ऋण के रूप में प्राप्तियाँ	1,100.00		1,613.13	
		8,037.94		**6,285.32**	
	घटाया : वर्ष के दौरान उपयोग	5,713.62		1,282.00	
		2,324.32		**5,003.32**	
	घटाया : वितरण के लिये सामग्री भेजी गयी	2,042.22	**282.10**	4,714.20	**289.12**
(स)	सिपदा योजना के अर्न्तगत अनुदान		0.00		**24.85**
(द)	एडिप जागरूकता शिविर के अर्न्तगत अनुदान				
	प्रारम्भिक शेष	2.49		4.08	
	वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00		0.00	
	घटाया : वर्ष के दौरान उपयोग	0.00	**2.49**	1.59	**2.49**
(य)	आधुनिकरण के लिये अनुदान				
	प्रारम्भिक शेष	126.78		0.00	
	वर्ष के दौरान प्राप्त	500.00		500.00	
	घटाया : वर्ष के दौरान उपयोग	626.78	**0.00**	373.22	**126.78**
(v)	देय व्यय		**284.50**		**238.53**
(vi)	भविष्य निधि देय		**0.00**		**47.32**
	योग		**7,743.67**		**5,310.24**

6.1 निगम एडिप (विकलांग व्यक्तियों की सहायता) स्कीम के तहत भारत सरकार की नोडल एजेंसी की भांति काम कर रहा है और एडिप–एसएसए (विकलांग व्यक्तियों की सहायता–सर्व शिक्षा अभियान) स्कीम में एक मात्र क्रियान्वयन एजेंसी की भूमिका में हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को लेखांकन मानक 12 के अनुसार राजस्व अनुदान की मान्यता प्राप्त हैं इसके गैर उपभुक्त अवशेष को चालू दायित्व के रूप में दर्शाया गया है।

6.2 पुनरीक्षित लेखानीतियों (2011–12 से) के अनुसार एडिप और एडिप–एसएसए स्कीमों के लिए प्राप्त अनुदानों को यदि परेशिती(कन्साइनी) से पावती का प्रमाण मिल जाए तो उसे उपभुक्त माने जाने की मान्यता है। उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण डेबिट अवशेषों को एकाउंट फार कर दिया गया है और वितरण हेतु भेजी गई सामग्री को अनुदान का उपभोग माना गया है जिसे अनुदान से घटाकर अलग दर्शाया गया है।

क्रमशः

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

क्रमशः

नोट 6 : अन्य चालू दायित्व

6.3	ग्राहकों से अगिम सर्वशिक्षा अभियान के प्राधिकरण और अन्य एजेन्सियों, केन्द्र / राज्य सरकारों द्वारा सहायक उपकरणों का वितरणविकलांगजनों के लिए शिवरों में उनकी तारीखों, सीन और अन्य निर्देश तथा उनकी देख–रेख में होगा बकाया शेष रु. 728.36 लाख (पूर्व वर्ष 380.11 लाख) जोकि एक साल की अवधि से ज्यादा है जोकि प्राप्ति राशि एवं उनकी उपयोग की शर्तों के साथ सरकार द्वारा नियन्त्रित संस्थाओं से कर रहे हैं। यह कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (31) के साथ नियम 2(ग) के अन्तर्गत जमा नहीं समझा जाता है।
6.4	भारत सरकार की एडिप योजना के अन्तर्गत रु. 4300.00 लाख (पूर्व वर्ष 2163.13 लाख) का ऋण निगम द्वारा लिया गया तथा उसका भुगतान भारत सरकार की अनुदान प्राप्ति पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में चुका दिया गया है तथा इस प्राप्ति का अनुदान जो मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था इसका प्रकटीकरण दायित्वों में उसी अनुरूप कर दिया गया है। इसे सुरक्षित ऋण के रूप में मानते हुए "अप्रयुक्त सरकारी अनुदान" शीर्ष के तहत अन्य चालू देयता में नकारात्मक शेष के रूप में इसका परिणाम हुआ है जोकि एडिप योजना के खिलाफ है।
6.5	सिक्यूरिटी डिपाजिट, बयाना राशि डिपाजिट, विभिन्न पार्टियों और ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के एकाउंट पुष्टीकरण के अधीन है।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 6 : OTHER CURRENT LIABILITIES

(RS. IN LACS)

S. NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2017		AS AT 31ST MARCH 2016	
(i)	Statutory Remittances		13.88		51.26
(ii)	Trade / security deposits received		1,581.62		999.33
(iii)	Advances from customers		5,151.31		2,651.76
(iv)	**UN-UTILIZED GOVERNMENT GRANTS**				
(a)	**GRANT UNDER ADIP SCHEME**				
	Opening Balance	878.80		322.45	
	Add: UC s unaccounted & material sent for distribution	6,670.25		2,612.32	
	Add: Interest transferred	33.64		39.36	
	Add : Received During the year	8,783.43		8,411.87	
	Add : Received as Loan under Clause 12 (ix) of ADIP Scheme	3,200.00		550.00	
		19,566.12		**11,936.00**	
	Less : Utilized During the year	14,450.08		4,386.95	
		5,116.04		**7,549.05**	
	Less : Material Dispatched for Distribution	4,688.27	**427.77**	6,670.25	**878.80**
(b)	**GRANT UNDER ADIP - SSA SCHEME**				
	Opening Balance	289.12		195.97	
	Add: UC s unaccounted & material sent for distribution	4,714.20		2,431.22	
	Add : Received During the year	1,934.62		2,045.00	
	Add : Received as Loan under Clause 12 (ix) of ADIP Scheme	1,100.00		1,613.13	
		8,037.94		**6,285.32**	
	Less : Utilized During the year	5,713.62		1,282.00	
		2,324.32		**5,003.32**	
	Less : Material Dispatched for Distribution	2,042.22	**282.10**	4,714.20	**289.12**
(c)	GRANT for SIPDA Scheme		0.00		**24.85**
(d)	Grant for ADIP Awareness Camp				
	Opening Balance	2.49		4.08	
	Received during the year	0.00		0.00	
	Less: Utilized during the year	0.00	**2.49**	1.59	**2.49**
(e)	Modernization Grant				
	Opening Balance	126.78		0.00	
	Received during the year	500.00		500.00	
	Less: Utilized during the year	626.78	**0.00**	373.22	**126.78**
(v)	Expenses Payable		**284.50**		**238.53**
(vi)	Provident Fund payable		**0.00**		**47.32**
	TOTAL		**7,743.67**		**5,310.24**

6.1 The Corporation is working as Nodal Agency of Government of India under its ADIP (Assistance to Disabled Persons) Scheme and as a sole implementing agency under ADIP-SSA (Assistance to Disabled Persons - Sarva Shiksha Abhiyan) Scheme. Grants received from the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India is recognised as Revenue grant in confirmity with AS 12 and Un-utilized balance of the same is disclosed as Current Liabilities.

6.2 As per Revised Accounting Policy (since 2011-12), grants received under ADIP and ADIP-SSA Scheme have been recognized as utilized against proof of acknowledgement from consignee. As such, debit balances on account of utilization certificates received and material dispatched for distribution has been considered as utilization of grants and deducted from the grant and disclosed separately.

Contd..

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Contd..

NOTE 6 : OTHER CURRENT LIABILITIES

6.3	Advance from Customers include SSA authorities and other entities of the Central/State Governments for distribution of aids & appliance to Persons with disability at Camps to be held on date(s) and at place(s) on their instructions and in their supervision. The outstanding balance under the head include Rs 728.36 Lacs (Previous Year 380.11 Lacs) for period exceeding one year . Since received amounts are from the entities controlled/ governed by the Government with conditions of their utilisation, they are not deemed deposits within the meaning of Rule 2(c) read with Section 2(31) of the Companies Act,2013.
6.4	In accordance to the ADIP Scheme of Government of India, a loan for Rs 4300.00 Lacs (PY Rs 2163.13 Lacs) was taken by the corporation and receipt of such loan, which has been repaid from the ADIP funds released in the financial year 2017-18, has been considered as receipts against the receivable Grant-in-aid to be released by Ministry and has been disclosed as current liability accordingly. Considering this as Secured Loan would have resulted in negative balance in the Other Current Liability under the head "UNUTILIZED GOVERNMENT GRANTS" which is against the ADIP SCheme.
6.5	Balances under Security Deposit, Earnest Money Deposits, Advance from Customers and under various parties account are subject to confirmation.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 7 : अल्पावधि प्रावधान

(रू लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
(अ)	कर्मचारियों के लाभों के लिये प्रावधान		
(i)	ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	64.59	0.00
(ii)	संशोधित बकाया के भुगतान के लिए प्रावधान	151.90	0.00
(iii)	पी आर पी के लिये प्रावधान	503.34	441.12
	कुल (अ)	719.83	441.12
(ब)	व्यय हेतु प्रावधान		
(i)	शिविर आदि हेतु प्रावधान सामग्री हेतु	388.57	391.43
	कुल (ब)	388.57	391.43
	कुल (अ+ब)	1,108.40	832.55

7.1 1.4.2007 से 31.3.2017 तक कर पूर्व अधिकतम 5% लाभ के अधीन वर्तमान कर पूर्व लाभ 3%+ वृद्धि लाभ का 10% की गणना के आधार पर कुल 751.14 लाख (503.96 लाख रूपये) का प्रावधान, बोर्ड स्तर, बोर्ड स्तर से नीचे अधिकारियों तथा गैर–संघीय सुपर वाइज्यरों के वेतनमान के संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में डीपीई का ज्ञा.सं.–2 (70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल–XVI/2008, तारीख 26.11.2008, 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल–IV/2009, तारीख 9.2.2009 तथा 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल–VII/2009, में निहित डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार निष्पादन संबंधी वेतनमान के लिए, किये गये है।

उपर्युक्त कुल प्रावधान में से, 62.84 लाख रुपये की पीआरपी प्रावधान वित्त वर्ष 2014–15 के लिए किया गया तथा 119.59 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु प्रदान कर दिये गये है और 2015–16 हेतु किये गये प्रावधान से 65.37 लाख रुपये उपर्युक्त वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु उपर्युक्त कुल प्रावधानों में से 62.84 लाख रूपये के पीआरपी प्रावधान का वितरण कर दिया गया हैं। वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2013–14 के संबंध में 256.16 लाख रूपये के शेष प्रावधान हेतु, बोर्ड ने, प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन लेने के बाद, इसका भुगतान करने का निर्णय लिया है। 247.18 लाख रुपये के प्रावधान में से, 2016–17 हेतु एमओयू रेटिंग तथा पारिश्रमिक समिति के अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भुगतान किया जायेगा तथा

7.2 सांतवें वेतन संशोधन की अनुशांसाओं को ध्यान में रखते हुए, विचाराधीन वित्त वर्ष में 3 महीनों हेतु 151.90 लाख रुपये को तदर्थ प्रावधान किया गया है तथा उसे वेतन एवं मजदूरी में शामिल किया गया है। ये प्रावधान अध्यधीय निर्देशों के जारी होने के बाद ही कार्यान्वयन हेतु देय है।

7.3 परिवर्तन हेतु भौतिक प्रावधान के लिए पिछले वर्ष सृजित प्रावधान के ध्यान में रखते हुए निगम ने ऐसे प्रावधान के आधार की समीक्षा की हैं तथा प्रबंधन यह समझता है कि उत्पाद अभी तक बाजार निर्धारण स्तर में हैं तथा आवश्यक सुधारों का होना हैं और इसलिए आगामी वर्ष 2017–18 में परिवर्तनों की भी आवश्यकता होगी। तदानुसार, 388.57 लाख रुपये के प्रावधान (पूर्व वर्ष में 391.43 लाख रुपये), जो पहले वर्षों से तदर्थ आधार पर चले आ रहे है, को उचित पाया गया है।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 7 : SHORT TERM PROVISIONS

(RS. IN LACS)

S. NO.	Particulars	AS AT 31ST MARCH 2017	AS AT 31ST MARCH 2016
(A)	PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFITS		
(i)	Provision for gratuity & leave encashment	64.59	0.00
(ii)	Provision for pay revision arrears	151.90	0.00
(iii)	Provision for PRP	503.34	441.12
	TOTAL (A)	719.83	441.12
(B)	PROVISION FOR EXPENSES		
(i)	Towards Material provisioned for Camps etc.	388.57	391.43
	TOTAL (B)	388.57	391.43
	TOTAL (A) + (B)	1,108.40	832.55

7.1 A total provision of Rs. 751.14 Lacs (till previous year Rs. 503.96 Lacs) calculated @ 3% of Current Profit Before Tax + 10% of incremental profit subject to maximum of 5% of Profit Before Tax from 01.04.2007 till 31.03.2017 has been made towards Performance Related Pay as per DPE Guidelines contained in DPE OM No. 2(70)/08-DPE (WC) GL-XVI/2008 dated 26th Nov.2008, 2(70)/08-DPE(WC) GL-IV/2009 dated 09th February 2009 and 2(70)/08-DPE (WC) GL-VII/2009 Dated 02nd April 2009 relating to implementation of Revision of Pay Scales of Board Level, Below Board Level executives and Non-Unionized Supervisors.

Out of the above total provision,PRP provision of Rs 62.84 Lacs made for the financial year 2014-15 and Rs 119.59 Lacs for the financial year 2015-16 has been paid and Rs 65.37 Lacs from the provision made in 2015-16 has been written back during the current financial year leaving a provision of Rs 503.34 Lacs as shown above. Out of the above provision Rs 256.16 Lacs relates to Financial Year 2007-08 to 2013-14 and Rs 247.18 Lacs (PY Rs 184.96 Lacs) relates to financial year 2016-17. For old balance of Rs 256.16 Lacs , the Board has decided to pay the same after taking necessary approval of administrative Ministry and out of the provision of Rs 247.18 Lacs , the payment shall be made after receipt of MOU rating for 2016-17 and after approval of approval of remuneration committee.

7.2 In view of the 7th pay revision recommendations , an adhoc provision of Rs 151.90 Lacs for 3 months in the financial year under consideration has been made and included in Salaries & Wages. These provisions are payable after issue of the Presidential Directives for implementation.

7.3 In view of the provision created last year for material provisioned for replacement, the corporation has reviewed the basis of such provision and management feels that the products are still in the market assessment stage and necessary improvements are also being effected and therefore replacements in the ensuing year 2017-18 would also be required. Accordingly provision of Rs 388.57 Lacs (PY Rs 391.43 Lacs) made on adhoc basis continuing from the earlier year has been considered as appropriate.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 8 : अचल सम्पत्ति

(रू लाख में)

अ.	मूर्त सम्पत्ति	सकल सम्पत्ति					
		31 मार्च 2016 को	परिवर्धन	निपटान समायोजन	उधार की लागत का पूंजीकरण	अन्य समायोजन	31 मार्च 2017 को
(ए)	**भूमि**						
	(कर मुक्त)						
	भूमि और विकसित भूमि	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	30.73
	सड़क, पुल, जल निकासी, एवं पानी की आपूर्ति	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	84.65
	पट्टे पर						
	पट्टे की भूमि कानपुर और एपीसीज	87.80	3.59	0.00	0.00	0.00	91.39
(बी)	**भवन**						
	स्वयं के उपयोग हेतु भवन	1,144.23	33.87	0.00	0.00	0.00	1,178.10
(सी)	**संयंत्र और उपकरण**						
	स्वामित्व वाले	344.36	812.65	0.00	0.00	0.00	1,157.01
	सामान्य संयंत्र	278.51	13.07	0.00	0.00	0.00	291.58
	विद्युती संयंत्र एवं उपकरण	360.44	3.00	0.00	0.00	0.00	363.44
	संयंत्र औजार	293.89	0.30	0.00	0.00	0.00	294.19
	डाई सांचे	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
	नमूने और पैटर्न	65.00	2.43	0.00	0.00	0.00	67.43
	सेवा संचय उपकरण						
(डी)	**फर्नीचर और फिक्चर्स**						
	स्वामित्व वाले						
	फर्नीचर और फिक्चर्स	68.32	47.58	0.00	0.00	0.00	115.90
(ई)	**वाहनों**						
	स्वामित्व वाले	38.90	22.74	4.41	0.00	0.00	57.23
(एफ)	**कार्यालय उपकरण**						
	स्वामित्व वाले						
	अस्पताल प्रशिक्षण एवं उपकरण	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
	कार्यालय उपकरण एवं वातानुकूलन यंत्र	87.98	38.20	3.34	0.00	0.00	122.84
	कैन्टीन उपकरण	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
(जी)	**किताबें**						
	स्वामित्व वाले	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
(एच)	**कम्प्यूटर**						
	स्वामित्व वाले	229.81	22.11	0.00	0.00	0.00	251.92
	योग	3,124.35	999.54	10.33	0.00	0.00	4,113.56
	पिछले वर्ष	3,229.64	66.97	172.26	0.00	0.00	3,124.35

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 8 : FIXED ASSETS

(RS. IN LACS)

A.	TANGIBLE ASSETS	GROSS BLOCK					
		AS AT 31ST MARCH'2016	ADDITIONS	DISPOSAL/ ADJUSTMENT	BORROWING COST CAPITALIZED	OTHER ADJUSTMENT	AS AT 31ST MARCH'2017
(a)	**LAND**						
	Freehold :						
	Land & Land Development	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	30.73
	Road ,Bridges,Drainage & Water Supply	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	84.65
	Leasehold :						
	Leasehold Land Kanpur & APCs	87.80	3.59	0.00	0.00	0.00	91.39
(b)	**BUILDINGS**						
	Own use						
	Building	1,144.23	33.87	0.00	0.00	0.00	1,178.10
(c)	**PLANT AND EQUIPMENT**						
	Owned						
	General Machinery	344.36	812.65	0.00	0.00	0.00	1,157.01
	Electrical Machinery & Equipment	278.51	13.07	0.00	0.00	0.00	291.58
	Machine Tools	360.44	3.00	0.00	0.00	0.00	363.44
	Dies,Jigs & Fixtures	293.89	0.30	0.00	0.00	0.00	294.19
	Samples & Patterns	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
	Utility and Service Equipment	65.00	2.43	0.00	0.00	0.00	67.43
(d)	**FURNITURE & FIXTURES**						
	Owned						
	Furniture & Fixtures	68.32	47.58	0.00	0.00	0.00	115.90
(e)	**VEHICLES**						
	Owned	38.90	22.74	4.41	0.00	0.00	57.23
(f)	**OFFICE EQUIPMENT**						
	Owned						
	Hospital Training & Equipment	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
	Office Equipment & Air Conditioners	87.98	38.20	3.34	0.00	0.00	122.84
	Canteen Appliances	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
(g)	**BOOKS**						
	Owned	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
(h)	**COMPUTERS**						
	Owned	229.81	22.11	0.00	0.00	0.00	251.92
	TOTAL	3,124.35	999.54	10.33	0.00	0.00	4,113.56
	PREVIOUS YEAR	3,229.64	66.97	172.26	0.00	0.00	3,124.35

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 8 : अचल सम्पत्ति क्रमशः (रू लाख में)

		एकीकृत मूल्यह्रास और हानि					शुद्ध कुल सम्पत्ति	
क्र.	मूर्त सम्पत्ति	31 मार्च 2016 के अनुसार	बीते हुए वर्ष के लिए मूल्यह्रास परिशोधन व्यय	वर्ष के लिए मूल्यह्रास परिशोधन व्यय	सम्पत्ति के निपटान/ सम्पत्ति का समायोजन	31 मार्च 2017 के अनुसार	31 मार्च 2017 के अनुसार	31 मार्च 2016 के अनुसार
(ए)	**भूमि** **(कर मुक्त)**							
	भूमि और विकसित भूमि	1.26	0.00	0.63	0.00	1.89	28.84	29.47
	सड़क, पुल, जल निकासी, एवं पानी की आपूर्ति	80.34	0.00	0.01	0.00	80.35	4.30	4.31
	पट्टे पर							
	पट्टे की भूमि कानपुर और एपीसीज	14.89	0.00	2.04	0.00	16.93	74.46	72.91
(बी)	**भवन**							
	स्वयं के उपयोग हेतु	400.64	0.00	35.20	0.00	435.84	742.26	743.59
(सी)	**संयंत्र और उपकरण**							
	स्वामित्व वाले							
	सामान्य संयंत्र	237.49	0.00	17.72	0.00	255.21	901.80	106.87
	विद्युती संयंत्र एवं उपकरण	234.63	0.00	5.93	0.00	240.56	51.02	43.88
	सर्वत्र औजार	270.05	0.00	13.25	0.00	283.30	80.14	90.39
	साई सांचे	264.74	0.00	3.64	0.00	268.38	25.81	29.15
	नमूने और पैटर्न	3.06	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00
	सेवा संचय उपकरण	53.47	0.00	2.64	0.00	56.11	11.32	11.53
(डी)	**फर्नीचर और फिक्चर्स**							
	स्वामित्व वाले							
	फर्नीचर और फिक्चर्स	47.96	0.00	3.10	0.00	51.06	64.84	20.36
(ई)	**वाहनों**							
	स्वामित्व वाले	34.05	0.00	1.52	4.40	31.17	26.06	4.85
(एफ)	**कार्यालय उपकरण**							
	स्वामित्व वाले							
	अस्पताल प्रशिक्षण एवं उपकरण	2.33	0.00	0.03	0.00	2.36	0.12	0.15
	कार्यालय उपकरण एवं वातानुकूलन यंत्र	66.12	0.00	9.87	3.18	72.81	50.03	21.86
	कैन्टीन उपकरण	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.01	0.01
(जी)	**किताबें**							
	स्वामित्व वाले	2.58	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
(एच)	**कम्प्यूटर**							
	स्वामित्व वाले	188.36	0.00	25.30	0.00	213.66	38.26	41.45
	योग	1,903.57	0.00	120.88	10.16	2,014.29	2,099.27	1,220.78
	पूर्व वर्ष	1,809.48	0.00	110.39	16.30	1,903.57	1,220.78	

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 8 : FIXED ASSETS -Contd.. (RS. IN LACS)

		ACCUMULATED DEPRECIATION & IMPAIRMENT					NET BLOCK	
B.	TANGIBLE ASSETS	AS AT 31ST MARCH'2016	DEPRECIATION/ AMORTISATION EXPENSE ON THE EXPIRED LIFE	DEPRECIATION/ AMORTISATION EXPENSE FOR THE YEAR	ELIMINATED ON DISPOSAL OF ASSETS	AS AT 31ST MARCH'2017	AS AT 31ST MARCH'2017	AS AT 31ST MARCH'2016
(a)	**LAND**							
	Freehold :							
	Land & Land Development	1.26	0.00	0.63	0.00	1.89	28.84	29.47
	Road ,Bridges,Drainage & Water Supply	80.34	0.00	0.01	0.00	80.35	4.30	4.31
	Leasehold :							
	Leasehold Land Kanpur & APCs	14.89	0.00	2.04	0.00	16.93	74.46	72.91
(b)	**BUILDINGS**							
	Own use							
	Building	400.64	0.00	35.20	0.00	435.84	742.26	743.59
(c)	**PLANT AND EQUIPMENT**							
	Owned							
	General Machinery	237.49	0.00	17.72	0.00	255.21	901.80	106.87
	Electrical Machinery & Equipment	234.63	0.00	5.93	0.00	240.56	51.02	43.88
	Machine Tools	270.05	0.00	13.25	0.00	283.30	80.14	90.39
	Dies,Jigs & Fixtures	264.74	0.00	3.64	0.00	268.38	25.61	29.15
	Samples & Patterns	3.06	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00
	Utility and Service Equipment	53.47	0.00	2.64	0.00	56.11	11.32	11.53
(d)	**FURNITURE & FIXTURES**							
	Owned							
	Furniture & Fixtures	47.96	0.00	3.10	0.00	51.06	64.84	20.36
(e)	**VEHICLES**							
	Owned	34.05	0.00	1.52	4.40	31.17	26.06	4.85
(f)	**OFFICE EQUIPMENT**							
	Owned							
	Hospital Training & Equipment	2.33	0.00	0.03	0.00	2.36	0.12	0.15
	Office Equipment & Air Conditioners	66.12	0.00	9.87	3.18	72.81	50.03	21.86
	Canteen Appliances	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.01	0.01
(g)	**BOOKS**							
	Owned	2.58	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
(h)	**COMPUTERS**							
	Owned	188.36	0.00	25.30	0.00	213.66	38.26	41.45
	Total	1,903.57	0.00	120.88	10.16	2,014.29	2,099.27	1,220.78
	Previous year	1,809.48	0.00	110.39	16.30	1,903.57	1,220.78	

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 8 : अचल सम्पत्ति क्रमशः (रू लाख में)

स	अमूर्त सम्पत्ति	सकल योग					
		31 मार्च 2016 को	परिर्वधन	निपटान समायोजन	उधार की लागत का पूंजीकरण	अन्य समायोजन	31 मार्च 2017 को
ए.	अमूर्त सम्पत्ति	3.19	24.84	0.00	0.00	0.00	28.03
	योग	3.19	24.84	0.00	0.00	0.00	28.03
	गतवर्ष	13.30	0.00	10.11	0.00	0.00	3.19

द	अमूर्त सम्पत्ति	एकत्रित मूल्यह्रास और हानि					शुद्ध कुल सम्पत्ति	
		31 मार्च 2016 को	बीते हुए वर्ष के लिय मूल्य ह्रास परिशोधन व्यय	वर्ष के लिये मूल्य ह्रास परिशोधन व्यय	सम्पति के निपटान/सम्पति का समायोजन	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
ए.	अमूर्त सम्पत्ति	1.22	0.00	2.53	0.00	3.75	24.28	1.97
	योग	1.22	0.00	2.53	0.00	3.75	24.28	1.97
	गतवर्ष	2.09	0.00	0.61	1.48	1.22	1.97	

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 8 : FIXED ASSETS -Contd., (RS. IN LACS)

C.	INTANGIBLE ASSETS	GROSS BLOCK					
		AS AT 31ST MARCH'2016	ADDITIONS	DISPOSAL/ ADJUSTMENT	BORROWING COST CAPITALIZED	OTHER ADJUSTMENT	AS AT 31ST MARCH'2017
(a)	Intangible Assets	3.19	24.84	0.00	0.00	0.00	28.03
	Total	3.19	24.84	0.00	0.00	0.00	28.03
	Previous year	13.30	0.00	10.11	0.00	0.00	3.19

D.	INTANGIBLE ASSETS	ACCUMULATED DEPRECIATION & IMPAIRMENT					NET BLOCK	
		AS AT 31ST MARCH'2016	DEPRECIATION/ AMORTISATION EXPENSE ON THE EXPIRED LIFE	DEPRECIATION/ AMORTISATION EXPENSE FOR THE YEAR	ELIMINATED ON DISPOSAL OF ASSETS	AS AT 31ST MARCH'2017	AS AT 31ST MARCH'2017	AS AT 31ST MARCH'2016
(a)	Intangible Assets	1.22	0.00	2.53	0.00	3.75	24.28	1.97
	Total	1.22	0.00	2.53	0.00	3.75	24.28	1.97
	Previous year	2.09	0.00	0.61	1.48	1.22	1.97	

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 8 : अचल सम्पत्ति क्रमशः

8.1 भूमि और भवन :

8.1.1 कानपुर

आई.आई.टी. कानपुर ने वर्ष 1974 में निगम को 44 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की थी। आई.आई.टी. कानपुर ने वर्ष 1999 में निगम के पक्ष में एक अपंजीकृत पट्टा 60 वर्ष के लिए किया था जो कि 2034 में समाप्त होगा। इस कीमत को 1/– रूपये के नाम मात्रेण मूल्य पर लेखा पुस्तको के पूँजीकोष में जमा करते हुए दर्शाया गया है। निगम द्वारा वर्ष 31.07.2011 तक की अवधि के पट्टे का किराया आई.आई.टी. कानपुर को अग्रिम रूप में भुगतान कर दिया गया है और रू0 5672/– का प्रावधान 31.03.2017 तक लेखा पुस्तकों में किया गया है। प्रदत्त पट्टा किराये का भुगतान 2017–18 में किया गया है।

8.1.2 सहायक उत्पादन केंद्र–बैंगलूरू

अ) निगम के स्वानित्व में कुल 6 एकड़ 38.3 गुन्टाज जमीन में से 3 एकड़ भूमि का आवंटन निदेशक (पिछड़ी जाति) के माध्यम से भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2001 में निगम को आवंटित किया था। उक्त भूमि के लिए निगम ने कोई भुगतान नहीं किया था। इसे 1.00 रूपये के नाम मात्रेण मूल्य पर लेखा पुस्तको के पूँजीकोष में जमा करते हुए दर्शाया गया है।

बी) कारखाना भवन के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिएनिगम ने सम्पूर्ण भूमि 6 एकड़ 38.3 गुन्टाज पर वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक का भूमि बेटरमेंट चार्ज व सम्पत्ति कर जमा कर दिया था। रूपये 38.73 लाख की कुल राशि में से रूपये 16.68 लाख (रूपये 16.68 लाख), जोनिगमको आवंटित भूमि का बेटरमेंट चार्ज और सम्पत्ति कर बनता है उसे स्थाई सम्पत्ति के अन्तर्गत भूमि विकास खाते में दर्शाया गया है और निगम की स्वामित्व वाली अतिरिक्त भूमि के लिए जमा किये गये रूपये 22.05 लाख (रूपये 22.05 लाख) को ऋण अग्रिम खाते में दर्शाया गया

सी) वर्ष 2004–05 से 2016–17 तक के लिए नगर महापालिका कर अथवा अन्य चार्ज, यदि कोई देय है, तो उसका प्रावधान नही किया गया है क्योंकि निगम से इसकी मांग नहीं की गई है।

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE : 8 FIXED ASSETS-Contd.

8.1 LAND & BUILDINGS :

8.1.1 KANPUR

The corporation was allotted land measuring 44 acres by Indian Institute of Technology, Kanpur in the year 1974 free of cost. In the year 1999, a unregistered lease deed in favour of the corporation was executed by IIT Kanpur for a period of 60 years expiring in the year 2034. Value of the same has been disclosed in books of account at a nominal value of Rs. 1/- by crediting equal amount to Capital Reserve Account. Lease rent for 31.7.2011 has been paid and provision of Rs 5672/- for period upto 31.3.2017 has been made in the books of accounts. The Lease Rent provided has been paid in 2017-18.

8.1.2AUXILIARY PRODUCTION CENTRE - BENGALURU

a) Out of total land area of 6 acres 38.3 guntas in possession of the corporation, land measuring 3 acres was allotted to the corporation in the year 2001 by Government of India through Director (Backward Classes), Ministry of Social Justice & Empowerment. The Corporation has not paid any amount against the allotment of above land. The same has been disclosed in books of account at a nominal value of Rs. 1.00 by crediting equal amount to Capital Reserve Account.

b) In order to facilitate the construction of factory building, the corporation had deposited land Betterment charges & Property tax for the years 2001-02 to 2003-04 for the entire area of land measuring 6 acres 38.3 guntas. Out of total amount of Rs. 38.73 lacs, Rs. 16.68 lacs (Rs. 16.68 lacs) being betterment charges and property tax relating to land allotted to the corporation has been shown under the head Fixed Assets – Development of Land and balance amount of Rs. 22.05 lacs (Rs.22.05 lacs) paid in respect of excess area of land in possession of the corporation has been shown under the head Loans and Advances.

c) No provision for taxes and other charges payable, if any, has been made for the years 2004-05 to 2016-17 since no demand has been raised against the corporation. Property Taxes are not payable by Government entity in view of Article 285 of the constitution.

8.1.3 सहायक उत्पादन केंद्र–चनालौन

प्रारंभिक स्तर पर, वर्ष 2005 में, पंजाब लघु उद्योग और निर्यातनिगम लिमिटेड द्वारा निगम को फोकल प्वाइंट, चनालोन में 12505.50 वर्ग गज भूमि आवंटित की गई थी। निगम ने 11836.42 वर्ग गज भूमि का वास्तविक स्वामित्व ग्रहण किया था। भूमि की कीमत हेतु रूपये 28.14 लाख (रूपये 28.14 लाख) भुगतान किये गये जिसे द्यस्थाई परिसम्पत्तियों में पट्टे पर भूमि के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

8.1.4 सहायक उत्पादन केंद्र– गुवाहटी

वर्ष 2007 में कामरूप जिले के उपायुक्त द्वारा निगम को 12 बीघ भूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि हेतु निगम द्वारा रूपये 3.62 लाख (रूपये 3.62 लाख) रूपये बतौर किस्त भुगतान किए गए। यद्यपि निगम के नाम टाइटिल/पट्टे के अधिकार का पंजीकरण होना अभी शेष है, परन्तु चूँकि निगम ने भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है अतः इसे 'स्थाई परिसम्पत्तियों' के अन्तर्गत दर्शाया गया है। पट्टे का किराया 2016–17 वर्ष तक रू0 675/– लेखा पुस्तकों में ले लिया गया है।

8.1.5 सहायक उत्पादन केंद्र–कैमूर

वर्ष 2009 में जिला कलेक्टर कैमूर द्वारा निगम को 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। निगम द्वारा इस भूमि के 30 वर्ष के पट्टे जो कि वर्ष 2039 में समाप्त हो रहा है, हेतु रूपये 3.59 लाख (रूपये 3.59 लाख) की किस्त का भुगतान किया है निगम के नाम टाइटिल/पट्टे के अधिकार का पंजीकरण होना अभी शेष है, परन्तु उक्त भूनि का कब्जा निगम के पास है। दी गई किस्त कोप्रगति पर पूंजीगत कार्य के अन्तर्गत दर्शाया गया है। इस वित्त वर्ष की लेखा बहियों में 3.59 लाख रुपये की राशि को पूंजीकृत किया गया हैं। कब्जे की तारीख अर्थात् 17.2.2009 से 31.3.2017 तक के लिए 16000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से कुल राशि 1.30 लाख रूपये के पट्टा किराये का प्रावधान लेखा बहियों में किया गया हैं।

8.1.6 सहायक उत्पादन केंद्र– भुवनेश्वर

निगम के दो अलग अलग भूखंडों 14–सी और एस3/66 होने वर्ष1999 में उड़ीसा औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम, भुवनेश्वर से 2.30 एकड़ जमीन acerca मापने जमीन आवंटित की गई थी। राशि 16.62 लाख (रु। 16.62 लाख) 14–सी के लिए दिया गया है,

इसके अलावा प्लॉट एस–3/66में अधिग्रहण कर लिया था, जो एक अलग पट्टे की पकड़ भूमि के लिए साल 2077. में

8.1.3 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE - CHANALON

The corporation was initially allotted land measuring 12505.50 sq. yards at Focal Point, Chanalon by Punjab Small Industries and Export Corporation Limited in the year 2005. The corporation took over possession of actual land area measuring 11836.42 sq. yards. Cost of land paid amounting to Rs. 28.14 lacs (Rs. 28.14 lacs) has been capitalized under the head Fixed Assets – Lease Hold Land .

8.1.4 ALIMCO OUTREACH CENTRE GUWAHATI

The corporation was allotted land measuring 12 Bighas by Deputy Commissioner, Kamrup District in the year 2007. A sum of Rs. 3.62 lacs (Rs. 3.62 lacs) has been paid by the corporation as premium of said land .Though the title/lease hold rights of the said land are yet to be registered in the name of the corporation, the said land has been capitalized under the head Fixed Assets as possession of the same has been taken over by the corporation. Lease rent upto 2016-17 amounting to Rs 675/- has been provided in the books of accounts.

8.1.5 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE, KAIMUR

The corporation was allotted land measuring 2 acres by District Collector, KAIMUR in the year 2009. A sum of Rs. 3.59 lacs (Rs. 3.59 lacs) has been paid by the corporation as premium for 30 years of lease of said land expiring in the year 2039.Though the title/lease hold rights of the said land are yet to be transferred in the name of the corporation. However, since the possession of the same is with the corporation, the sum of Rs 3.59 Lacs has been capitalized in the books of accounts this financial year. Provision for LeaseRent @ Rs 16000.00 per annum from the date of possession i.e. 17.2.2009 to 31.3.2017 amounting to Rs 1.30 Lacs has been provided in the books of accounts.

8.1.6 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE, BHUBANESHWAR

The corporation was allotted land measuring about 2.30 acres by Orissa Industrial Infrastructure Development Corporation, Bhubaneshwar in the year 1999 having two different plots 14-C and S-3/66. A sum of Rs. 16.62 lacs (Rs. 16.62 lacs) for 14-C has been paid by the corporation as premium for 78 years of lease of said land expiring in the year 2077. For a separate lease hold land which was

अवसान हो रहा है भूमि की लीज 78 साल के लिए प्रीमियम के रूप में निगम द्वारा भुगतान रुपये 12.05 लाख रुपए (12. 05 लाख) की राशि–कर दिया गया है 90 साल के लिए प्रीमियम के रूप में भुगतान किया। इसका पूँजीकरण दृढ़ सम्पत्तियों के शीर्ष के अधीन यथा पट्टा भूमि में कर लिया गया है। पट्टा अवधि के ह्रास होने से पट्टा प्रीमियम घट्ता जायेगा।

इसके अतिरिक्त, महिला विकास समाब्या निगम, भुवनेश्वर द्वाराउड़ीसा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश के अनुसार निगम को रु. 20.12 लाख (रू. 20.12 लाख) के भुगतान करने पर शेड संख्या एस–3/84 एवं एस–3/85 हस्तांतरित किये थे। इसे 'स्थाई परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत पट्टे पर भूमि में दर्शाया गया है यद्यपि इसका प्राधिकता प्रमाण पत्र निगम के पक्ष में अभी हस्तांतरित होना शेष है। भुगतान 90 साल के लिए परिशोधित किया गया है।

8.1.7 सहायक उत्पादन केंद्र–जबलपुर

वर्ष 2000 में मुख्य प्रबन्धक जिला ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्रीज सेन्टर,जबलपुर के माध्यम से मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा निगम को 3. 31 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। निगम द्वारा इस भूमि के 99 वर्ष के पट्टे जो कि वर्ष 2099 में समाप्त हो रहा है, हेतु रूपये 6.20 लाख (रूपये 6.20 लाख) की किस्त का भुगतान किया है। इसे 'स्थाई परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत पट्टे पर भूमि में दर्शाया गया है। दिये गये पट्टे किस्त को पट्टे की अवधि में ह्रास के रूप में अपलिखित किया जा रहा है।

8.1.8 उज्जैन परियोजना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की सलाह पर निगम के पक्ष में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 1 रुपये के मूल्य पर चिर स्थाई पट्टा विलेख 20 जनवरी, 2016 को कर दिया था। इसे लेखा बहियों में सामान्य मूल्य 1 रुपये दिखाया गया है। 2016–17 हेतु 1.00 रुपये के पट्टे किराये का लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

8.2 अन्य स्थिर सम्पत्ति

प्रबन्धन ने प्रधान कार्यालय और विभिन्न इकाइयो में स्थित स्थाई परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए कदम उठाया है। एएपीसी चनालोन का भौतिक सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है एवं इसमें कोई कमी नहीं पाई गयी है। भौतिक सत्यापन पर पाई जाने वाली त्रुटि को, यदि कोई है तो, उसे जब त्रुटि पाई जायेगी तब समायोजित किया जायेगा।

also acquired in Plot S-3/66, a sum of Rs 12.05 Lacs (Rs 12.05 Lacs) has been paid as premium for 90 years. The same has been capitalized under the head Fixed Assets as lease hold land. Lease premium is being amortized over the lease period as depreciation.

In addition to above, shed nos. S-3/84 & S-3/85 were handed over to the corporation by Mahila Vikas Samabaya Nigam, Bhubaneshwar on payment of Rs. 20.12 lacs (Rs. 20.12 lacs) as per the order of Department of Women and Child Welfare, government of Orissa. The said sum has been disclosed under the head Fixed Assets – Lease Hold Land. Although title of the same is yet to be transferred in favor of the corporation, the payment has been amortised for 90 years.

8.1.7 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE, JABALPUR

The corporation was allotted land measuring 3.31 acres by Governor of Madhya Pradesh through Chief General Manager, District Trade & Industries Centre, Jabalpur in the year 2000. A sum of Rs. 6.20 lacs (Rs. 6.20 lacs) has been paid by the corporation as premium for 99 years of lease of said land expiring in the year 2099. The same has been capitalized under the head Fixed Assets as lease hold land. Lease premium is being amortized over the lease period as depreciation.

8.1.8 UJJAIN PROJECT

A perpetual lease deed dated 20th January 2016 on the advise of Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India at a nominal value of Re 1 has been executed by Madhya Pradesh State Government in favour of corporation. The same has been disclosed in books of account at a nominal value of Rs. 1.00. Lease Rental of Rs 1.00 for 2016-17 has been provided for in the books of accounts.

8.2 OTHER FIXED ASSETS :

The Fixed Asset Register is in the process of updation; Management has planned to take up steps for physical verification of fixed assets lying at its head office and different units. Physical verification of AAPCs has been verified by the management and no discrepancy found. Discrepancies, if any, on physical verification shall be adjusted as and when identified.

8.3 अनुपयोगी सम्पत्ति : एस–28

प्रबन्धन के निर्धारण के अनुसार ऐसा संकेत नहीं है कि तुलन पत्र की तिथि को किसी भी परिसम्पति में क्षति हुई है। प्रबन्धन के आंकलन के अनुसार तुलन पत्र के बनने तक अनुपयोगी सम्पत्ति के लिये निगम पर एक अप्रचलन या सम्पत्ति की भौतिक क्षति या महत्वपूर्ण के साथ प्रतिकूल प्रभाव का कोई भी संकेत नहीं है और न ही कोई प्रमाण उपलब्ध है। आंतरिक सूचना के द्वारा अवधि के दौरान स्तीन लिया गया और न ही निकट भविष्य में जगह लेने की उम्मीद है। इससे यह इंगित होता है कि किसी सम्पत्ति का निष्पादन है या उम्मीद से खराब होगा।

8.4 कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्य ह्रास

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची दो में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रमाणित किया गया है। व्यक्तिगत सम्पत्तियों ओर अमूर्त सम्पत्तियों के उपयोगी जीवन, मृतजीवन और शेष जीवन का 5 वर्ष उपयोगी जीवन के आधार पर विचार किया गया है।

पट्टा युक्त भूमियों तथा भूमि विकास प्रभारों को, बैंगलुरू के सिवाय जहाँ भूमि विकास प्रभारों को पट्टा अवधि हेतु परिशोधन नहीं किया गया है, शेष पट्टा अवधि के आधार पर परिशोधत किया गया है।

8.3 IMPAIRMENT OF ASSETS : AS - 28

As per assessment of the management there is neither any indication that any asset has impaired as on the Balance Sheet date nor any evidence is available of obsolescence or physical damage of an asset or significant change with an adverse effect on the Corporation have taken place during the period or are expected to take place in near future nor evidence available from internal reporting that indicates that the economic performance of an asset is, or will be, worse than expected.

8.4 DEPRECIATION AS PER SCHEDULE II OF COMPANIES ACT, 2013

Depreciation from the financial year 2014-15 onwards has been charged as prescribed by Schedule II of the Companies Act,2013 considering the useful life, expired life and residual life of individual assets. Intangible assets have been amortised on the basis of useful life of 5 years.

The Lease Hold Lands and Land Development charges are being amortised on the basis of balance lease period except for Bangalore where Land development Charges for want of lease period was not amortised.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 9 : दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम (रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
(क)	पूंजी अग्रिम		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.00	0.00
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	927.43	874.86
	संदेह जनक	0.00	0.00
		927.43	874.86
	घटाएं: संदेह जनक जमाओं हेतु प्रावधान	0.00	0.00
		927.43	874.86
		927.43	874.86

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 9 - LONG TERM LOANS AND ADVANCES

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2017	AS AT 31ST MARCH 2016
(a)	Capital advances		
	Secured, considered good	0.00	0.00
	Unsecured, considered good	927.43	874.86
	Doubtful	0.00	0.00
		927.43	874.86
	Less: Provision for doubtful deposits	0.00	0.00
		927.43	874.86
	TOTAL	927.43	874.86

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 10 : रहतिया

(लेखों का नीतियों में प्रकटीकरण के अनुसार महत्वपूर्ण नोट नं. 20)

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
(ए)	कच्चा माल	1,317.97	1,262.09
	जाँच के अधीन	301.73	98.10
	माल–पारगमन में	0.00	0.00
		1,619.70	**1,360.19**
	घटाया : धीमी गति/बिना गति की रहतिया के लिये प्रावधान	94.24	68.68
		1,525.46	**1,291.51**
(बी)	कार्य में प्रगति	282.81	291.97
	माल–पारगमन में	0.00	0.00
		282.81	**291.97**
(सी)	निर्मित माल	2,352.09	1,957.11
	ऋण पर/वापसी योग्य	2.02	3.21
	माल–पारगमन में	51.42	10.84
		2,405.53	**1,971.16**
	घटाया : धीमी गति/बिना गति के रहतिया के लिये प्रावधान	72.85	58.22
		2,332.68	**1,912.94**
(डी)	फेब्रीकेटिंग मद	0.68	0.00
(ई)	रद्दी	15.56	7.73
	माल–पारगमन में	0.00	0.00
		15.56	**7.73**
(एफ)	भंडार एवं पुर्जे	134.32	148.31
	माल–पारगमन में	0.00	0.00
		134.32	**148.31**
	घटाया : धीमी गति/बिना गति के रहतिया के लिये प्रावधान	10.07	14.10
		124.25	**134.21**
(जी)	फुटकर औजार	18.66	18.89
	माल–पारगमन में	0.00	0.00
		18.66	**18.89**
	योग	**4,300.10**	**3,657.25**

नोट : काम में प्रगति की रहतिया का विवरण

(रू लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
कृत्रिम अंग, यंत्र एवं उपकरण	**282.81**	**291.97**
योग	**282.81**	**291.97**

10.1 कच्चा माल, फुटकर टूल्स, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे, तैयार माल, निर्माणाधीन माल तथा स्क्रैप का रहतिया भण्डार अंकेक्षक एवं प्रबन्धन द्वारा निगम की पालिसी के अनुसार मूल्यांकित है। परन्तु निगम द्वारा पूर्व 3 वर्षों में न चलायमान और कम चलायमान रहतिया हेतु रू. 177.16 लाख (रु0 141.00 लाख) का प्रावधान बट्टे खाते में किया गया है। रहतिया के उपयोग के लिए जिसमें विक्रय योग न चलायमान रहतिया शामिल है जो कि उचित छूट और वैकल्पित उपयोग हेतु आंतरिक निर्धारण करना प्रस्तावित है।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 10 : INVENTORIES

(Valued as per disclosure in Accounting Policies Note No. 20) (RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2017	AS AT 31ST MARCH 2016
(a)	Raw Materials	1,317.97	1,262.09
	Under Inspection	301.73	98.10
	Goods-in-transit	0.00	0.00
		1,619.70	**1,360.19**
	Less : Provision for Slow Moving/Non Moving Inventories	94.24	68.68
		1,525.46	**1,291.51**
(b)	Work-in-Progress	282.81	291.97
	Goods-in-transit	0.00	0.00
		282.81	**291.97**
(c)	Finished Goods	2,352.09	1,957.11
	On Loan/ Returnable basis	2.02	3.21
	Goods-in-transit	51.42	10.84
		2,405.53	**1,971.16**
	Less : Provision for Slow Moving/Non Moving Inventories	72.85	58.22
		2,332.68	**1,912.94**
(d)	Fabricating Items	0.68	0.00
(e)	Scrap	15.56	7.73
	Goods-in-transit	0.00	0.00
		15.56	**7.73**
(f)	Stores and Spares	134.32	148.31
	Goods-in-transit	0.00	0.00
		134.32	**148.31**
	Less : Provision for Slow Moving/Non Moving Inventories	10.07	14.10
		124.25	**134.21**
(g)	Loose Tools	18.66	18.89
	Goods-in-transit	0.00	0.00
		18.66	**18.89**
	TOTAL	**4,300.10**	**3,657.25**

Note: Details of inventory of work-in-progress (RS. IN LACS)

PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2017	AS AT 31ST MARCH 2016
ARTIFICIAL LIMBS, AIDS AND APPLIANCES	**282.81**	**291.97**
TOTAL	**282.81**	**291.97**

10.1 Inventories of raw materials, loose tools, store and spare parts, finished goods, work in progress and scrap are as per inventory taken and certified by the stock auditors and valued by management as per corporation's accounting policy. For Non-moving and slow moving inventory for last three years, the Corporation has made a provision of Rs 177.16 Lacs (Rs 141.00 Lacs) towards redundancy. An internal assessment is being carried out for utilization of these inventory including selling the non moving stock at a reasonable discount and its alternative utilization.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 11 : व्यापारिक प्राप्तियाँ

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
1	भुगतान हेतु देय तारीख से 6 महीनों से अधिक अवधि हेतु बकाया व्यापारिक प्राप्तियाँ		
	प्रतिभूत, माने गये माल	0.00	0.00
	अप्रतिभूत, माने गये माल	398.10	538.83
	संदिग्ध	1,282.96	1,282.96
		1,681.06	**1,821.79**
	घटाया : संदिग्ध व्यापारिक प्राप्तियों के लिये प्रावधान	1,282.96	1,282.96
		398.10	**538.83**
2	**अन्य व्यापारिक प्राप्तियाँ**		
	प्रतिभूत, माने गये माल	0.00	0.00
	अप्रतिभूत, माने गये माल	879.64	478.98
	संदिग्ध	0.00	0.00
		879.64	**478.98**
	घटाया : संदिग्ध व्यापारिक प्राप्तियों के लिये प्रावधान		
		879.64	**478.98**
	योग	**1,277.44**	**1,017.81**
	नोट : ऋण बकाये सहित व्यापारिक प्राप्तियों के लिये प्रावधान		

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
(ए)	निदेशक	0.00	0.00
(बी)	संस्थान के अन्य अधिकारी	0.00	0.00
(सी)	संस्थान जिसमें कोई निदेशक भागीदार है (प्रति संस्थान का विवरण दें)	0.00	0.00
(डी)	व्यक्तिगत कम्पनियाँ जिसमें कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है (प्रति कम्पनी का विवरण दें)	0.00	0.00
	योग	**0.00**	**0.00**

11.1 प्रबंधन की राय में, 1282.96 लाख रुपये (1282.96 लाख रुपये) के अतिरिक्त ग्राहकों से प्राप्त राशियाँ वसूली हेतु अच्छी हैं। संबंधित कर्जदारों द्वारा शेष की पुष्टि न होने अथवा बजटीय मजबूती के कारण उनके सक्षम अधिकारियों के अनुमोदन की आवश्यकता हेतु भुगतान करने की उनकी असमर्थता के कारण तथा 5 वर्ष से अधिक समय से बकाया होने के कारण, उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।

11.2 संशोधित लेखांकन नीतियों के अनुसार वितरण के लिये भेजी गयी सामग्री के खाते में शेष जमा राशि रू0 6730.49 लाख (रू 11384.45 लाख) है और इसे अनुदान के उपयोग की तरह माना गया और अनुदान से कटौती की जाती है। और इस तरह के रूप में विविध देनदार के रूप में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

11.3 ग्राहकों से अधिशेष पुष्टिकरण के अधीन है। तथापि, अधिशेष का वसूली हेतु, नियमित पत्राचार किया जा रहा है।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 11 : TRADE RECEIVABLES

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2017	AS AT 31ST MARCH 2016
1	**Trade receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they were due for payment**		
	Secured, considered good	0.00	0.00
	Unsecured, considered good	398.10	538.83
	Doubtful	1,282.96	1,282.96
		1,681.06	**1,821.79**
	Less: Provision for doubtful trade receivables	1,282.96	1,282.96
		398.10	**538.83**
2	**Other Trade receivables**		
	Secured, considered good	0.00	0.00
	Unsecured, considered good	879.64	478.98
	Doubtful	0.00	0.00
		879.64	**478.98**
	Less: Provision for doubtful trade receivables		
		879.64	**478.98**
	TOTAL	**1,277.44**	**1,017.81**
	Note: Trade receivables include debts due from:		

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2017	AS AT 31ST MARCH 2016
(a)	Directors	0.00	0.00
(b)	Other officers of the Company	0.00	0.00
(c)	Firms in which any director is a partner (give details per firm)	0.00	0.00
(d)	Private companies in which any director is a director or member (give details per company)	0.00	0.00
	TOTAL	**0.00**	**0.00**

11.1 In the opinion of the management, the amounts receivable from customers are good for recovery except Rs 1282.96 Lacs (Rs. 1282.96 Lacs). Because of non-confirmation of balance by respective Debtors or their inability to pay for want of approval of their competent authority due to budgetory constraints and also because of outstanding being more than five years, suitable provisions have been made.

11.2 As per Revised Accounting Policies, debit balances amounting to Rs. 6730.49 Lacs (Rs 11384.45 Lacs) on account of materials dispatched for distribution has been considered as utilization of grants and has been deducted from the grant and as such have not been disclosed as sundry debtors.

11.3 Dues from customers are subject to confirmation. However, regular correspondences are being done to liquidate the dues.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 12 : नकद और नकद समकक्ष

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
(ए)	हाथ में रोकड़	3.42	6.57
(बी)	चेक, ड्राफ्ट हाथ में	0.00	0.00
(सी)	बैंको में शेष		
(i)	चालू खाते में	635.50	1,265.86
(ii)	बचत खाते में	4,693.76	3,414.99
(iii)	सावधि जमा खातों में		
(अ)	– आधुनिकीकरण व्यय की पूर्ति हेतु	12,309.00	-
(ब)	– उपर्युक्त के अलावा (नोट 12.2 एवं 12.3 देखें)	10,749.02	15,921.00
	योग	**28,390.70**	**20,608.42**
	उपरोक्त के तुलानात्मक मिलान की परिभाषा के नकद और नकद के समकक्ष के लिये एएस 3 नकद प्रवाह विवरण है।	28,390.70	20,608.42

12.1	12 माह से अधिक की परिपक्वता के साथ, बैंको के रू0 शून्य के जमा के साथ सावधि जमा।
12.2	उत्पाद अधिकारियों के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने हेतु 11.88 लाख रुपये (गतवर्ष 11 लाख रु.) की सावधि जमाएं बैंक के पास गिरवी रखे है।
12.3	सावधि जमा रु. 4977.42 लाख (गतवर्ष 2400.00 लाख रु.) मूल्य का बैंक के पास गिरवी रखा गया है, जिसके लिए निगम के एडिप सम्बन्धी कार्यों के लिए रु. 4300.00 लाख (गतवर्ष 2163.16 लाख रुपये) का ऋण लिया गया है।
12.4	बोर्ड ने 338.00 करोड़ रुपये की आधुनिकीकरण योजना को अनुमोदित किया है जिसमें से 200 करोड़ रुपये की राशि का वित्तपोषण मंत्रालय की ओर से तथा शेष राशि का वित्तपोषण आंतरिक रूप से व्यवस्था करके किया जाना है। चूंकि निगम ने 2016–17 में 14.91 करोड़ रुपये खर्च कर दिये है, 123.09 करोड़ रुपये की शेष निधि की एफडीआर्स को अलग कर दिया गया है और आधुनिकीकरण व्यय को पूरा करने के लिए एफडीआर्स के रूप में प्रकट कर दिया है। ऐसी एफडीआर्स पर प्रोद्भूत ब्याज को पूंजीकृत किया गया है तथा पूंजीगत रिजर्व सृजित किया गया है जिसे निगम के वित्तीय साधन के रूप में तथा आधुनिकीकरण योजना में आगे होने वाली बढ़ोत्तरी के लिए रखा जाएगा। आधुनिकीकरण परियोजना को पूरा होने पर उस रिजर्व में से अनप्रयुक्त राशि का वापस लौटाया जायेगा।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 12 CASH AND CASH EQUIVALENTS

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2017	AS AT 31ST MARCH 2016
(a)	Cash in hand	3.42	6.57
(b)	Cheques, drafts on hand	0.00	0.00
(c)	Balances with banks		
(i)	In current accounts	635.50	1,265.86
(ii)	In Saving Bank Accounts	4,693.76	3,414.99
(iii)	In Fixed deposit accounts -		
a	- for meeting modernization expenses	12,309.00	-
b	- other than above (Refer Note 12.2 & 12.3)	10,749.02	15,921.00
	TOTAL	**28,390.70**	**20,608.42**
	Of the above, the balances that meet the definition of Cash and cash equivalents as per AS 3 *Cash Flow Statements* is	28,390.70	20,608.42

12.1	Fixed Deposits with Banks include deposits of Rs. Nil (Rs. Nil) with maturity of more than 12 months.
12.2	Fixed Deposits worth Rs 11.88 Lacs (Previous Year Rs 11.00 Lacs) are pledged with bank for issuing guarantee in favour of the excise authorities.
12.3	Fixed Deposits worth Rs 4977.42 Lacs (PY Rs 2400.00 Lacs) are pledged with bank for taking loan of Rs 4300.00 Lacs (PY Rs 2163.16 Lacs) for financing the ADIP activities of the corporation.
12.4	The Board has approved a Modernization plan of Rs 338.00 crores out of which the Modernization fund to be financed by Ministry is Rs 200.00 Crores and balance is to financed from internal accruals. Since the corporation has spent Rs 14.91 crores in 2016-17; FDRs of balance fund of Rs 123.09 crores has been set aside and has been disclosed as FDRs for meeting modernization expenses. The interest accrued on such FDRs have been capitalized and Capital Reserve has been created which would take care of Corporation's source of finance and further escalations in the Modernization Plan. Any unutilized amount from out of that reserve on completion of the modernization project would be written back.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 13 : अल्पावधि ऋण और अग्रिम (रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
(ए)	**प्रतिभूति जमाऐं**		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.00	0.00
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	25.60	25.82
	संदेहजनक	0.00	0.00
		25.60	**25.82**
	घटाऐं : संदेहजनक जमाओं हेतु प्रावधान	0.00	0.00
		25.60	**25.82**
(बी)	**कर्मचारियों को ऋण तथा अग्रिम**		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.00	0.00
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	22.57	10.09
	संदेहजनक	0.00	0.00
		22.57	**10.09**
	घटाऐं : संदेहजनक जमाओं हेतु प्रावधान	0.00	0.00
		22.57	**10.09**
(सी)	**पूर्व भुगतान, खर्च–असुरक्षित माना जाने वाला माल**	14.48	12.92
		14.48	**12.92**
(डी)	**सरकारी प्राधिकारियों पर शेष**		
	असुरक्षित, अच्छा माना गया		
(i)	प्राप्ति योग्य आयकर	122.88	97.16
(ii)	वसूली योग्य सम्पत्ति कर	22.20	22.20
(iii)	निदेशक पिछड़ा वर्ग, मंत्रालय (एसजेएण्डई)	22.05	22.05
(iv)	बिक्री कर एवं वैट/प्रवेश कर चुंगी एवं अन्य	5.19	18.57
(v)	चुंगी एवं अन्य	5.66	5.66
		177.98	**165.64**
(इ)	**वसूली योग्य दावे**		
	बीमा कंपनियों से	31.17	36.76
	ग्रेच्युटी बीमा (शुद्ध) के संबंध में	0.00	497.94
	अन्यों से	21.69	11.53
		52.86	**546.23**
(एफ)	**आपूर्तिकर्ताओं/पार्टियों को अग्रिम**		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.00	0.00
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	13.42	20.45
	संदेहजनक	8.70	0.00
		22.12	**20.45**
	घटाऐं : संदेहजनक जमाओं हेतु प्रावधान	8.70	0.00
		13.42	**20.45**
	योग	**306.91**	**781.15**

क्रमशः

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 13 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2017	AS AT 31ST MARCH 2016
(a)	**Security deposits**		
	Secured, considered good	0.00	0.00
	Unsecured, considered good	25.60	25.82
	Doubtful	0.00	0.00
		25.60	**25.82**
	Less: Provision for doubtful deposits	0.00	0.00
		25.60	**25.82**
(b)	**Loans and advances to employees**		
	Secured, considered good	0.00	0.00
	Unsecured, considered good	22.57	10.09
	Doubtful	0.00	0.00
		22.57	**10.09**
	Less: Provision for doubtful loans and advances	0.00	0.00
		22.57	**10.09**
(c)	Prepaid expenses - Unsecured, considered good	14.48	12.92
		14.48	**12.92**
(d)	**Balances with government authorities**		
	Unsecured, considered good		
(i)	Income Tax receivable	122.88	97.16
(ii)	Property Tax Recoverable	22.20	22.20
(iii)	Director Backward Classes, MoSJE	22.05	22.05
(iv)	Sales Tax & VAT/Entry Tax	5.19	18.57
(v)	Octroi & others	5.66	5.66
		177.98	**165.64**
(e)	Claim Recoverable		
	from Insurance Company	31.17	36.76
	on account of Gratuity Insurance (Net)	0.00	497.94
	from Others	21.69	11.53
		52.86	**546.23**
(f)	**Advance to Suppliers/Partties**		
	Secured, considered good	0.00	0.00
	Unsecured, considered good	13.42	20.45
	Doubtful	8.70	0.00
		22.12	**20.45**
	Less: Provision for doubtful advances	8.70	0.00
		13.42	**20.45**
	TOTAL	**306.91**	**781.15**

Contd.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 13 : अल्पावधि ऋण और अग्रिम

नोट : अल्पावधि ऋण और अग्रिम में शामिल है : (रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
	निदेशक	0.00	0.00
	कंपनी के अन्य अधिकारी	0.00	0.00
	उस फर्म, जिसमें कोई निदेशक भागीदारी है (प्रति फर्म विवरण दें)	0.00	0.00
	प्राईवेट कंपनी जिसमें कोई निदेशक भागीदार है अथवा सदस्य है (प्रति कंपनी विवरण दें)	0.00	0.00
		0.00	0.00

13.1 प्रबंधन की राय में, ऋण तथा अग्रिम मूल्य कथित होते हैं यदि सामान्य कारोबार के दौरान वसूल हो जाते है तथा वूसूली के लिए अच्छे होते हैं।

13.2 ऋणों तथा अग्रिमों में 122.88 लाख रूपयें (97.16 लाख रूपये) शामिल हैं, निर्धारण वर्ष 2009–10 से 2016–17 हेतु स्त्रोत पर काटे गये आयकर की राशि जिसे निगम द्वारा दाखिल संबंधित वर्षो की आयेकर विवरणियों के जरिये निगम के संबंध में धारा'12 ए ए के तहत इसके पंजीकरण तथा पूर्व वर्षो में पूर्ण हुए निर्धारणों को ध्यान में रखते हुए रिफंड के रूप में दावा किया है। निर्धारण वर्षो 2009–10 ये 2013–14 हेतु निगम का निर्धारण अनेक प्राधिकारियों द्वारा धारा–143 (3) के तहत किया गया है तथा 3233.47 लाख (1800.82 लाख रूपये प्रतिवर्ष) की मांग उठायी गयी है जिसके खिलाफ निगम ने अपीले फाइल की है जो प्रथम तथा/अथवा द्वितीय अपील प्राधिकारी के पास लंबित है। तथापि, माननीय उच्च न्यायलय ने निर्धारण वर्ष 2009–10 हेतु विभाग की अपील पर मामले को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास पुनर्विचार हेतु भेज दिया हैं तथा निगम की ओर से चलाई जा रही गतिविधि के मौलिक विषयों पर, जो अधिनियम की धारा–2(15) के क्षेत्र के भीतर आते है, निर्णय करें।

13.3 विवाद के अधीन नगर महापालिका कानपुर में जमा कराये गये संपत्ति कर के रूप में 22.20 लाख रूपये की राशि (22.20 लाख रूपये) ऋणों तथा अग्रिमों में शामिल है, न्यायलय ने निगम के पक्ष में निर्णय दिया हैं, तथापि, नगर महापालिका ने जिला न्यायालय में अपील कर दी है।

13.4 बिक्री कर/वैट अधिकारियों ने निर्धारण वर्षो 2005–06 से 2012–13 हेतु 76.15 लाख रूपये (121.30 लाख रूपये) की कुल मॉंगे निगम की ओर निकाली हैं जिसके अनुपालन में 5.19 लाख रूपये (18.57 लाख रूपये) की राशि जमा कर दी गयी है। विभाग के साथ अपील करना बेहतर समझा गया है तथा इसलिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

13.5 पार्टियों तथा कर्मचारियों के खातों में शेष राशि पुष्टि के अधीन है।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 13 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(RS. IN LACS)

Note : Short-term loans and advances include amounts due from :

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2017	AS AT 31ST MARCH 2016
	Directors	0.00	0.00
	Other officers of the Company	0.00	0.00
	Firms in which any director is a partner (give details per firm)	0.00	0.00
	Private companies in which any director is a director or member (give details per company)	0.00	0.00
		0.00	0.00

13.1	In the opinion of the management, loans and advances are of value stated, if realized in ordinary course of business and are good for recovery.
13.2	Loans and advances includes Rs. 122.88 lacs (Rs. 97.16 lacs), the amount of income tax deducted at source for the assessment years 2009-10 to 2017-18 which vide filed returns of income of the respective years by the corporation has been claimed as refundable in view of its registration under section 12AA and earlier years completed assessments in favour of the corporation. The Corporation has been assessed by various authorities for the assessment years 2009-10 to 2014-15 under section 143 (3) and demands of Rs 3233.47 Lacs (PY 1800.82 Lacs) have been raised against which the corporation has preferred appeals which are pending before 1st and/or 2nd appellate authorities. However the Honorable High Court on department's appeal for AY 2009-10 has restored back the matter before 1st Appellate authority to reconsider and decide the basic issue of the activity being carried on by the corporation falls within the ambit of section 2(15) of the Act.
13.3	Loans and Advances includes a sum of Rs. 22.20 lacs (Rs. 22.20 Lacs) being property tax deposited with Nagar Maha Palika, Kanpur under dispute. The Court has decided the case in favour of the Corporation, however Nagar Mahapalika has gone into appeal before District Court.
13.4	Total demand of Rs 76.15 Lacs (Rs 121.30 Lacs) for assessment years 2005-06 to 2012-13 has been imposed by Sales Tax/VAT authorities against which a sum of Rs 5.19 Lacs (Rs 18.57 Lacs) has been deposited.During the year, certain cases against which the partial demand was deposited by the corporation has been decided in favour of the corporation, thereby a reduction in deposited amount can be witnessed. For balance amounts also, Appeal has been preferred with the Department and hence no provision has been made.
13.5	Balances in parties and employees account are subject to confirmation

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

नोट 14 : अन्य मौजूदा सम्पत्तियाँ

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
(ए)	प्रोद्भूत आय		
(i)	जमा राशि पर प्रोद्भूत ब्याज	454.99	175.68
(b)	अन्य		
(i)	ठेकेदारी के रूप में वापसी योग्य व्यय	0.00	0.00
(ii)	प्राप्ति योग्य निधियाँ	55.44	222.14
	योग	510.43	397.82
13.1	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, द्वारा प्राप्ति योग्य निधि जिसमें मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई राशि शामिल है तथा उसी मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थान और अन्य सरकारी प्राधिकरणों जो 31.03.2017 से पहले स्वीकृत किये गये थे और इसीलिए प्राप्ति योग्य निधि में ऊपर दिखाया गया।		

NOTE 14 : OTHER CURRENT ASSETS

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	AS AT 31ST MARCH 2017	AS AT 31ST MARCH 2016
(a)	**Accruals**		
(i)	Interest accrued on deposits	454.99	175.68
(b)	**Others**		
(i)	Contractually reimbursable expenses	0.00	0.00
(ii)	Funds receivable	55.44	224.14
	TOTAL	510.43	397.82
13.1	Funds receivable includes the amount that been sanctioned by Ministry of Social Justice & Empowerment , National Institutes under the same Ministry and other Government authorities which have been sanctioned prior to 31st March 2017 and therefore has been considered as Funds Receivable as shown above.		

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर
वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 15 : परिचालन से राजस्व

(रू लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए)	उत्पादों की बिक्री	23,286.45	18,323.12
(बी)	सेवा की बिक्री	0.81	1.04
(सी)	अन्य परिचालन राजस्व	779.97	611.35
		24,067.23	18,935.51
(डी)	घटाया :	235.56	77.38
	योग	23,831.67	18,858.13

नोट :

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	उत्पादों की बिक्री में शामिल		
	निर्मित माल		
	कृत्रिम अंगों : उपकरणों और पुनर्वास यंत्र	17,608.58	13,422.88
	कुल–निर्मित वस्तुओं की बिक्री	17,608.58	13,422.88
	व्यापरिक माल	5,677.87	4,900.24
	कुल–व्यापारिक माल की बिक्री	5,677.87	4,900.24
	कुल उत्पादों की बिक्री	**23,286.45**	**18,323.12**
(ii)	सेवा शामिल की बिक्री		
	फिटिंग सामानों का मरम्मत प्रभार	0.81	0.79
	द्विपक्षीय समझौते के तहत रख–रखाव शुल्क	0.00	0.25
	कुल–सेवाओं की बिक्री	**0.81**	**1.04**
(iii)	अन्य परिचालन राजस्व सहित		
	रद्दी की बिक्री	0.25	6.87
	सी.एस.आर. एवं एडिप गतिविधियों पर प्रशासनिक शुल्क	779.72	604.48
	कुल–अन्य परिचालक की बिक्री	**779.97**	**611.35**

15.1 उपरोक्त व्यापरिक वस्तुओं की बिक्री में फैब्रीकेटेड माल और कोकिलियर माल भी है।

15.2 द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत रख–रखाव से प्राप्त आय और रख–रखाव/ड्यूटी फ्री उपहार कन्साइनमेन्ट्स के क्लियरेंस पर होने वालेव्यय को अलग से एकाउंट फार किया गया है और तद्नुसार आय और व्यय शीर्षों के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

15.3 प्रशासनिक प्रभार को राजस्व के रूप में पहचाना गया जोकि एडिप के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी हुई और प्रशासनिक चार्ज जोकि सी.एस.आर. परियोजनाओं के तहत विक्रय के पूरा होने पर माना जाता है।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 15 : REVENUE FROM OPERATIONS

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016
(a)	Sale of products	23,286.45	18,323.12
(b)	Sale of services	0.81	1.04
(c)	Other Operating Revenues	779.97	611.35
		24,067.23	18,935.51
	Less:		
(d)	Discount	235.56	77.38
	TOTAL	**23,831.67**	**18,858.13**

Notes:

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016
(i)	Sale of products comprises		
	Manufactured goods		
	Artificial Limbs, Components & Re-Hablitation Aids	17,608.58	13,422.88
	Total - Sale of manufactured goods	17,608.58	13,422.88
	Traded goods	5,677.87	4,900.24
	Total - Sale of traded goods	5,677.87	4,900.24
	Total - Sale of products	**23,286.45**	**18,323.12**
(ii)	Sale of services comprises		
	Repairing Charges of Fitting Material	0.81	0.79
	Handing Charges under Bi-Lateral Agreement	0.00	0.25
	Total - Sale of services	**0.81**	**1.04**
(iii)	Other operating revenues comprise:		
	Sale of scrap	0.25	6.87
	Administrative Charges on CSR &ADIP activities	779.72	604.48
	Total - Other operating revenues	**779.97**	**611.35**

15.1	Traded Goods indicated above are in respect of bought out fabricated items, bought out high end products and Cochlear Implants
15.2	Income from handling charges under Bi-Lateral Agreement and expenditure on Handling/clearance of duty free gift consignments have been separately accounted for and have been disclosed accordingly under Income and Expenditure heads.
15.3	The administrative Charges has been recognized as revenue based on ADIP guidelines effective from 1.4.2014 onwards & administrative charges on CSR is charged on completion of sale under CSR projects.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 16 : अन्य आय

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए)	ब्याज से आय	633.96	984.04
(बी)	अन्य गैर परिचालक आय	204.59	949.94
	योग	838.55	1,933.98

नोट

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	ब्याज की आय सहित :		
	बैंक द्वारा ब्याज		
	चालू जमा राशियाँ–सावधि खाते	1,414.38	954.85
	अन्य शेष बचत खाते में	79.18	28.04
	त्यौहार अग्रिम पर ब्याज	2.03	1.15
	घटाया: निगम के आधुनिकरण के लिए पूंजीकृत ब्याज	(861.63)	0.00
	कुल ब्याज द्वारा आय	633.96	984.04
(ii)	अन्य गैरपरिचालक आय सहित :		
	टाउनशिप के किराये से आय	0.83	0.29
	पूर्व अवधि की वस्तुऐं (शुद्ध)–ह्रास वापस लिया।	69.06	908.89
	सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	1.08	0.00
	विविध आय	133.62	40.76
	कुल अन्य गैर परिचालक आय	204.59	949.94
(iii)	आधुनिकीकरण व्यय को पूरा करने के लिए अलग किये गये 123.09 करोड़ रुपये की एफडीआर्स में से ब्याज को पूंजीकृत किया गया है तथा ब्याज से अर्जित आय में से 861.63 लाख रुपये की राशि की कटौती की गयी है।		
(iv)	एडिप योजना हेतु लिये गये ऋण के बदले बैंकों को अदा किये गये ब्याज की कुल राशि 172.25 लाख रुपये है। प्रदत्त/प्रावधान किये गये इस ब्याज की कटौती बैंकों गये इस ब्याज की कटौती बैंकों से उपर्युक्त के अनुसार सावधि जमाओं पर ब्याज से की गयी है। अतः उपर्युक्त आंकड़े निवल आंकड़े है।		

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 16 : OTHER INCOME

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016
(a)	Interest income	633.96	984.04
(b)	Other non-operating income	204.59	949.94
	TOTAL	838.55	1,933.98

Notes

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016
(i)	**Interest income comprises:**		
	Interest from banks on:		
	Current Deposits- Fixed Deposits	1,414.38	954.85
	other balances in Savings Bank	79.18	28.04
	Interest on festival advance	2.03	1.15
	Less : Interest Capitalized for Corporation's share in Modernization Plan	(861.63)	0.00
	Total - Interest Income	633.96	984.04
(ii)	Other non-operating income comprises:		
	Rental income from Township	0.83	0.29
	Provisions no longer required written back	69.06	908.89
	Profit on sale of assets	1.08	0.00
	Miscellaneous income	133.62	40.76
	Total - Other non-operating Income	204.59	949.94
(iii)	Interest out of FDRs of Rs 123.09 Crores set aside for meeting modernization expenses has been capitalized and an amount of Rs 861.63 Lacs has been deducted from the interest earning.		
(iv)	Interest paid to the Banks against Loan taken for ADIP scheme is to the tune of Rs 172.25 Lacs. This Interest paid/ provisioned has been deducted from the interest from banks on Fixed Deposits shown above. Hence the above figure is netted off figure.		

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 17 अ : प्रयुक्त सामग्री का मूल्य

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
1	प्रारंभिक स्टॉक	1,262.09	1,616.57
	जोड़े : खरीद	8,598.03	5,855.58
		9,860.12	**7,472.15**
	कम करे : आंतरिक उपयोगिता	0.00	31.21
	कम करे : अंतिम स्टॉक	1,317.97	1,262.09
	उपयोगिता सामग्री की लागत	8,542.15	6,178.85
	फिटिंग सामग्री प्रयुक्त	970.12	895.98
	कोकलिअर इंप्लाट	1,668.58	652.32
	ऑटोबॉक कंपोनेंटस	62.04	0.00
	शिविरों हेतु सामग्री का प्रावधान	0.00	391.43
	आउट सोर्स पर सामान की खरीद	844.92	576.51
	योग	**12,087.81**	**8,695.09**
2	**उपयोगिता सामग्री में शामिल है**		
(i)	माइल्ड स्टील	778.74	641.60
(ii)	एल्युमिनियम एलॉय	116.30	88.93
(iii)	खरीदे गये घटक	7,474.44	5,313.26
(iv)	अन्य कच्ची सामग्री	172.67	135.06
(v)	फिटिंग सामग्री	970.12	895.98
(vi)	आउट सोर्स सामग्री	844.92	576.51
(vii)	कोकलिअर इम्प्लांट एवं ऑटोबॉक कंपोनेंटस	1,730.62	652.32
(viii)	अन्य	0.00	391.43
		12,087.81	**8,695.09**

नोट 17 ब : तैयार माल के रहतिये में परिवर्तित कार्य में प्रगति और व्यापार का भण्डारण

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
A	वर्ष के अंत में सूची		
(i)	सुसज्जित सामान	2,354.11	1,960.32
(ii)	कार्य प्रगति पर है	282.81	291.97
(iii)	मार्गस्थ सामग्री	51.42	10.84
(iv)	स्क्रैप	15.56	7.73
		2,703.90	**2,270.86**
B	वर्ष के प्रारंभ में सूची		
(i)	सुसज्जित सामान	1,960.32	1,798.15
(ii)	कार्य प्रगति पर है	291.97	291.28
(iii)	मार्गस्थ सामग्री	10.84	8.40
(iv)	स्क्रैप	7.73	10.68
		2,270.86	**2,108.51**
	शुद्ध वृद्धि/कमी (ए–ब)	**433.04**	**162.35**
17.1	कमी/अधिक, सामान्य रूप से स्वीकृत सीमा के भीतर हानियाँ तथा क्षतियों को उपयोगित सामग्री के भाग के रूप में प्रकट किया गया है।		

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 17 A : COST OF MATERIALS CONSUMED

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016
1	**Opening stock**	1,262.09	1,616.57
	Add: Purchases	8,598.03	5,855.58
		9,860.12	**7,472.15**
	Less: Internal consumption	0.00	31.21
	Less: Closing stock	1,317.97	1,262.09
	Cost of material consumed	8,542.15	6,178.85
	Fitting Material Consumed	970.12	895.98
	Cochlear Implant	1,668.58	652.32
	Ottobock components	62.04	0.00
	Material provisioned for camps	0.00	391.43
	Goods Purchase on outsourcing	844.92	576.51
	Total	**12,087.81**	**8,695.09**
2	**Material consumed comprises:**		
(i)	Mild Steel	778.74	641.60
(ii)	Aluminium Alloy	116.30	88.93
(iii)	Bought out Components	7,474.44	5,313.26
(iv)	Other Raw Material	172.67	135.06
(v)	Fitting Material	970.12	895.98
(vi)	Outsourced Material	844.92	576.51
(vii)	Cochlear Implant & Ottobock components	1,730.62	652.32
(viii)	Others	0.00	391.43
	Total	**12,087.81**	**8,695.09**

NOTE 17 B : CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS, WORK-IN-PROGRESS AND STOCK-IN-TRADE

(RS IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016
A	**Inventories at the end of the year:**		
(i)	Finished goods	2,354.11	1,960.32
(ii)	Work-in-progress	282.81	291.97
(iii)	Material in Transit	51.42	10.84
(iv)	Scrap	15.56	7.73
		2,703.90	**2,270.86**
B	**Inventories at the beginning of the year:**		
(i)	Finished goods	1,960.32	1,798.15
(ii)	Work-in-progress	291.97	291.28
(iii)	Material in Transit	10.84	8.40
(iv)	Scrap	7.73	10.68
		2,270.86	**2,108.51**
	Net Increase / decrease(A-B)	**433.04**	**162.35**
17.1	Shortges/Excess, Losses and wastages being within normally accepted limits have been disclosed as part of Materials consumed.		

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 18 : कर्मचारी हित व्यय

(रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
1	वेतन तथा मजदूरी	2,680.66	2,495.31
2	भविष्य तथा अन्य निधियों में अंशदान	288.05	254.83
3	कर्मचारी कल्याण व्यय	149.66	96.71
	योग	3,118.37	2,846.85

18.1 लेखा मानक 15 "कर्मचारी–हित" के अनुसार लेखा मानको में दी गयी परिभाषा के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है :–
परिभाषित अंशदान योजनाऐं
परिभाषित अंशदन योजनाओं में अंशदान को वर्ष हेतु निम्न प्रकार व्यय के रूप में मान्यता दी गयी :

(रू लाख में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	149.40	149.30
पेंशन निधि (ईपीएफओ) में नियोक्ता का अंशदान	34.17	35.52
ग्रेच्युटी निधि तथा छुट्टी नकदीकरण मे नियोक्ता का अंशदान	30.52	0.12
पेंशन निधि (भारतीय जीवन बीमा निगम) में नियोक्ता का अंशदान	73.96	69.89
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	29.64	15.14

18.2 निदेशकों को भुगतान

(रू लाख में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016
वेतन एवं भत्ते	23.39	21.90
पीएफ एवं एफपीएफ में नियोक्ता का अंशदान	2.12	1.96
एलआईसी अवकाश नकदीकरण योजना में नियोक्ता का अंशदान	0.00	0.00
पेंशन फंड (एलआईसी) में नियोक्ता का अंशदान	0.00	0.00
निष्पादन संबंधित वेतन	11.90	7.11
चिकित्सा खर्च	0.29	0.18
TOTAL	37.70	31.15

18.3 7 वें संशोधन की अनुशांसाओं को ध्यान में रखते हुए, विचाराधीन वित्तीय वर्ष में 3 महीनों के लिए 151.90 लाख रुपये का तदर्थ प्रावधान किया गया है तथा वेतन एवं मजदूरी में शामिल किया गया हैं। कार्यान्वयन हेतु अध्यधीन निर्देशों के जारी होने के बाद ये प्रावधान देय हैं।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 18 : EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE

(RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016
1	Salaries and wages	2,680.66	2,495.31
2	Contributions to provident and other funds	288.05	254.83
3	Staff welfare expenses	149.66	96.71
	TOTAL	3,118.37	2,846.85

18.1 As per accounting standard 15 "Employee Benefits" the disclosures as defined in the accounting standards are given below :

Defined Contribution Plans

Contribution to Defined Contribution Plans recognized as expense for the year is as under :

(RS. IN LACS)

PARTICULARS	31.03.2017	31.03.2016
Employer's Contribution to Provident Fund	149.40	149.30
Employer's Contribution to Pension Fund (EPFO)	34.17	35.52
Employer's Contribution to Gratuity Fund & Leave Encashment	30.52	0.12
Employer's Contribution to Pension Fund (LIC)	73.96	69.89
Post Retirement Medical Benefit	29.64	15.14

18.2 **PAYMENT TO DIRECTORS :**

(RS. IN LACS)

PARTICULARS	31.03.2017	31.03.2016
Salary & Allowances	23.39	21.90
Employers Contribution to PF & FPF	2.12	1.96
Employers Contribution to LIC Leave Encashment Scheme	0.00	0.00
Employer's Contribution to Pension Fund (LIC)	0.00	0.00
Performance Related Pay	11.90	7.11
Medical Expenses	0.29	0.18
TOTAL	37.70	31.15

18.3 In view of the 7th pay revision recommendations , adhoc provision of Rs 151.90 Lacs for 3 months in the financial year under consideration has been made and included in Salaries & Wages. These provisions are payable after issue of the Presidential Directives for implementation.

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 19 : अन्य खर्चे (रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
1	स्टोर तथा स्पेअर पार्टस की खपत	251.35	216.65
2	खुले औजारों की खपत	4.98	4.99
3	पैकिंग सामग्री की खपत	107.57	99.78
4	द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत	0.00	0.25
5	उपठेकेदारी : बाहरी कार्य खर्च	1076.75	865.37
6	ऊर्जा तथा तेल	180.89	166.34
7	वायु जल तथा प्रदूषण खर्च	5.47	4.01
8	पट्टे पर किरायें सहित किराया	9.85	12.09
9	मरम्मत और रख–रखाव– भवन	19.06	13.40
10	मरम्मत और रख–रखाव– मशीनरी	36.68	35.79
11	मरम्मत और रख–रखाव– अन्य	36.82	27.10
12	बीमा	9.02	6.91
13	बैंक प्रभार तथा कमीशन	4.72	5.18
14	प्रशिक्षण व्यय	4.32	10.44
15	भर्ती व्यय	20.62	9.98
16	अनुसंधान एवं विकास	113.73	119.96
17	दर एवं कर	2.23	1.53
18	संचार	38.22	34.85
19	यात्रा और वाहन खर्च	402.14	291.47
20	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	35.42	27.58
21	भाड़ा और अग्रेषण	901.73	817.08
22	अंशदान तथा अन्य फीस	13.13	14.82
23	अधिकृत पूंजी में वृद्धि की दिशा में आरओसी सहित फीस भरना	0.00	42.75
24	विक्रय कमीशन	0.00	0.22
25	प्रदर्शनी खर्चे	5.06	9.70
26	वाहन का चलना तथा रख–रखाव	48.29	39.14
27	सुरक्षा खर्चे	172.52	151.20
28	कारोबार में वृद्धि	5.96	7.44
29	शिविर खर्चे	356.13	215.37
30	विज्ञापन एवं प्रचार	49.38	57.14
31	विधिक तथा व्यावसायिक	204.96	153.93
32	ऑडिटरों को भुगतान (नीचे (i) पर नोट को देखें)	2.07	1.96
33	डूबत तथा संदेहजनक कर्जो के खिलाफ प्रावधान	14.59	1,241.90
34	धीमी/गैर चालनीय सामानों के खिलाफ प्रावधान	36.16	21.29
35	डूबत कर्जो को बट्टे खाते में डाला गया	0.00	6.10
36	विविध व्यय	29.48	25.06
37	सीएसआर खर्चे	0.44	0.00
38	पूर्व अवधि वस्तुओं (शुद्ध) (नीचे (ii) पर नोट को देखें)	0.00	(77.20)
	योग	**4,199.74**	**4,681.57**

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 19 : OTHER EXPENSES (RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016
1	Consumption of stores and spare parts	251.35	216.65
2	Consumption of loose tools	4.98	4.99
3	Consumption of packing materials	107.57	99.78
4	Handling Expenses under Bi-Lateral Agreement	0.00	0.25
5	Subcontracting - Out side Job Charges	1,076.75	865.37
6	Power and fuel	180.89	166.34
7	Air, Water & Pollution Expenses	5.47	4.01
8	Rent including lease rentals	9.85	12.09
9	Repairs and maintenance - Buildings	19.06	13.40
10	Repairs and maintenance - Machinery	36.68	35.79
11	Repairs and maintenance - Others	36.82	27.10
12	Insurance	9.02	6.91
13	Bank Charges & Commission	4.72	5.18
14	Training Expenses	4.32	10.44
15	Recruitment Expenses	20.62	9.98
16	Research & Development	113.73	119.96
17	Rates and taxes	2.23	1.53
18	Communication	38.22	34.85
19	Travelling and conveyance	402.14	291.47
20	Printing and stationery	35.42	27.58
21	Freight and forwarding	901.73	817.08
22	Subscription and Other Fees	13.13	14.82
23	Filing Fee with ROC towards increase in authorized capital	0.00	42.75
24	Sales commission	0.00	0.22
25	Exhibition Expenses	5.06	9.70
26	Vehicle Running & Maintenance	48.29	39.14
27	Security Expenses	172.52	151.20
28	Business promotion	5.96	7.44
29	Camp Expenses	356.13	215.37
30	Advertisement & Publicity	49.38	57.14
31	Legal and professional	204.96	153.93
32	Payments to auditors (Refer Note (i) below)	2.07	1.96
33	Provision against Bad and doubtful debts	14.59	1,241.90
34	Provision against Slow/Non Moving Inventories	36.16	21.29
35	Bad Debts written off	0.00	6.10
36	Miscellaneous expenses	29.48	25.06
37	CSR Expenses	0.44	0.00
38	Prior Period Items (Net) (Refer Note (ii) below)	0.00	(77.20)
	TOTAL	**4,199.74**	**4,681.57**

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने के नोट्स

नोट 19 : अन्य खर्चे क्रमशः. (रू लाख में)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	**लेखापरीक्षको को भुगतान सहित अंकेक्षण जहाँ :–**		
	वैधानिक लेखापरीक्षकों के लिए	1.38	1.27
	कराधान मामलों के लिये	0.52	0.52
	कम्पनी अधिनियम मामलों के लिए	0.00	0.00
	प्रबंधन सेवाओं के लिये	0.17	0.17
	अन्य सेवाओं के लिये	0.00	0.00
	व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.00	0.00
	योग	**2.07**	**1.96**
(ii)	**पूर्व अवधि वस्तुओं का विवरण (शुद्ध)**		
	पूर्व अवधि व्यय–आधुनिकरण पर व्यय का रिवर्सल मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुदान पर	(0.00)	(107.82)
	पूर्व अवधि आय	0.00	30.62
	योग	**(0.00)**	**(77.20)**
19.1	वर्षों के दौरान शून्य लाख रुपये (1241.90 लाख रुपये) का प्रावधान डूबंत तथा संदेहजनक विभिन्न कर्जदारों हेतु किया गया है क्योंकि संबंधित कर्जदार द्वारा शेष की पुष्टि न होना तथा/अथवा बजटीय मजबूरी के कारण उनके सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की जरूरत हेतु अदा करने में असामर्थता, तथा 6 वर्ष से अधिक बकाया राशियों को अन्य खर्चे के तहत समूहबद्ध भी करना है। तथापि, आपूर्तिकर्ताओं को तथा जाली एजेंसी हेतु अग्रिम के लिए अग्रिम हेतु प्रावधान को 8. 70 लाख रुपये तक (पूर्व वर्ष में शून्य) संदेहास्पद समझा गया, वर्ष के दौरान 5.89 लाख रुपये (पूर्व वर्ष में शून्य) शेष प्रावधान किया गया है।		
19.2	वर्ष के दौरान, स्टॉक ऑडिट के दौरान भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया के माध्यम से पहचाने गए इन्वेंट्री के लिए धीमी/गैर चलती इन्वेंट्री के लिए 36.16 लाख (21.29 लाख रुपये) का निवेश किया गया है, जो पिछले तीन सालों से नहीं ले जाया गया है। इन प्रावधानों को मद के मानक लागत के आधार पर बनाया गया ह। इस मद के वैकल्पिक उपयोग के लिए आंतरिक मूल्यांकन किया जा रहा है। स्क्रैप वैल्यू/शुद्ध वसूली योग्य मूल्य का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन के बाद किया जाता है।		
19.3	जब कभी खुले औजार जारी किये गयें तो उन्हें उपभोगित के रूप में समझा गया।		

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR
NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 19 : OTHER EXPENSES Contd. (RS. IN LACS)

S NO.	PARTICULARS	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016
(i)	**Payments to the auditors comprises :**		
	As auditors - statutory audit	1.38	1.27
	For taxation matters	0.52	0.52
	For company law matters	0.00	0.00
	For management services	0.17	0.17
	For other services	0.00	0.00
	Reimbursement of expenses	0.00	0.00
	TOTAL	**2.07**	**1.96**
(ii)	**Details of Prior Period Items (Net)**		
	Prior Period Expenses - Expenses on Modernization reversed on receipt of Grant from the Ministry	(0.00)	(107.82)
	Prior Period Income Reversed	0.00	30.62
	TOTAL	**(0.00)**	**(77.20)**
19.1	During the year provision of Rs. NIL Lacs (1241.90 Lacs) has been made towards bad and doubtful Sundry Debtors because of non-confirmation of the balance by the respective Debtors and/or their inability to pay for want of approval of their competent authority due to budgetory constraints ; and also because of out standing for more than six years are grouped under other expenses. However, provision for advance to suppliers considered doubtful to the extent of Rs 8.70 Lacs (P.Y. Nil) and for advance to fabricating agency, balance provision of Rs 5.89 Lacs (P.Y.NIL) has been made during the year.		
19.2	During the year, additional provision of Rs. 36.16 Lacs (Rs 21.29 Lacs) has been made towards slow/non moving inventories for inventories identified through process of physical verification during stock audit which have not moved for last three years. These provisions have been made on the basis of standard cost of the item.Further Internal assessment is being carried out for alternative use of these items. Scrap value/net realizable value of the same is accounted for on after internal assessment.		
19.3	Loose Tools as and when issued are treated as consumed.		

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA KANPUR

नोट 20 : महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियाँ

20.1 वित्तीय विवरणीय की तैयारी का आधार

यदि अन्यथा नहीं बताया गया है, तो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय लेखे ऐतिहासिक मूल्य एवं अर्जन आधार पर तैयार किये जाते है। ये विवरण सम्बन्धित लेखा मानको तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(2) में वांछित सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण के अनुरूप तैयार किए गए है। चूँकि निगम एक गैर–लाभीय संगठन है, अतः निगम अपना आय व्यय खाता कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अनुपान में बनाता है।

20.2 निर्माण अवधि के दौरान स्थिर परिसम्पत्तियाँ तथा व्यय

(क) स्थाई परिसम्पत्तियों की खरीद को अधिग्रहण की लागत जिसमें कि सम्बन्धित अनुसंगिक व्यय तथा परिसम्पत्ति को कार्य में लाने से पूर्व में किये गये व्यय सम्मिलित है, पर दर्शाया जाता है।

(ख) स्थाई परिसम्पत्तियों पर ह्रास का प्रावधान सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर, कम्पनीज अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में दर्शाई गई तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 2 के विशिष्ट जोकि ह्रास जोकि सम्पत्तियों के उपयोगी जीवन के समायोजित मूल्य जिसका प्रारंभिक वर्ष समाप्त हो गया तक विस्तारित किया गया जिसमें अवशेषित मूल्य रूके हुए आय से (आय एवं व्यय विवरण के अधिशेष से आगे बड़ाया गया) निर्धारित दरों पर किया जाता है। पट्टे वाली भूमि की कीमत को पट्टे की अवधि में ही चुकता किया जाता है। तथापि कम्पनी अधिनियम 2013 अनुसूची 2 वर्णित है जैसा कि पूर्व के सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर था। अमूर्ति सम्पत्तियों को उसके 5 साल के उपयोगी जीवन के अनुरूप परिशोधित था।

NOTE 20 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

20.1 Basis of Preparation of Financial Statements

The financial accounts, unless stated otherwise, are prepared on the historical cost and accrual basis in accordance with the normally accepted accounting principles. These statements have been prepared in accordance with applicable mandatory accounting standards referred to in Section 2 (2) and relevant presentation requirements of the Companies Act, 2013.

Since the Corporation is a non-profit making Organization, it prepares "Balance Sheet" and "Income & Expenditure Account" in compliance to provisions of section 129 of Companies Act, 2013 except otherwise stated by way of Notes to Accounts.

20.2 Fixed Assets and Expenditure during Construction period.

a) Fixed Assets are capitalized at acquisition cost including directly attributable cost of bringing the assets to its working conditions for intended use.

(b) The depreciation on fixed assets till earlier year has been provided for on straight line method at the rates specified in Schedule XIV of the Companies Act, 1956.Schedule II of the Companies Act, 2013 specifies to apply depreciation on the basis of useful life of the assets and to adjust value of the assets, whose life at the opening of the year stands expired, to the extent of their respective residual (salvage) value from the retained earnings (i.e. brought forward amount of Surplus in statement of income & expenditure account). Lease hold land is amortized over the period of lease and the depreciation is being charged on useful life as mentioned in Schedule II to the Companies Act,2013 on earlier followed straight line method. Intangible assets have been amortised on the basis of useful life of 5 years.

(ग) स्थाई परिसम्पत्तियों पर ह्रास की गणना अभिवृद्धि/निपटान की तिथि के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर की जाती है।

(घ) पूर्व के लेखा नीतियों के अनुसार निगम द्वारा लगातार जारी रखते हुए रूपये 5000/– तक की लागत के प्रत्येक डाईज एवं जिग्स आदि की कीमत को 'लूज टूल्स' खाते में नामे करके आय–व्यय खाते में उपचित किया जाता है। हांलाकि 2014–15 से सम्पत्तियों के उपयोगी जीवन को प्रतिफलित करना है और 5000 से कम तथा 5000 से ज्यादा की सम्पत्तियों में कोई अंतर नहीं रह गया है। जोकि कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में है।

(ङ) नयी परियोजनाओं/परिसम्पत्तियों के निर्माण अवधि के व्यय को "पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य" के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है और परियोजनाओ / परिसम्पत्तियों के चालू होने पर लंबित आवंटन व्यय को स्थायी परिसम्पत्ति की कीमत में आवंटित कर दिया जाता है।

(च) पूंजीगत अग्रिम को दीर्घ अवधि पूंजीगत अग्रिम के तहत ऋण एवं अग्रिम के रूप में में दर्शाया जायेगा।

20.3 परिसंपत्तियों की बाधिता

किसी परिसम्पत्ति को क्षति में तब विश्लेषण किया जाता है जब उसको क्रियाशील रखने की लागत, उसी वसूली योग्य लागत से अधिक हो जाती है। क्षति, यदि कोई हो, तो उसे उस वर्ष के आय और व्यय में उपचित किया जाता है जिस वर्ष में छति चिन्हित की जाती है। यदि परिसम्पत्ति के सम्भावित वसूली मूल्य में कोई परिवर्तन होता है तो लेखा अवधि से पहले चिन्हित क्षति राशि को परिवर्तित कर दिया जाता है।

(c) Depreciation on fixed assets is calculated on pro-rata basis with reference to the date of addition/disposal.

(d) Earlier as per accounting policy consistently followed by the Corporation, the cost of Dies & Jigs etc below Rs. 5000/- each was charged to Income & Expenditure Account by debiting to Loose Tools Consumed Account and capital items valuing upto Rs 5000 each were also fully depreciated in the year of purchase. However, from 2014-15, useful life is of all the assets are now being considered and there has been no distinction between assets below Rs 5000 and assets above Rs 5000/- irrespective of the nature of asset in compliance with the requirement of Companies Act,2013.

(e) Expenditure during construction period in respect of new projects/assets are included under Capital Work-in-Progress and Expenses pending allocation are to be allocated to the fixed assets on commissioning of the projects/assets.

(f) Capital Advance shall be shown as Loans & Advances under Long Term Capital Advances

20.3 Impairment of Assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. An impairment loss, if any, is charged to the Income & Expenditure Account in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting period is reversed, if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

नोट–20 : महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियाँ क्रमशः.

20.4 रहतिया
रहतिया के मूल्यांकन का अधार निम्न प्रकार है :

(अ)	कच्चा माल, स्टोर्स एवं अतिरिक्त पुर्जे, फुटकर टूल्स, मार्गस्थ/जाँचान्तर्गत सामग्री	भारित औसत मूल्य पर	औसत मूल्य में केवल सामग्री मूल्य एवं अन्य प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित है।
(ब)	निर्माणाधीन माल	मानक लागत पर (कारखाना लागत)	सामग्री मूल्य तथा लेबर और कारखाना के अतिरिक्त खर्चे (कार्य पूरा होने तक) सम्मिलित है।
(स)	तैयार माल/मार्गस्थ तैयार माल	मानक लागत /अथवा अनुमानित वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो पर।	मानक मूल्य/ मूल्य में सामग्री मूल्य तथा लेवर और कारखाना के अतिरिक्त खर्च सम्मिलित है।
(द)	रद्दी	अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर	अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर

NOTE NO. 20 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Contd….)

20.4 Inventories
Basis of valuation of inventories is as under :-

(a)	Raw Materials, Stores & Spares, Loose Tools, Material in Transit/Inspection	At weighted average Cost.	Weighted Average Cost constitutes of purchase cost and other direct cost .
(b)	Work-in-Progress	At Standard Cost (Factory Cost)	Standard Cost/ Factory Cost constitutes of Material Cost, Labour & Factory Overheads to the point of completion.
(c)	Finished Goods / Finished Goods in Transit	At Standard Cost (Factory Cost)/ Procurement cost of assembly or estimated realizable value whichever is less	Standard Cost/Factory Cost constitutes of Material Cost, Labour & Factory Overheads.
(d)	Scrap	At estimated realizable value	Estimated realizable value represents present market rate.

20.5 राजस्व मान्यता

(i) विक्रय की मान्यता और उसका लेखाकरण निगम की कारखाना/कार्यालय/इकाई से माल की निकासी पर किया जाता है। एएस–9 के संदर्भ में राजस्व को भी पहचाना गया जोकि सामग्री के भेजने उसका भुगतान करने तथा न पहुंचने जोकि सामग्री संवेदित प्रकृति की हो।

(ii) विक्रय बीजक तैयार करते समय विक्रय दर को रूपये के समीप पूरा किया गया है।

(iii) महत्वपूर्ण अनिश्चित्ताओं को छोड़कर, आय एवं व्यय को उपार्जित आधार पर मान्यता देते हुए लेखांकित किया जाता है। सभी ज्ञात हानियों एवं दायित्वों हेतु प्रावधान किया जाता है

(vi) द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत रख–रखाव से प्राप्त आय और रख–रखाव/ड्यूटी फ्री उपहार कन्साइनमेन्ट्स के क्लियरेंस पर होने वाले व्यय को अलग से एकाउंटफार किया गया।

(v) जब्त ईएमडी/सुरक्षा जमा को विविध आय के रूप में दिखाया गया है।

(vi) जमा पर ब्याज उपार्जित के आधार पर है।

20.6 सरकारी अनुदानों का लेखा

संस्थापक के अंशदान के रूप में सरकार से प्राप्त अनुदान को पूँजीगत कोष में प्रकटिकरण किया गया, चूँकि ये प्रवर्तक के कोष के रूप में है, एडिप और एडिप–एसएसए योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान का उपयोग एवं यदि व उपयोग नहीं किये जाते है ऐसा चालू दायित्व के रुप में माल के प्रेषण के बाद तक के लिये माना जाता है और प्रेषी द्वारा उपयोग पर स्वीकृति की जाती है।

20.7 सेवानिवृत्ति लाभ

निगम द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अलग से एक प्रोविडेंट फण्ड ट्रस्ट की स्थापना की गई है। प्रोविडेंट फण्ड और कर्मचारी पेंशन योजना में निगम के अंशदान को आय–व्यय खाते में उपचित किया जाता है। ग्रेच्युटी तथा छुट्टी नगदीकरण पर व्यय बीनांकित मूल्यांकन में हुई वृद्धि के आधार पर बीमाकर्ता को अंतरित राशि की सीमा तक मान्यता दी जाती है, बीमाकर्ता द्वारा वापिस की राशि के अलावा, यदि मूल्यांकन में कमी होती है तो किसी व्यय को मान्यता नहीं मिलती है।

20.5 Revenue Recognition

(i) Sales are recognized and accounted for on despatch of goods from the Corporation's Factory/ Offices/ Units. In view of AS-9, revenue has also been recognized when the material is ready for despatch, assured of payment and has not been delivered due to lack of delivery instruction and nature of the material is sensitive.

(ii) "Sale rates are rounded off to the nearest rupee while preparing sales invoices.

(iii) Income & Expenditure are recognized and accounted for on accrual basis, except in case of significant uncertainties. Provision is made for all known losses & liabilities.

(iv) Income from handling charges under bi-lateral agreement and expenditure on handling/ clearance of duty free gift consignments are separately accounted for.

(v) EMD/Security deposit forfeited, if any, are disclosed as miscellaneous income.

(vi) Interest on deposits is accounted for on accrual basis.

20.6 Accounting of Government Grants

Grants received from Government in nature of promoter's contribution has been disclosed as capital reserve. Other Revenue Grants received under ADIP and ADIP-SSA schemes to the extent they are unutilized have been considered as Current Liabilities after treating goods despatched and acknowledged by consignees utilized.

20.7 Retirement Benefits

The corporation's contribution for the retirement benefits of the employees towards Provident Fund, Pension Fund and Employees Family Pension scheme are charged to Income & Expenditure Account. The expenditure on Gratuity and Leave Encashment is recognized to the extent of amount transferred to insurer on the basis of increase in the actuarial valuation; No expenditure is recognized in case there is decrease in valuation except the amount returned by the Insurer.

20.8 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन–देन को उस समय के विनियम दर पर अभिलेखों में दर्ज किया गया है।

20.9 अनुसंधान एवं विकास

शोध और विकास पर हुए राजस्व व्यय को उस वर्ष के व्यय खाते में उपचित किया जाता है जिस वर्ष में उसे उपगत किया गया है। अनुसंधान और विकास पर किये गये पूंजीगत व्यय, यदि कोई है तो उसे स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि के रूप में दर्शाया जाता है।

20.10 कर

आयकर :

(i) धारा 10(23सी) (IIIac) के प्रावधान के मद्देनजर और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अन्तर्गत निगम की आय, आयकर से मुक्त है। इस कारण आगे आने वाले वर्तमान/भविष्य में कर के लिये प्रावधान नहीं बनाया है।

(ii) मांग/अनुदान के आधार पर ब्याज देय/मांग पर प्राप्य/वसूली को लेखांकित किया जाता है।

20.11 प्रावधान, आकस्मिक देयताऐं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

महत्वपूर्ण आंकलन वाले प्रावधानों को वही मान्यता दी गई है जहाँ गत घटनाओं के परिणामस्वरूप मौजूदा समय में बाध्यता है और इस बात की संभावना है कि संसाधनों को वाह्रय प्रवाह होगा। संभावित दायित्वों का प्रावधान नही किया जाता है बल्कि लेखो पर टिप्पणियों में दर्शाया जाता है। संभावित सम्पत्तियों की न तो पहचान की जाती है न ही वित्तीय विवरणी में दर्शाया जाता है।

20.12 पूर्व अवधि का लेनदेन

पूर्व अवधि के लेन–देन, जो रू0 1.00 लाख से अधिक है को प्रत्येक केस मे जो कि पूर्व के मद है को चालू वर्ष के आय और व्यय के तहत प्रदर्शित कर दिये जाते है।

ह0/–
(अतुल रूस्तगी)
उप–महाप्रबन्धक
(वित्त)

ह0/–
(मधुसूदन रे)
महाप्रबन्धक
(वित्त एवं प्रशासन)

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
ह0/–
डी. आर. सरीन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

ह0/–
टी. सी. ए. कल्याणी
निदेशक

हमारे समतिथि के संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार
कृते प्रकाश एण्ड संतोष
सनदी लेखाकार, एफ. आर. एन. 000454 सी

ह0/–
(नेहा गुप्ता)
पार्टनर, सदस्यता सं. 414569

स्थान : नई दिल्ली
दिनॉक : 20.06.2017

20.8 Foreign Currency Transactions

Revenue transactions denominated in Foreign Currency are normally recorded at the exchange rate prevailing at the time of transaction.

20.9 Research & Development

Revenue expenditure on Research and Development is charged as an expense in the year in which they are incurred. Capital Expenditure, if any, on Research & Development is shown as an addition to Fixed Assets.

20.10 Taxes

Income Tax :

(i) In view of provisions of section 10(23C) (IIIac) and exemption granted under section 12AA of the Income Tax Act' 1961, the income of the corporation is exempt from the tax. Hence no provision is made for current/deferred tax.

(ii) Interest payable / receivable on demand/ refund is accounted for on as and when demanded/ granted.

20.11 Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources. Contingent Liabilities are not provided for but are disclosed in the notes on accounts. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

20.12 Prior Period Transactions

Prior period transactions, which are over Rs. 1.00 Lacs in each case are considered as prior period items and are disclosed under current year Income & Expenditure.

Sd/-
(ATUL RUSTAGI)
DGM - FIN

Sd/-
(MADHUSUDAN RAY)
GENERAL MANAGER
(FIN & ADMN)

FOR AND ON BEHALF OF
BOARD OF DIRECTORS
Sd/-
(D.R.SARIN)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Sd/-
(T.C.A. KALYANI)
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED
FOR PRAKASH & SANTOSH
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 000454C

Sd/-
(CA. NEHA GUPTA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 414569

PLACE : New Delhi
DATED : 20.06.2017

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

नोट 21 : वित्तीय विवरणी हेतु अतिरिक्त जानकारी

क्र सं.	विवरण	(रू लाख में) 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये
20.1	आकस्मिक देयताऐं तथा प्रति बद्धता (उस सीमा तक जो प्राप्त नहीं है)		
(i)	आकस्मिक सम्पत्ति एवं देयताऐं		
(ए)	कम्पनी के विरूद्ध दावा जोकि स्वीकार नहीं है। औद्योगिक/अन्य विवाद विभिन्न न्यायालय में लंबित हैं	29.35	34.62
(बी)	गारन्टी		
(सी)	अन्य राशि जो कि कम्पनी द्वारा संदिग्ध रूप से दायी है	11.88	11.00
(डी)	आयकर प्राधिकृत द्वारा जारी राशि जोकि स्वीकार नहीं है।	0.00	0.00
(इ)	विक्रयकर प्राधिकृत द्वारा जारी राशि जोकि स्वीकार नहीं है।	3233.47	1800.82
(एफ)	आकस्मिक संपत्ति–कानूनी मामले	76.15	121.30
(जी)	आकस्मिक परिसम्पत्तियां	(25.30)	(25.30)
		(132.35)	0.00
(ii)	प्रतिबद्धताऐं		
(ए)	पूंजी खाते पर निष्पादित शेष अनुबन्ध की अनुमानित राशि और प्रदान नहीं करने के लिये		
	मूर्त सम्पत्ति	8811.69	7671.94
	आमूर्त सम्पत्ति	6.03	11.82
(बी)	शेयर और अन्य निवेश, आंशिक भुगतान पर अन्य मांगी देयता	0.00	0.00
(सी)	अन्य प्रतिबद्धता (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	0.00	0.00
		12010.92	9626.20

नोट	विवरण	(रू लाख में) 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये
21.2	सूक्ष्म, लघु तथा माध्यम उद्यम विभाग अधिनियम, 2006 की धारा–22 के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण		
(i)	लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूतिकर्ता की शेष बकाया मुख्य राशि	233.83	171.71
(ii)	लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता का अवैतनिक शेष के कारण ब्याज	0.00	0.00
(iii)	नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को भुगतान राशि के साथब्याज राशि का भुगतान किया गया	0.00	0.00
(iv)	वर्ष के लिये देय और बकाया ब्याज की राशि	0.00	0.00
(v)	लेखा वर्ष के अन्त में बकाया शेष एवं अर्जित ब्याज की राशि	0.00	0.00
(vi)	अगले वर्ष में भी देय और आगे के ब्याज की राशि जबतक की ऐसी तारीख जब उपरोक्त बकाया ब्याज का वास्तविक भुगतान हो सके।	0.00	0.00
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया का सीमा निर्धारण इस तरह की पार्टियों की पहचान प्रबंधन द्वारा एकत्र जानकारी के आधार पर किया गया। यह लेखा परीक्षकों के द्वारा दिये गये भरोसे से किया गया।		

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTE NO. 21 : ADDITIONAL INFORMATION TO FINANCIAL STATEMENTS

S.No.	PARTICULARS	(RS. IN LACS) AS AT 31ST MARCH 2017	AS AT 31ST MARCH 2016
21.1	Contingent assets, liabilities and commitments (to the extent not provided for)		
(i)	**Contingent assets & liabilities**		
(a)	Claims against the Company not acknowledged as debt		
	On account of Industrial/Other disputes pending in various Court of law - amount determinable	29.35	34.62
(b)	Guarantees	11.88	11.00
(c)	Other money for which the Company is contingently liable	0.00	0.00
(d)	On account of claims by Income Tax Department.	3233.47	1800.82
(e)	On account of claims by Sales Tax / VAT authorities	76.15	121.30
(f)	Contingent assets- Legal Cases	(25.30)	(25.30)
(g)	Contingent assets- unexpired BGs	(132.35)	0.00
(ii)	**Commitments**		
(a)	Estimated amount of contracts (net of advances) remaining to be executed on capital account and not provided for		
	Tangible assets	8811.69	7671.94
	Intangible assets	6.03	11.82
(b)	Uncalled liability on shares and other investments partly paid	0.00	0.00
(c)	Other commitments (specify nature)	0.00	0.00
		12010.92	9626.20

NOTE	PARTICULARS	(RS. IN LACS) AS AT 31ST MARCH 2017	AS AT 31ST MARCH 2016
21.2	Disclosures required under Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006		
(i)	Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	233.83	171.71
(ii)	Interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	0.00	0.00
(iii)	The amount of interest paid along with the amounts of the payment made to the supplier beyond the appointed day	0.00	0.00
(iv)	The amount of interest due and payable for the year	0.00	0.00
(v)	The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the accounting year	0.00	0.00
(vi)	The amount of further interest due and payable even in the succeeding year, until such date when the interest dues as above are actually paid	0.00	0.00
	Dues to Micro and Small Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management. This has been relied upon by the auditors.		

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

नोट 21 : वित्तीय विवरणी हेतु अतिरिक्त जानकारी क्रमशः

क्र सं.	विवरण	(रू लाख में) 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये
21.3	सीआईएफ के आधार पर आयात की गणना का मूल्य		
(i)	कच्चा माल	0.00	0.00
(ii)	अवयव	4.47	13.84
(iii)	स्टोर, पुर्जे, खपत	0.00	0.00
	कुल माल	**4.47**	**13.84**
(iv)	पूंजीगत माल	0.00	0.00
21.4	आयातित एवं स्वदेशी वस्तुओं की खपत का विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	
		(रू लाख में)	प्रतिशत
(अ)	आयतित		
(i)	कच्चा माल	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	घटक	0.00 (13.84)	0.00 (0.26)
(iii)	स्टोर, पुर्जे, खपत	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	योग	(0.00)	
		(13.84)	

नोट	विवरण		
(ब)	स्वदेशी	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिये	
		(रू लाख में)	प्रतिशत
(i)	कच्चा माल	4613.37 (3381.83)	100.00 (100.00)
(ii)	घटक	7474.44 (5299.42)	100.00 (99.74)
(iii)	स्टोर, कल पुर्जे, खपत	256.33 (221.64)	100.00 (100.00)
	योग	**12344.14**	
		(8902.89)	

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTE NO. 21 : ADDITIONAL INFORMATION TO FINANCIAL STATEMENTS (Contd.)

NOTE	PARTICULARS	(RS IN LACS) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017	FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016
21.3	**Value of imports calculated on CIF basis**		
(i)	Raw Materials	0.00	0.00
(ii)	Components	4.47	13.84
(iii)	Stores, Spare Parts & consumables	0.00	0.00
	Total Material	**4.47**	**13.84**
(iv)	**Capital goods**	0.00	0.00
21.4	**Details of consumption of imported and indigenous items**	**FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017**	
		(RS. IN LACS)	**%**
(A)	**Imported**		
(i)	Raw Materials	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(ii)	Components	(0.00) (13.84)	(0.00) (0.26)
(iii)	Stores, Spare Parts & consumables	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	Total	**(0.00)** **(13.84)**	

NOTE	PARTICULARS		
(B)	**Indigenous**	**FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2017**	
		(RS. IN LACS)	**%**
(i)	Raw Materials	4613.37 (3381.83)	100.00 (100.00)
(ii)	Components	7474.44 (5299.42)	100.00 (99.74)
(iii)	Stores, Spare Parts & consumables	256.33 (221.64)	100.00 (100.00)
	Total	**12344.14** (8902.89)	

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

नोट 21 : वित्तीय विवरणी हेतु अतिरिक्त जानकारी क्रमश :

क्र सं.	विवरण	(रू लाख में) 31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
21.5	**विदेशीय मुद्रा से आय** एफओबी के अनुसार माल की गणना का निर्यात	0.00	1.88
21.6	**अनुभाग की जानकारी–एस 17** निगम मुख्य रूप एक अनुभागीय व्यापार यानि की कृत्रिम अंग में पुर्नवास ओर अव्यव एवं भौगोलिक अनुभागी में कार्य कर रही है।		
21.7	**सम्बन्धित पार्टी का प्रकटीकरण–एस 18** इसमें किसी भी सम्बन्धित पक्षो के नीचे कोई भी लेन–देन नही हुए है सिर्फ नोट 18.2 छोड़कर		
21.8	**विनिर्दिश्ट बैंक नोट्स संबंधी प्रकटीकरण :–** वर्ष के दौरान, कंपनी के पास एमसीए अधिसूचना, जीएसआर 308 (ई), तारीख 31 मार्च, 2017 में परिभाषा के अनुसार विनिर्दिश्ट बैंक नोट्स (एसबीएन्स) अथवा अन्य नामकरण के नोट थे। 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान उपलब्ध तथा लेन–देन किये गये विनिर्दिष्ट बैंक नोट्स नामकरण वार एसबीएन्स तथा अन्य नोट्स अधिसूचना के अनुसार, का विवरण निम्नानुसार हैं:–		

विवरण	एसबीएन्स	अन्य नाम के नोट्स	योग
8 नवंबर, 2016 को अतिषेश नकद राशि	644000.00	297121.00	941121.00
जोड़े :– अनुमत्य प्राप्ति	2500.00	5209247.00	5211747.00
घटाऐ:– अनुमत्य भुगतान		(5117093.00)	(5117093.00)
घटाऐ:– बैंकों में जमा करायी गयी राशि	(646500.00)		(646500.00)
30 दिसंबर, 2016 को अतिशेष नकद राशि	0.00	389275.00	389275.00

इस खंड के प्रयोजन हेतु, ''विनिर्दिश्ट बैंक नोट्स'' षब्द का वहीं अर्थ होगा जो भारत सरकार, वित मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या– एसओ 3407 (ई), तारीख 8 नवंबर, 2016 में प्रदान किया गया है।

21.9	कोष्ठक के आंकड़े पिछले वर्ष को दर्शाते हैं।
21.10	पिछले वर्ष के आकंड़ों को फिर से समूह वार, व्यवस्थित और वर्गीकृत बनाने के लिये उनकी चालू वर्ष के आकंड़ों से तुलना की गई है।

ह0/–
(अतुल रूस्तगी)
उप–महाप्रबन्धक
(वित्त)

ह0/–
(मधुसूदन रे)
महाप्रबन्धक
(वित एवं प्रशासन)

ह0/–
टी. सी. ए. कल्याणी
निदेशक

कृते और निदेशक मंडल की ओर से
ह0/–
डी. आर. सरीन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

हमारे समतिथि के संलग्न प्रथक प्रतिवेदन के अनुसार
कृते प्रकाश एण्ड संतोष
सनदी लेखाकर, एफ. आर. एन. 000454सी
ह0/–
(नेहा गुप्ता)
पार्टनर, सदस्यता सं. 414569

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 20.06.2017

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA
KANPUR

NOTE NO. 21 : ADDITIONAL INFORMATION TO FINANCIAL STATEMENTS (Contd..)

NOTE	PARTICULARS		(RS. IN LACS) AS AT 31ST MARCH 2017	AS AT 31ST MARCH 2016
21.5	Earnings in foreign exchange			
	Export of goods calculated on FOB basis		0.00	1.88
21.6	Segment Information - AS 17			
	The Corporation is principally engaged in single business segment i.e. Artificial Limbs, Rehablitation Aids and Components and operates in one Geographical segment.			
21.7	Related Party Disclosure - AS 18			
	There are no transaction between any related party except reported in Note 18.2			
21.8	Disclosure on Specified Bank Notes :-			
	During the year, the Company had Specified Bank Notes (SBNs) or other denomination notes as defined in the MCA notification, G.S.R. 308(E) dated March 31,2017. The details of SBNs held and transacted during the period from November 8,2016 to December 30,2016, the denomination wise SBNs and other notes as per the notification are as follows:-			

Particulars	SBNs	Other Denomination Notes	Total
Closing cash in hand as on November 8, 2016	644000.00	297121.00	941121.00
Add: Permitted receipt	2500.00	5209247.00	5211747.00
Less: Permitted Payments		(5117093.00)	(5117093.00)
Less: Amount deposited in Banks	(646500.00)		(646500.00)
Closing Cash in hand as on December 30, 2016	0.00	389275.00	389275.00

NOTE	PARTICULARS
	For the purpose of this clause, the term "Specified Bank Notes" shall have the same meaning provided in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, department of Economic Affairs number S.O. 3407(E) dated November 8,2016
21.9	Figures in bracket represents that of previous year.
21.10	Previous year figures have been re-grouped, re-arranged and re-classified to make them comparable with that of current year figures

Sd/-
(ATUL RUSTAGI)
DGM - FIN

Sd/-
(MADHUSUDAN RAY)
GENERAL MANAGER
(FIN & ADMN)

Sd/-
(T.C.A. KALYANI)
DIRECTOR

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
Sd/-
(D.R.SARIN)
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED
FOR PRAKASH & SANTOSH
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN - 000454C

Sd/-
(CA. NEHA GUPTA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO. 414589

PLACE : New Delhi
DATED : 20.06.2017

JABALPUR

BHUBANESHWAR

BENGALURU

CHANALON

Major implementing agency of the Govt. of India's scheme - ADIP (Assistance to Disabled Persons) since 1981

Sole Implementing agency of the Govt. of India Scheme ADIP - SSA (Sarva Siksha Abhiyan) since 2004

Approaching and extending help to CPSU's to take up their CSR obligations

Approaching and extending help to Hon'ble MP's to utilize MPLAD fund towards upliftment of PwDs through ALIMCO.

PRAGYA # 9336275421